31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लिए

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का प्रतिवेदन

(राजस्व प्राप्तियां)

हिमाचल प्रदेश सरकार

31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लिए

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का प्रतिवेदन

(राजस्व प्राप्तियां)
हिमाचल प्रदेश सरकार

विषय सूची

विवरण	परिच्छेद	पृष्ठ
प्रस्तावना		v
विहंगावलोकन		vii-ix
पहला अध्याय: सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1.1	1
बजट आकलनों व वास्तविक प्राप्तियों के मध्य विभिन्नताएं	1.2	4
संग्रहणों का विश्लेषण	1.3	5
संग्रहण लागत	1.4	6
बकाया राजस्व का विश्लेषण	1.5	6
बकाया निर्धारण	1.6	8
कर अपवंचन	1.7	9
प्रत्यर्पण	1.8	10
लेखापरीक्षा परिणाम	1.9	10
उत्तरदायित्व निर्धारित करने तथा सरकार के हितों की रक्षा करने में वरिष्ठ कर्मचारियों की विफलता	1.10	10
विभागीय लेखापरीक्षा समितियों की बैठकें	1.11	12
प्रारूप लेखापरीक्षा परिच्छेदों का राज्य सरकार द्वारा उत्तर	1.12	12
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई-सारांशित स्थिति	1.13	12
पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में अनुपालना	1.14	13
अधिनियमों/नियमों में संशोधन	1.15	13
दूसरा अध्याय: बिक्री व्यापार आदि पर कर		
लेखापरीक्षा परिणाम	2.1	14
त्रुटिपूर्ण स्टेशनरी फार्मों की स्वीकृति	2.2	15
अनुचित छूट	2.3	16
अनियमित रियायत	2.4	17
अनियमित "सैट ऑफ" (कर समायोजन) के कारण अवनिर्धारण	2.5	17
कच्चे माल पर अनियमित रियायत	2.6	18
बिक्री कर जमा न करवाना	2.7	18
अनुचित कटौती के कारण अवनिर्धारण	2.8	19
कर का अल्पोद्ग्रहण	2.9	19
व्यापारियों को पंजीकृत न किए जाने के कारण कर का उद्ग्रहण न करना	2.10	20
कर की गलत दर लागू करना	2.11	21
रियायत वापिस न लेना	2.12	21

रियायत वापिस न लेना	2.12	21
बिक्री छिपाने के कारण कर का अपवंचन	2.13	22
कर का अवनिर्धारण	2.14	23
सम्बद्ध अभिलेख न मिलाने के कारण अनुचित निर्धारण	2.15	24
तीसरा अध्याय: राज्य आबकारी		
लेखापरीक्षा परिणाम	3.1	25
नीलामी बोली राशि एवं लाइसैंस फीस के विलम्ब से किये गये भुगतान पर ब्याज की अवसूली	3.2	26
लाइसैंस फीस की अल्प वसूली	3.3	26
अधिक अपचय (क्षय) पर शुल्क का अनुदग्रहण	3.4	28
चौथा अध्याय: वाहन, माल व यात्री कर		
लेखापरीक्षा परिणाम	4.1	29
सांकेतिक कर की अवसूली	4.2	30
गलत दरें लागू करने के कारण सांकेतिक कर की अल्प वसूली	4.3	31
विशेष पथ कर का भुगतान न करना/अल्प भुगतान करना	4.4	31
विशेष पथ कर का विलम्ब से भुगतान करने के लिए शास्ति का अनुदग्रहण	4.5	33
सरकारी धन का अनुचित अवरोधन	4.6	33
परमिट फीस का वसूल न करना/अल्प वसूल करना	4.7	34
विशेष पंजीकरण फीस का अनुदग्रहण	4.8	35
यात्री कर एवं मालकर की अवसूली	4.9	36
आबकारी एवं कराधान विभाग के पास पंजीकृत न किये गये वाहन	4.10	36
पांचवा अध्याय: वन प्राप्तियां		
लेखापरीक्षा परिणाम	5.1	38
राजस्व की कम वसूली	5.2	39
बाड़ खम्बों की लागत प्रभारित न करना/कम प्रभारित करना	5.3	39
जब्त की गई इमारती लकड़ी का निपटान न करने के कारण राजस्व का अवरोधन	5.4	40
क्षतियों एवं क्षतिपूर्ति का अवनिर्धारण	5.5	41
अवैध रूप से काटे गये वृक्षों के मूल्य की अल्प वसूली	5.6	42
क्षति बिलों के स्वीकार/जारी न करने के कारण हानि	5.7	43
मामले कालातीत होने के कारण राजस्व हानि	5.8	44
गलत आयतन कारक लागू करने के कारण रॉयल्टी की कम वसूली	5.9	44
विस्तार फीस का अनुदग्रहण	5.10	45
ब्याज का अनुदग्रहण	5.11	46

बरोजा ब्लेजों का नि:श्रवण न करने के कारण राजस्व हानि	5.12	46
बरोजा ब्लेजों की रॉयल्टी की अल्प वसूली	5.13	47
छठा अध्याय: अन्य कर एवं कर भिन्न प्राप्तियां		
लेखापरीक्षा परिणाम	6.1	48
क. बहुद्देशीय परियोजनाएं तथा विद्युत विभाग		
विद्युत शुल्क का उद्ग्रहण तथा संग्रहण	6.2	49
ख. राजस्व विभाग		
सम्पत्ति के बाजारी मूल्य का गलत निर्धारण	6.3	66
गलत परते तैयार करने के कारण अल्प वसूली	6.4	66
पंजीकरण के लिए प्रलेख प्रस्तुत न करना	6.5	67
सरकारी धन का गबन/अनुचित रूप से अपने पास रखना	6.6	67
पट्टा राशि का नवीकरण/अदायगी करने के कारण हानि	6.7	68
गलत दर निर्धारित करने के कारण पट्टा राशि की अल्प वसूली	6.8	69
ग. सिंचाई तथा जन-स्वास्थ्य विभाग		
जल प्रभारों की वसूली न करना	6.9	70
घ. उद्योग विभाग		
रॉयल्टी की विलंबित अदायगी पर ब्याज की वसूली न करना	6.10	71
रॉयल्टी की वसूली न करना/कम करना	6.11	72

प्रस्तावना

31 मार्च 2008 को समाप्त हुए वर्ष का यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां व सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत की जाती है। इस प्रतिवेदन में राज्य के बिक्री कर, राज्य आबकारी, मोटर वाहन कर, यात्री व माल कर, वन प्राप्तियों तथा अन्य कर प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के परिणाम प्रस्तुत हैं।

इस प्रतिवेदन में वर्ष 2007-08 में अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए मामले तथा पूर्ववर्ती वर्षों में दृष्टिगोचर हुए परन्तु विगत वर्षों के प्रतिवेदनों में स्थान न पा सकने वाले मामले उल्लिखित हैं।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में करों, शुल्कों, फीस, ब्याज तथा शास्ति, आदि के 105.05 करोड़ रू0 की राशि के अनुद्ग्रहण/अल्पोद्ग्रहण से सम्बन्धित एक समीक्षा सहित 48 परिच्छेद समाविष्ट हैं। कुछ मुख्य निष्कर्ष निम्नांकित हैं:-

1. सामान्य

- सरकार की वर्ष 2007-08 की कुल प्राप्तियां 9,141.54 क रोड़ रू0 थीं। राज्य सरकार द्वारा वर्ष में जुटाई गई 3,780.61 करोड़ रू0 की राजस्व प्राप्तियां 1958.18 करोड़ रू0 के कर राजस्व तथा 1,822.43 करोड़ रू0 के कर भिन्न राजस्व से समाविष्ट थीं। राज्य सरकार ने 793.64 करोड़ रू0 विभाज्य संघीय करों से राज्यांश के रूप में तथा 4,567.29 करोड़ रू0 अनुदान के रूप में भारत सरकार से प्राप्त किए।

(परिच्छेद 1.1)

- वर्ष 2007-08 के अन्त में कुछ विभागों द्वारा प्रतिवेदित बकाया राजस्व 512.43 करोड़ रू0 था इसमें से 113.28 करोड़ बिक्री कर से सम्बन्ध विभिन्न व्यापारियों से वसूली योग्य थे।

(परिच्छेद 1.5)

- वर्ष 2007-08 के दौरान बिक्री कर, राज्य आबकारी, वाहन, माल व यात्री कर, वन प्राप्तियों तथा अन्य कर एवं कर-भिन्न प्राप्तियों के अभिलेखों की नमूना-जांच से 1,098 मामलों में 218.62 क रोड़ रू0 की कुल राशि के अवनिर्धारण/अल्पोदग्रहण/राजस्व हानि का पता चला। वर्ष 2007-08 के दौरान सम्बद्ध विभागों ने अवनिर्धारण आदि के 42.55 करोड़ रू0 के 187 मामले स्वीकार किए।

(परिच्छेद 1.9)

2. बिक्री व्यापार आदि पर कर

- पांच जिलों में 69 औद्योगिक इकाइयों के मामले में कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण सांविधिक फार्मों की स्वीकृति तथा कर की छूट/रियायती दर अनुमत करने के परिणामस्वरूप 30.20 करोड़ रू0 के कर का अल्पोदग्रहण हुआ।

(परिच्छेद 2.2)

- दो विद्यमान/नई इलैक्ट्रानिक संयोजक इकायों को अनुचित छूट प्रदान किए जाने के परिणामस्वरूप ब्याज सहित 21.31 करोड़ रू0 के कर का अवनिर्धारण हुआ।

(परिच्छेद 2.3)

- पांच जिलों में निर्धारण अधिकारियों ने उद्योग विभाग से वास्तविकता संबंधी प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना 231.26 करोड़ रू0 की टर्नओवर को छूट/रियायत अनुमत की जिसके परिणामस्वरूप 70 मामलों में 9.36 करोड़ रू0 के कर की अनियमित रियायत प्रदान हुई।

(परिच्छेद 2.4)

- दो औद्योगिक इकाइयों को अनियमित रूप से कर का सैट ऑफ अनुमत करने के परिणामस्वरूप 1.76 करोड़ रू0 के कर का अवनिर्धारण हुआ।

(परिच्छेद 2.5)

- कांगड़ा तथा ऊना जिलों में पांच औद्योगिक इकाइयों को वांछित प्रमाणपत्र के बिना कच्चे माल की बिक्री पर कर का रियायती दर अनुमत करने के परिणामस्वरूप 1.20 करोड़ रू0 के कर का अवनिर्धारण हुआ।

(परिच्छेद 2.6)

3. राज्य आबकारी

- वर्ष 2006-07 के दौरान चार जिलों के चार लाइसैंसधारियों ने बोली राशि तथा लाइसैंस फीस, की मासिक किस्तों का भुगतान विलम्ब से किया था जिसके परिणामस्वरूप इन लाइसैंसधारियों से 99.96 लाख रू0 के ब्याज का अनुदग्रहण हुआ/अवसूली हुई।

(परिच्छेद 3.2)

4. वाहन, माल तथा यात्री कर

- 1.73 करोड़ रू0 के सांकेतिक कर की न तो 3,626 वाहन मालिकों द्वारा अदायगी की गई ओर न ही 31 पंजीकरण व लाइसैंस प्राधिकारियों द्वारा इसकी वसूली की गई।

(परिच्छेद 4.2)

- आठ क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों में विशेषपथ कर की अदायगी न करने/अल्प अदायगी करने तथा शास्ति के अनुदग्रहण के फलस्वरूप 2.60 करोड़ रू0 के सरकारी देयों की वसूली नहीं हुई।

(परिच्छेद 4.4 तथा 4.5)

5. वन प्राप्तियां

- छः वन मण्डलों में परियोजनाओं/पारेषण लाइनों आदि के संरेखण में आने वाली विभिन्न प्रजातियों के 20,880 वृक्षों (बाल वृक्षों सहित) की लागत निम्न दरों पर प्रभारित की गई, जिसके फलस्वरूप 3.72 करोड़ रू0 के राजस्व की अल्प वसूली हुई।

(परिच्छेद 5.2)

- छः वन मण्डलों में 2,925.5848 हैक्टेयर भूमि में जलागम/स्रवण क्षेत्र उपचार योजना के अंतर्गत जलागम/स्रवण क्षेत्र में प्रतिपूरक वन रोपण तथा पौधरोपण के अनुरक्षण के लिए 2,84,906 बाड़ के खम्बों की लागत प्रभारित न करने के फलस्वरूप 3.20 करोड़ रू0 के राजस्व की वसूली नहीं हुई/ अल्प वसूली हुई।

(परिच्छेद 5.3)

- 17 वन मण्डलों में 2.72 करोड़ रू0 मूल्य की विभिन्न प्रजातियों की जब्त की गई 1,136.39 घनमीटर इमारती लकड़ी का निपटान न करने के फलस्वरूप राजस्व का अवरोधन हुआ।

(परिच्छेद 5.4)

6. अन्य कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियां

विद्युत शुल्क के उदग्रहण तथा संग्रहण की समीक्षा से निम्नवत उदघाटित हुआ:

- हिमाचल प्रदेश विद्युत शुल्क, अधिनियम में समर्थक प्रावधानों के अभाव में विद्युत की आपूर्ति पर 390.40 करोड़ रू0 के विद्युत शुल्क का उदग्रहण नहीं किया जा सका।

(परिच्छेद 6.2.9)

- एक उद्योग होने के नाते होटलों के संदर्भ में औद्योगिक दरों पर विद्युत शुल्क प्रभारित करने के बजाय वाणिज्यिक दरों पर विद्युत शुल्क प्रभारित किया गया, जिसके फलस्वरूप 80.79 लाख रू0 के विद्युत शुल्क की हानि हुई।

(परिच्छेद 6.2.11)

- बद्दी, दारलाघाट तथा पांवटा साहिब की तीन अपात्र औद्योगिक इकाइयों को गलत पात्रता प्रमाण पत्र प्रदान करने के फलस्वरूप विद्युत शुल्क से सम्बन्धित 28.33 करोड़ रू0 की गलत छूट दी गई।

(परिच्छेद 6.2.15)

- 38 उप-पंजीयक कार्यालयों में सम्पत्ति के बाजारी मूल्य का गलत निर्धारण करने तथा गलत परता तैयार करने के फलस्वरूप 655 मामलों में 4.62 करोड़ रू0 के स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस की अल्प वसूली हुई।

(परिच्छेद 6.3 तथा 6.4)

पहला अध्याय: सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2007-08 के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जुटाए गए कर एवं कर-भिन्न राजस्व, विभाज्य संघीय करों में राज्यांश तथा वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान एवं विगत चार वर्षों के तद्नुरूपी आंकड़े निम्नांकित हैं:

(करोड़ रूपए)

क्र0सं0	विवरण	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
I.	राज्य सरकार द्वारा जुटाया गया राजस्व					
	• कर राजस्व	984.33	1,251.88	1,497.02	1,656.38	1,958.18
	• कर-भिन्न राजस्व	291.76	610.77	689.67	1,336.85	1,822.43
	योग	1,276.09	1,862.65	2,186.69	2,993.23	3,780.61
II.	भारत सरकार से प्राप्तियां					
	• विभाज्य संघीय करों का राज्यांश	449.54	537.32	493.26	629.16	793.64
	• सहायता अनुदान	2,255.29	2,234.54	3,878.67	4,212.83	4,567.29
	योग	2,704.83	2,771.86	4,371.93	4,841.99	5,360.93
III.	राज्य की कुल प्राप्तियां (I+II)	3,980.92	4,634.51	6,558.62	7,835.22	9,141.54[1]
IV.	III से I की प्रतिशतता	32	40	33	38	41

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि 2007-08 के दौरान राज्य सरकार द्वारा जुटाया गया राजस्व सकल राजस्व प्राप्तियों (9,141.54 करोड़ रू0) का गत वर्ष के 38 प्रतिशत के प्रति, 41 प्रतिशत था। वर्ष 2007-08 के दौरान प्राप्तियों का शेष 59 प्रतिशत भारत सरकार से प्राप्त हुआ।

---

[1] आंकड़े अनंतिम हैं। विवरण के लिए कृपया वर्ष 2007-08 के हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त लेखों में "विवरणी संख्या 11-लघु शीर्षों द्वारा राजस्व के विस्तृत लेखे" देखें। क-कर राजस्व के अंतर्गत वित्त लेखों में पुरस्तांकित आंकड़े मुख्य शीर्षों "0020-निगम कर"; "0021-निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर"; "0028- आय तथा व्यय पर अन्य कर" ; "0032-सम्पत्ति कर"; "0037-सीमा शुल्क"; "0038-संघीय आबकारी शुल्क"; "0044-सेवा कर" तथा "0045-पदार्थों तथा सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क"; तथा "901 राज्यों को सुपुर्द किए गए निवल आगमों का हिस्सा" के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा जुटाए गए राजस्व से निकाल दिए गए तथा विभाज्य संघीय करों के राज्यांश में सम्मिलित किए गए हैं।

1.1.1 नीचे दी गई तालिका 2003-04 से 2007-08 तक की अवधि में जुटाए गए कर राजस्व के ब्यौरे दर्शाती है:

(करोड़ रूपए)

क्र0 सं0	राजस्व शीर्ष	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2006-07 की तुलना में वर्ष 2007-08 में वृद्धि (+) अथवा कमी (-) की प्रतिशतता
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	436.75	542.37	726.98	914.45	1,092.16	(+)19
2.	राज्य आबकारी	280.12	299.90	328.97	341.86	389.57	(+)14
3.	स्टाम्प तथा पंजीकरण फीस	52.37	75.34	82.43	92.47	86.99	(-)6
4.	विद्युत कर व शुल्क	16.67	88.00	89.29	30.43	81.57	(+)168
5.	वाहन कर	78.37	107.82	101.51	106.35	113.72	(+)7
6.	माल व यात्री कर	33.96	38.32	42.61	50.22	55.12	(+)10
7.	पदार्थों एवं सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क	86.98[2]	97.54[3]	124.10[4]	118.65[5]	137.13[6]	(+)16
8.	भू-राजस्व	0.84	2.30	1.09	1.91	1.89	(-)1
	योग	986.06[7]	1,251.59[7]	1,496.98[8]	1,656.34[7]	1,958.15[8]	(+)18

2006-07 की तुलना में 2007-08 की प्राप्तियों में वृद्धि/कमी के सम्बन्ध में संबद्ध विभागों द्वारा बताए गए कारण निम्नांकित हैं:

बिक्री, व्यापार, आदि पर कर:- वृद्धि का कारण तम्बाकू पर सरकार द्वारा मूल्य वृद्धि कर के आरोपण तथा क्षेत्रीय/उड़नदस्ते के कर्मचारियों द्वारा बारम्बार जांच/निरीक्षण किए जाने का प्रभाव बताया।

राज्य आबकारी:- वृद्धि का कारण नीलामी राशि में उछाल, देशी शराब/भारतीय निर्मित विदिशी शराब तथा बीयर की लाइसैंस फीस आबकारी शुल्क एवं भारतीय निर्मित विदेशी शराब के फीस-निर्धारण में बढ़ौतरी तथा वर्ष में ज्यादा लाइसैंस जारी करना बताया गया

विद्युत पर कर एवं शुल्क:- वृद्धि का कारण मुख्यत: हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा विद्युत शुल्क की बकाया राशि को 2007-08 में जमा करवाया जाना बताया गया।

पदार्थों एवं सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क:- वृद्धि का कारण राज्य में पयाटकों का भारी प्रवाह, हिमाचल प्रदेश (निश्चित माल का सड़क द्वारा परिवहन) कराधान अधिनियम, के अन्तर्गत सीमेंट व क्लींकर के करों में बढ़ौतरी तथा टोल टैक्स के अन्तर्गत अधिक राशि की उगाही किया जाना बताया गया।

पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्तियों की भिन्नताओं के संदर्भ में अन्य विभागों से कारण बताने के लिए अनुरोध करने पर भी, सूचित नहीं किए थे (सितम्बर 2008)।

---

2 राज्य को विनियोजित निवल आगमों का 1.73 करोड़ रू0 का भाग सम्मिलित है।
3 राज्य को विनियोजित निवल आगमों के भाग का (-) 29 लाख रू0 निकाल कर।
4 राज्य को विनियोजित निवल आगमों के भाग का (-) 4 लाख रू0 निकाल कर।
5 राज्य को विनियोजित निवल आगमों के भाग का (-) 4 लाख रू0 निकाल कर ।
6 राज्य को विनियोजित निवल आगमों के भाग का (-) 3 लाख रू0 निकाल कर ।

1.1.2 2003-04 से 2007-08 तक की अवधि के दौरान जुटाए गए मुख्य कर-भिन्न राजस्व के ब्यौरे निम्नांकित तालिका में दर्शाए गए हैं:

(करोड़ रूपए)

क्र0सं0	राजस्व शीर्ष	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2006-07 की तुलना में वर्ष 2007-08 में वृद्धि (+) अथवा कमी (-) की प्रतिशतता
1.	ब्याज प्राप्तियां	11.35	42.77	49.29	87.18	66.90	(-) 23
2.	अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां	101.51	89.59	151.41	122.84	125.15	(-) 2
3.	वानिकी एवं वन्य प्राणी	76.93	102.17	149.63	45.55	53.60	(+) 18
4.	अलौह, खनन व धातुकर्म उद्योग	36.84	38.42	42.90	48.39	56.59	(+)17
5.	विविध सामान्य सेवाएं (लाटरी प्राप्तियों सहित)	1.81	1.86	2.13	73.86	47.51	(-) 36
6.	विद्युत	35.01	284.71	251.47	910.08	1,414.52	(+) 55
7.	मुख्य एवं मध्यम सिंचाई	0.06	0.09	0.44	0.21	0.22	(+) 5
8.	चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य	3.36	3.70	5.31	5.38	7.68	(+) 43
9.	सहकारिता	1.44	1.64	1.68	7.28	4.93	(-) 32
10.	लोक निर्माण कार्य	7.54	9.08	12.07	16.50	20.38	(+) 24
11.	पुलिस	8.08	7.74	8.98	8.45	12.31	(+) 46
12.	अन्य प्रशासकीय सेवाएं	7.83	29.00	14.36	11.13	12.64	(+) 14
	योग	291.76	610.77	689.67	1,336.85	1,822.43	(+) 36

वर्ष 2006-07 की तुलना में 2007-08 की प्राप्तियों में वृद्धि/कमी के सम्बन्ध में अन्य विभागों द्वारा बताए गए कारण निम्नांकित हैं:

ब्याज प्राप्तियां:- कमी का कारण सहकारी सभाओं से ब्याज की कम प्राप्ति तथा केन्द्रीय सरकार से न्यून प्रत्यर्पण बताया गया।

वानिकी एवं वन्य प्राणी: हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम तथा भारतीय वन अधिनियम की धारा 68 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति सम्बन्धी राशि की अधिक प्राप्ति होने की वजह को वृद्धि का कारण बताया गया।

पुलिस: वृद्धि का कारण रेलवे तथा अन्य संगठनों से उनके साथ पुलिस बल तैनात करने से संबद्ध बकाया राशियों की प्राप्ति तथा अनुपयोगी वस्तुओं की नीलामी से विभाग को अधिक राशि प्राप्त होना बताया गया।

अन्य प्रशासनिक सेवाएं: चुनाव विभाग द्वारा चुनाव फार्मों की अधिक बिक्री, फीस, शास्ति आदि की प्राप्ति तथा फीस की अधिक उगाही वृद्धि के मुख्य कारण बताए गए।

अन्य विभागों से गत वर्ष की अपेक्षा प्राप्तियों की भिन्नताओं के संदर्भ में कारण बताने के लिए अनुरोध किया गया था, उन्होंने सूचित नहीं किए थे (सितम्बर 2008)।

1.2 बजट आकलनों व वास्तविक प्राप्तियों के मध्य विभिन्नताएं

कर तथा कर-भिन्न राजस्व के प्रमुख शीर्षों के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 हेतु बजट आकलनों व वास्तविक राजस्व प्राप्तियों के मध्य विभिन्नताएं निम्नांकित हैं:

(करोड़ रूपए)

क्र० सं०	राजस्व शीर्ष	बजट आकलन	वास्तविक प्राप्तियां	विभिन्नताएं आधिक्य (+) अथवा कमी (-)	विभिन्नता की प्रतिशतता
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1,115.00	1,092.16	(-)22.84	(-) 2
2.	राज्य आबकारी	362.69	389.57	(+)26.88	(+) 7
3.	माल व यात्री कर	46.35	55.12	(+)8.77	(+) 19
4.	वाहन कर	120.00	113.72	(-)6.28	(-) 5
5.	पदार्थों तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	135.96	137.13	(+)1.17	(+) 1
6.	स्टाम्प व पंजीकरण फीस	90.88	86.99	(-)3.89	(-) 4
7.	विद्युत पर कर व शुल्क	78.22	81.57	(+)3.35	(+) 4
8.	भू-राजस्व	1.76	1.89	(+)0.13	(+) 7
9.	उद्योग	10.06	8.13	(-)1.93	(-) 19
10.	वानिकी एवं वन्य प्राणी	48.64	53.60	(+)4.96	(+) 10
11.	ब्याज प्राप्तियां	12.77	66.90	(+)54.13	(+) 424
12.	शिक्षा, क्रीड़ा, कला व संस्कृति	47.85	52.72	(+)4.87	(+) 10
13.	कृषि कर्म (बागवानी सहित)	4.88	5.89	(+)1.01	(+) 21
14.	अलौह, खनन व धातुकर्म उद्योग	42.00	56.59	(+)14.59	(+) 35
15.	आवास	2.35	1.99	(-)0.36	(-)15
16.	मत्स्य पालन	1.05	1.09	(+)0.04	(+) 4
17.	जलापूर्ति व स्वच्छता	19.65	14.74	(-)4.91	(-) 25
18.	पुलिस	11.97	12.31	(+)0.34	(+) 3
19.	चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य	5.85	7.68	(+)1.83	(+) 31
20	लेखन सामग्री व मुद्रण	4.36	4.90	(+)0.54	(+) 12
21.	लोक निर्माण कार्य	13.30	20.38	(+)7.08	(+) 53
22.	पशुपालन	0.40	0.44	(+)0.04	(+) 10
23.	विद्युत	525.00	1,414.52	(+)889.52	(+) 169

सम्बंधित विभागों ने 2007-08 के दौरान प्राप्तियों वृद्धि/कमी के निम्नांकित कारण बताए:

माल व यात्री कर:- वृद्धि लोहे, इस्पात और प्लास्टिक के सामान के परिवहन से अधिक प्राप्ति, वाहनों की संख्या में वृद्धि तथा सभी प्रकार के सूती माल पर अतिरिक्त माल कर में दर की बढ़ौतरी के कारण बताई गई।

ब्याज प्राप्तियां:- निवेश सम्बन्धी रोकड़ बकायों पर ब्याज की वसूलियों, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से ऋणों पर प्राप्त हुए ब्याज की वजह को वृद्धि का कारण बताया गया।

कृषि कर्म:- 'कृषि' सैक्टर के अन्तर्गत कृषि क्षेत्रों तथा अन्य अनुपयोगी मदों जैसे कि वाहन, टायर तथा ट्यूब आदि की नीलामी से हुई प्राप्तियों को वृद्धि का कारण बताया गया जबकि 'बागवानी' सैक्टर में वृद्धि भारत सरकार से मण्डी मध्यस्थ योजना के अन्तर्गत अधिक धन की प्राप्ति के कारण हुई।

पशुपालन:- विभागीय भेड़ प्रजनन फार्मों से भेड़ प्रजनकों को भेड़ों/भेड़ के बच्चों की तथा चल और अचल सम्पत्ति की बिक्री से हुई अधिक आय को वृद्धि का कारण बताया गया।

विद्युत:- वृद्धि के लिए कारण विभिन्न परियोजनाओं से रायल्टी की प्राप्ति, मैसर्ज पावर ट्रेडिंग कार्पोरेशन इण्डिया लिमिटड की मार्फत विद्युत की उच्च दरों पर बिक्री (मुफत प्राप्त हुई) तथा गत वर्ष की तुलना में नई परियोजनाओं के आवंटन से हुई अधिक प्रप्ति बताए गए।

अन्य विभागों ने गत वर्ष की प्राप्तियों के सम्बन्ध में भिन्नता के लिए कारण पूछे जाने के बावजूद भी सूचित नहीं किए थे (सितम्बर 2008)।

1.3 संग्रहणों का विश्लेषण

वर्ष 2007-08 के दौरान राज्य आबकारी की पूर्व-निर्धारण अवस्था तथा नियमित निर्धारण के उपरांत सकल वसूलियां, बिक्री तथा व्यापार कर, यात्री व माल कर तथा पदार्थों व सेवाओं पर अन्य करों व शुल्कों का विखण्डन तथा आबकारी व कराधान विभाग द्वारा प्रस्तुत गत दो वर्षों के तदनुरूपी आंकड़ों का ब्यौरा निम्नांकित् हैं:

(करोड़ रूपए)

क्र0सं0	राजस्व शीर्ष	वर्ष	पूर्व निर्धारण अवस्था पर संग्रहित राशि	नियमित निर्धारणोपरान्त संग्रहित राशि (अतिरिक्त मांग)	करों व शुल्कों के भुगतान में विलम्ब हेतु शास्तियां	प्रत्यर्पित राशि	निवल संग्रहण	कॉलम 8 के संदर्भ में 4 की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	राज्य आबकारी	2005-06	326.85	..	2.26	0.14	328.97	99
		2006-07	341..33	..	1.62	1.09	341.86	100
		2007-08	388.53	..	1.19	0.15	389.57	100
2.	बिक्री, व्यापार, आदि पर कर	2005-06	711.10	10.20	6.03	0.35	726.98	98
		2006-07	898.73	9.28	6.74	0.30	914.45	98
		2007-08	1,059.01	18.64	16.20	1.69	1,092.16	97
3.	माल एव यात्री कर	2005-06	40.47	1.07	1.09	0.02	42.61	95
		2006-07	47.76	1.04	1.42	..[7]	50.52	95
		2007-08	52.83	1.20	1.09	..	55.12	96
4.	पदार्थों व सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	2005-06	120.53	3.56	0.05	..	124.10[8]	97
		2006-07	118.06	0.69	0.03	0.09	118.65[9]	99
		2007-08	136.54	0.64	0.06	0.08	137.13[10]	100

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि 2005-06 से 2007-08 के वर्षों हेतु निर्धारण से पूर्व की अवस्था पर राजस्व की वसूली 95 और 100 प्रतिशत के मध्य रही।

7 केवल 35,463 रू0।

8 राज्य को विनियोजित निवल आगमों के भाग का (-) 4 लाख रू0 निकालकर।

9 राज्य को विनियोजित निवल आगमों के भाग का (-) 4 लाख रू0 निकालकर।

10 राज्य को विनियोजित निवल आगमों के भाग का (-) 3 लाख रू0 निकालकर।

1.4 संग्रहण लागत

2006-07 की सकल वसूली की तुलना में सम्बन्धित व्यय की अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता सहित 2005-06, 2006-07 तथा 2007-08 वर्षों के दौरान मुख्य राजस्व प्राप्तियों की सकल वसूलियां, उनकी वसूली पर किया गया व्यय तथा सकल वसूली के संदर्भ में ऐसे व्यय की प्रतिशतता निम्नांकित थी:

(करोड़ रूपए)

क्र0 सं0	राजस्व शीर्ष	वर्ष	संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	सकल संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता	वर्ष 2006-07 हेतु अखिल भारतीय औसत संग्रहण की प्रतिशतता
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2005-06	726.98	9.38	1.29	0.82
		2006-07	914.45	10.33	1.13	
		2007-08	1,092.16	11.35	1.04	
2.	राज्य आबकारी	2005-06	328.97	4.24	1.29	3.30
		2006-07	341.86	3.86	1.13	
		2007-08	389.57	4.05	1.04	
3.	वाहन, माल व यात्री कर	2005-06	144.12	1.28	0.89	2.47
		2006-07	156.57	1.90	1.21	
		2007-08	168.84	2.73	1.62	
4.	स्टाम्प शुल्क व पंजीकरण फीस	2005-06	82.43	1.22	1.48	2.33
		2006-07	92.47	2.24	2.42	
		2007-08	86.99	1.01	1.16	

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि बिक्री, व्यापार आदि पर कर के संदर्भ में सकल संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता अखिल भारतीय औसत से उच्चतर थी।

1.5 बकाया राजस्व का विश्लेषण

31 मार्च 2008 को राजस्व के कुछ मुख्य शीर्षों के सम्बन्ध में बकाया राजस्व 512.43 करोड़ रू0 हो गया, जिसमें से 125.10 करोड़ रू0 पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे, जैसाकि निम्नवत् है:

(करोड़ रूपए)

क्र0 सं0	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2008 को बकाया राशि	31 मार्च 2008 को 5 वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि	अभ्युक्तियां
1.	बिक्री, व्यापार/वैट आदि पर कर	113.28	49.46	बकाया 1968-69 तथा आगे के वर्षों से सम्बन्धित थे। 48.06 करोड़ रु0 की मांगे भू-राजस्व के बकायों के रूप में प्रमाणित की गई थी। 1.21 करोड़ रु0 की वसूलियां उच्च न्यायालय/अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित कर दी गई। आवेदनों के सुधार/समीक्षा के कारण 55 लाख रु0 की वसूलियां रोक दी गई थी। मांग का 3.90 करोड़ रु0 बट्टे खाते में डाला जाना था। 59.56 करोड़ रु0 के बकायों के सम्बन्ध में की गई विशिष्ट कार्रवाई सूचित नहीं की गई (सितम्बर 2008)।
2.	वानिकी एवं वन्य प्राणी	86.41	प्रतीक्षित	बकाया राशियां ठेकेदार एजेन्सी: 3.84 करोड़ रु0; हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम: 82.42 करोड़ रु0 तथा शेष 15 लाख रु0 अन्य सरकारी विभागों से सम्बन्धित थीं। अवधि जिससे बकाया सम्बन्धित थे तथा वसूली करने हेतु की गई विशिष्ट कार्रवाई सूचित नहीं की गई थी (सितम्बर 2008)।
3.	विद्युत पर कर व शुल्क	115.96	शून्य	बकाया हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से वसूले जाने थे।
4.	वाहन कर	97.26	47.52	बकाया 1977 तथा आगे के वर्षों से सम्बन्धित थे। वसूली हेतु की गई विशिष्ट कार्रवाई सूचित नहीं की गई थी (सितम्बर 2008)।
5.	माल एवं यात्री कर	13.18	11.10	बकाया 1961-62 तथा आगे के वर्षों से सम्बन्धित थे। 2.78 करोड़ रु0 की मांगे भू-राजस्व की वसूली के रूप में प्रमाणित की गई थी। 4 लाख रु0 की वसूलियां उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित कर दी गई थी। 10.36 करोड़ रु0 के बकायों के सम्बन्ध में की गई विशिष्ट कार्रवाई सूचित नहीं की गई (सितम्बर 2008)।
6.	पुलिस	17.08	6.37	बकाया 1990-91 तथा आगे के वर्षों से सम्बन्धित थे। बकाया राशियां भाखड़ा एवं ब्यास प्रबन्धन बोर्ड: 9.58 करोड़ रु0; नाथपा झाकड़ी विद्युत निगम: 1.59 करोड़ रु0; रेलवे प्राधिकारी: 1.54 करोड़ रु0; नागरिक विमानन प्राधिकरण: 1.01 करोड़ रु0; यमुना हाईडल परियोजना खोदरी माजरी तथा भारतीय सीमेंट निगम, राजबन: 66 लाख [redacted] रु0 और राष्ट्रीय जलविद्युत पॉवर निगम: 1.66 करोड़ रु0 से सम्बन्धित थी। शेष 1.04 करोड़ रु0 अन्य[11] विभागों/संस्थाओं से सम्बन्धित थे। भाखड़ा ब्यास प्रबन्धन बोर्ड तथा यमुना हाईडल परियोजना, खोदरी माजरी से सम्बद्ध बकायों की वसूली हेतु मामले भू-राजस्व अधिनियम के अंतर्गत दायर किए गए थे। आगामी सूचना प्राप्त नहीं हुई है (सितम्बर 2008)
7.	जलापूर्ति, स्वच्छता व लघु सिंचाई	48.25	3.78	बकाया 1963-64 तथा आगे के वर्षों से सम्बन्धित थे। 44.38 करोड़ रु0 नगर निगम, शिमला, नगरपालिकाओं तथा अधिसूचित क्षेत्र समितियों से सम्बन्धित थे। लघु सिंचाई एवं आवास (3.87 करोड़ रु0) से सम्बन्धित शेष बकाया क्रमशः जिलों के उपायुक्त तथा अधीक्षण अभियन्ताओं के माध्यम से वसूली योग्य थे। वसूली हेतु की गई विशिष्ट कार्रवाई सूचित नहीं की गई (सितम्बर 2008)।

[11] आल इण्डिया रेडियो, इण्टेलीजेंस ब्यूरो, युनाईटिड कमर्शियल बैंक शिमला तथा रोहड़ू, पंजाब नैशनल बैंक, शिमला, मण्डी तथा किन्नौर, पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड, पटियाला।

8.	राज्य आबकारी	9.73	4.14	बकाया 1972-73 तथा इससे आगे के वर्षों से सम्बन्धित थे। 4.20 करोड़ रु० की मांगे भू-राजस्व के बकायों के रूप में प्रमाणित की गई थीं। 1 लाख रु० की वसूलियां उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित कर दी थी। 5 लाख रु० की मांगे बट्टे खाते में डाली जानी थीं। 5.47 करोड़ रु० के बकायों के सम्बन्ध में की गई विशिष्ट कार्रवाई सूचित नहीं की गई (सितम्बर 2008)।
9.	पदार्थों एवं सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क	3.75	1.27	बकाया 1989-90 तथा उससे आगे के वर्षों से सम्बन्धित थे। 1.38 करोड़ रु० की मांगे भू-राजस्व की वसूली के रूप में प्रमाणित की गई थीं। 18 लाख रु० की वसूलियां उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित कर दी गई। 2.19 करोड़ रु० के बकायों के सम्बन्ध में की गई विशिष्ट कार्रवाई सूचित नहीं की गई (सितम्बर 2008)।
10.	उद्योग (ग्रामीण व लघु उद्योग सहित)	5.26	1.09	बकाया 1979-80 तथा उससे आगे के वर्षों से सम्बन्धित थे। वसूली हेतु की गई विशिष्ट कार्रवाई सूचित नहीं की गई (सितम्बर 2008)।
11.	अलौह, खनन व धातुकर्म उद्योग	0.99	0.17	बकाया 1970-71 तथा उससे आगे के वर्षों से सम्बन्धित थे। वसूली हेतु की गई विशिष्ट कार्रवाई को सूचित नहीं किया गया (सितम्बर 2008)।
12.	भू-राजस्व	1.03	0.10	बकाया 1975-76 तथा उससे आगे के वर्षों से संबंद्ध थे। वसूली हेतु की गई विशिष्ट कार्रवाई सूचित नहीं की गई (सितम्बर 2008)।
13.	लोक निर्माण कार्य	0.25	0.10	बकायों से सम्बन्धित अवधि तथा वसूली हेतु की गई विशिष्ट कार्रवाई सूचित नहीं की गई है (सितम्बर 2008)।
योग		512.43	125.10	

1.6 बकाया निर्धारण

आबकारी तथा कराधान विभाग द्वारा प्रस्तुत किये गये वर्ष 2007-08 के आरम्भ में लम्बित निर्धारण, वर्ष में देय, वर्ष के दौरान निपटाए गए तथा वर्ष 2003-04 से 2007-08 तक प्रत्येक वर्ष में लम्बित निर्धारणों के मामलों की संख्या निम्नवत है:

राजस्व शीर्ष	वर्ष	अथ शेष	वर्ष 2007-08 के दौरान निर्धारणार्थ पाए गये मामले	कुल देय निर्धारण	वर्ष 2007-08 के दौरान निपटाये गये मामले	वर्षान्त पर बकाया मामले	निपटान की प्रतिशतता (कालम 5 से 6 की)
1	2	3	4	5	6	7	8
बिक्री व्यापार आदि पर कर	2003-04	97,271	58,390	1,55,661	49,492	1,06,169	32
	2004-05	1,06,169	61,266	1,67,435	55,733	1,11,702	33
	2005-06	1,11,702	65,968	1,77,670	76,491	1,01,179	43
	2006-07	1,01,179	32,832	1,34,011	61,251	72,760	46
	2007-08	72,760	36,675	1,09,435	45,361	64,074	41

उपर्युक्त तालिका सूचित करती है कि वर्ष 2003-04 से 2007-08 तक पूर्ण किए गए निर्धारणों की प्रतिशतता 32 तथा 46 के मध्य रही । शीर्ष के अन्तर्गत 31 मार्च 2008 को 64,074 मामलों में निर्धारण बकाया थे। चूंकि राज्य में अप्रैल 2005 से मूल्य वृद्धि कर (वैट) लागू किया गया है, विभाग को लम्बित निर्धारण समय बद्ध तरीके से पूर्ण कर लेने चाहिए ।

1.7 कर अपवंचन

आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा पता लगाए गए कर अपवंचन के मामले, अंतिम रूप दिए गए मामले तथा 2007-08 के दौरान अतिरिक्त कर की मांगों का ब्यौरा निम्नांकित है:

क्रमसं0	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2007 को लम्बित मामले	वर्ष 2007-08 के दौरान पता लगाये गये मामले	कुल मामले	वे मामले जिनमें निर्धारण/छानबीन पूर्ण कर ली गई तथा शास्ति आदि सहित की गई अतिरिक्त मांग		31 मार्च 2008 को लम्बित मामलों की संख्या
					मामलों की संख्या	मांग की राशि (लाख रू0)	
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	79	5,765	5,844	5,794	61.57	50
2.	राज्य आबकारी	1	451	452	448	21.41	4
3.	चुंगी एवं माल कर	802	4,398	5,200	4,900	46.85	300
4.	पदार्थों एवं सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क	9	895	904	897	53.28	7
	कुल योग	891	11,509	12,400	12,039	183.11	361

राजस्व की हानि के खतरे को कम करने के लिए इन मामलों का शीघ्र निपटान किया जाना आवश्यक है।

1.8 प्रत्यर्पण

विभाग द्वारा यथा सूचित वर्ष 2007-08 के आरम्भ में लम्बित प्रत्यर्पण मामलों की संख्या, वर्ष के दौरान प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान अनुमत प्रत्यर्पण तथा वर्ष 2007-08 की समाप्ति पर लम्बित मामले निम्नांकित हैं:

(करोड़ रूपए)

क्र० सं०	विवरण	बिक्री कर		राज्य आबकारी	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1.	वर्षारम्भ पर बकाया दावे	21	0.33	01	0.01
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	23	2.10	12	0.14
3.	वर्ष के दौरान किए गए प्रत्यर्पण	15	1.69	13	0.15
4.	वर्ष की समाप्ति पर बकाया शेष	29	0.74	..	..

यदि आदेश की तिथि के 90 दिनों के भीतर व्यापारी को आधिक्य राशि प्रत्यर्पित नहीं की जाती है तो हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम में एक प्रतिशत प्रतिमाह माह की दर से तथा उसके पश्चात 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से प्रत्यार्पण किए जाने तक ब्याज के भुगतान का प्रावधान है।

ब्याज के अधिदेशात्मक भुगतान का परिहार करने के लिए लम्बित प्रत्यर्पण मामलों की ओर ध्यान देना आवश्यक है।

1.9 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष 2007-08 के दौरान बिक्री व्यापार आदि पर कर, राज्य आबकारी, वाहन, माल एवं यात्री कर, वन प्राप्तियों, अन्य कर एवं कर-भिन्न प्राप्तियों से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जांच से 1,098 मामलों में 218.62 करोड़ रू0 की राशि के राजस्व के अवनिर्धारण/अल्पोद्ग्रहण/हानि तथा अन्य अभ्युक्तियां उद्घाटित हुई। वर्ष के दौरान विभागों ने 2007-08 में इंगित किये गये 187 मामलों में 42.55 करोड़ रू0 के अवनिर्धारण आदि स्वीकार किए अन्य मामलों के संदर्भ में उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।

एक समीक्षा सहित यह प्रतिवेदन कर, फीस, ब्याज तथा शास्ति, आदि के अनुद्ग्रहण, अल्पोद्ग्रहण से सम्बन्धित 105.05 करोड़ रू0 के 48 परिच्छेदों से अन्तर्विष्ट है। विभाग/सरकार द्वारा 5.96 करोड़ रू0 की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार कर ली गई हैं, जिनमें से 96.59 लाख रू0 जुलाई 2008 तक वसूल किये जा चुके थे।

1.10 उत्तरदायित्व निर्धारित करने तथा सरकार के हितों की रक्षा करने में वरिष्ठ कर्मचारियों की विफलता

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार लेन-देनों की नमूना जांच करने और महत्वपूर्ण लेखाकरण तथा अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण का सत्यापन करने के लिए सरकारी विभागों के आवधिक निरीक्षण करवाने की व्यवस्था करता है। इन निरीक्षणों का निरीक्षण प्रतिवेदनों के द्वारा अनुसरण किया जाता है। जब निरीक्षण के दौरान ध्यान में आई महत्वपूर्ण अनियमितताओं आदि का स्थल पर समायोजन नहीं किया जाता, निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अध्यक्षों को जारी किए जाते हैं जिसकी प्रति अगले उच्चतर प्राधिकारी

को दी जाती है। सरकार के वित्तीय नियमों/आदेशों में निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं तथा निरीक्षण के दौरान ध्यान में आई कमियों, विसंगतियों, आदि के लिए उत्तरदायित्व की अनुपालना करने हेतु सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए प्रधान महालेखाकार द्वारा जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तर कार्यकारी द्वारा शीघ्र दिए जाने का प्रावधान है। कार्यालयाध्यक्षों तथा उच्चतर प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट टिप्पणियों की अनुपालना करना तथा दोषों व चूकों को शीघ्र दूर करके उनकी अनुपालना से प्रधान महालेखाकार को अवगत करवाना अपेक्षित है। प्रधान महालेखाकार के कार्यालय द्वारा गम्भीर अनियमितताएं भी विभागाध्यक्षों के ध्यान में लाई जाती है। लम्बित प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट लेखापरीक्षा टिप्पणियों के अनुश्रवण हेतु लम्बित प्रतिवेदनों का अर्धवार्षिक प्रतिवेदन वित्तायुक्त एवं सचिव (वित्त) को भेजा जाता है।

31 दिसम्बर 2007 तक जारी राजस्व प्राप्तियों से सम्बन्धित निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षा टिप्पणियों की संख्या जो विभागों द्वारा 30 जून 2006, 30 जून 2007 तथा 30 जून 2008 को निपटानार्थ लम्बित थी, निम्नांकित है:

विवरण	30 जून के अन्त में स्थिति		
	2006	2007	2008
निपटानार्थ लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	3,052	3,209	3,377
बकाया लेखापरीक्षा टिप्पणियों की संख्या	7,135	7,586	8,085
अन्तर्ग्रस्त राजस्व राशि (करोड़ रूपए)	278.05	334.72	403.75

बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों में वृद्धि सरकारी अनुदेशों के अनुसार लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के उत्तर प्रेषित न करने तथा उन पर निर्धारित समय में आगामी कार्रवाई प्रतिवेदित न करने की द्योतक है।

30 जून 2008 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षा टिप्पणियों का विभागवार विखण्डन निम्नांकित है:

क्र0 सं0	विभाग	बकाया संख्या		लेखापरीक्षा टिप्पणियों की राशि (करोड़ रूपए)	टिप्पणियों से सम्बन्धित वर्ष	उन निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या जिनका अभी प्रथम उत्तर भी प्राप्त नहीं हुआ।
		निरीक्षण प्रतिवेदन	लेखापरीक्षा टिप्पणियां			
1.	राजस्व	836	1,589	15.70	1977-78 से 2006-07 तक	50
2.	वन कृषि एवं संरक्षण	578	1,682	198.21	1970-71 से 2006-07 तक	14
3.	आबकारी एवं कराधान	735	1,996	109.29	1973-74 से 2006-07 तक	11
4.	परिवहन	576	1,713	25.44	1972-73 से 2005-06 तक	14
5.	अन्य विभाग (सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य, लोक निर्माण, कृषि, बागवानी, सहकारिता, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा खनन)	652	1,105	55.11	1976-77 से 2006-07 तक	26
योग		3,377	8,085	403.75		115

जुलाई 2008 में बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों को जारी करने का मामला सरकार के मुख्य सचिव के ध्यान में लाया गया था। यह सिफारिश की जाती है कि सरकार मामले की जांच करे तथा यह सुनिश्चित करे कि निम्नलिखित मामलों में प्रक्रिया विद्यमान है:

- जो कर्मचारी निर्धारित समय अनुसूची के अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों/परिच्छेदों का उत्तर देने में विफल रहते हैं उनके विरूद्ध कार्रवाई;
- समयबद्ध ढंग से हानि वसूलने की कार्रवाई तथा;
- विभाग में लेखापरीक्षा आपत्तियों का समुचित उत्तर सुनिश्चित् करने हेतु पद्धति का संशोधन किया जाना।

1.11 विभागीय लेखापरीक्षा समितियों की बैठकें

हिमाचल प्रदेश सरकार के राजस्व प्राप्तियों पर निरीक्षण प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट बकाया लेखापरीक्षा टिप्पणियों के शीघ्र निपटान की दृष्टि से सरकार द्वारा वित्त विभाग की सिफारिशों पर विभागीय लेखापरीक्षा समितियों का गठन किया जाना था। इन समितियों की अध्यक्षता सम्बद्ध प्रशासकीय विभाग के विशेष सचिव/अतिरिक्त/संयुक्त सचिव द्वारा की जाती है और विभागाध्यक्ष/अन्य सम्बन्धित अधिकारी तथा कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश से उप-महालेखाकार इसमें सम्मिलित होते हैं।

बकाया लेखापरीक्षा टिप्पणियों के शीघ्र निपटानार्थ यह आवश्यक है कि लेखापरीक्षा समितियां वार्षिक रूप से बैठक करें तथा सुनिश्चित करें कि सभी बकाया लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर अंतिम कार्रवाई कर ली गई है। वर्ष 2007-08 के लिए राजस्व प्राप्तियों से सम्बन्धित 10 सरकारी विभागों में से चार विभागों ने लेखापरीक्षा समिति की बैठक करवाई। शेष विभागों के संदर्भ में वार्षिक बैठक से सम्बद्ध मामला पत्राचाराधीन था। बैठक में 57 परिच्छेदों का समायोजन कर दिया गया।

1.12 प्रारूप लेखापरीक्षा परिच्छेदों का राज्य सरकार द्वारा उत्तर

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा परिच्छेदों को प्रधान महालेखाकार द्वारा सम्बद्ध विभाग के प्रधान सचिवों/सचिवों को इस आशय से प्रेषित किया जाता है कि वे लेखापरीक्षा परिणामों की ओर ध्यान दें और उन्हें अपने उत्तर आठ सप्ताह के भीतर देने का अनुरोध किया जाता है। विभागों से उत्तर प्राप्त न होने के तथ्य लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित ऐसे प्रत्येक परिच्छेद की समाप्ति पर निरन्तर सूचित किए जाते हैं।

31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष हेतु प्रतिवेदन में सम्मिलित एक समीक्षा सहित उन्नचास प्रारूप परिच्छेदों (इस प्रतिवेदनों के 48 परिच्छेदों में सम्मिलित) को सम्बन्धित विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों के नाम से फरवरी तथा मई 2008 के मध्य भेजा गया था। विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों ने समीक्षा के सिवाय इन ड्राफ्ट परिच्छेदों के उत्तर स्मरणपत्रों के जारी करने के बावजूद (अगस्त 2008) भी नहीं भेजें । इन परिच्छेदों को विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों के बिना उत्तर के इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

1.13 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई-सारांशित स्थिति

दिसम्बर 2002 में अधिसूचित लोक लेखा समिति की आंतरिक कार्य प्रणाली में निर्धारित है कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को विधानसभा में प्रस्तुत करने के पश्चात् विभाग लेखापरीक्षा परिच्छेदों पर कार्रवाई करेगा और उस पर की जाने वाली कार्रवाई की व्याख्यात्मक टिप्पणियां सरकार द्वारा समिति के विचारार्थ प्रतिवेदन को पटल पर रखने के तीन महीनों के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए। इन प्रावधानों के बावजूद प्रतिवेदनों के लेखापरीक्षा परिच्छेदों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां अनियमित रूप से विलम्बित की जा रही

थी। 31 मार्च 2003, 2004, 2005 तथा 2006 को समाप्त वर्षों हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार के राजस्व प्राप्तियों पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में सम्मिलित 153 परिच्छेदों (समीक्षाओं सहित) में से चार[12] विभागों से 22 परिच्छेदों के सम्बंध में की जाने वाली कार्रवाई की व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई थी यद्यपि इन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को 27 फरवरी 2004 तथा 3 अप्रैल 2007 के मध्य विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था।

1.14 पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में अनुपालना

2002-03 से 2006-07 तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में चित्रित किए गए परिच्छेदों के संदर्भ में विभाग/सरकार ने 167.87 करोड़ रू0 से अन्तर्निहित अभ्युक्तियां स्वीकार की जिनमें से 31 मार्च 2008 तक 79.01 करोड़ रू0 वसूल किए गए थे जो निम्नांकित है:

(करोड़ रूपए)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	कुल मौद्रिक लागत	स्वीकार की गई मौद्रिक लागत	की गई वसूली
2002-03	80.37	48.96	44.54
2003-04	107.31	38.20	1.59
2004-05	54.39	7.11	1.89
2005-06	58.32	12.32	0.28
2006-07	82.38	61.28	30.71
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
कुल योग	382.77	167.87	79.01

1.15 अधिनियमों/नियमों में संशोधन

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) वर्ष 2002-03 के परिच्छेद संख्या 6.2 तथा 2003-04 के परिच्छेद संख्या 5.2 में लेखापरीक्षा निष्कर्षों को सम्मिलित करने के आधार पर राज्य सरकार ने 19 अक्तूबर 2004 की अधिसूचना द्वारा हिमाचल प्रदेश वन उत्पादक पारगमन (लैंड रूटस) नियम 1978, (मद संख्या 52 तथा 53 के लिए) में संशोधित किया।

[12] 2004-05 राजस्व तथा लोक निर्माण विभाग।
2005-06 वन कृषि एवं भू-संरक्षण, राजस्व, लोक निर्माण तथा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग।

दूसरा अध्याय: बिक्री, व्यापार आदि पर कर

2.1 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष 2007-08 के दौरान लेखापरीक्षा में बिक्री कर निर्धारणों तथा अन्य अभिलेखों की नमूना जांच में 82.45 करोड़ रू0 की राशि के कर के अल्प निर्धारण, शास्ति के अनुदग्रहण आदि से सम्बन्धित 239 मामले उद्घाटित हुए जो स्पष्टत: निम्नवत् श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं:

(करोड़ रूपए)

क्र0सं0	विवरण	मामलों की संख्या	राशि
1.	औद्योगिक इकाइयों को अनियमित/गलत रियायत छूट इत्यादि	10	66.35
2.	क्रय/विक्रय छिपाने के कारण कर का अपवंचन	24	5.37
3.	कर का अवनिर्धारण	103	3.09
4.	बिक्रीकर जमा न करवाना	04	1.09
5.	व्यापारियों का पंजीकरण न करने के कारण कर का अनुदग्रहण	04	0.79
6.	अन्य अनियमितताएं	94	5.76
योग		239	82.45

वर्ष 2007-08 के दौरान विभाग ने 17 मामलों में 1.26 करोड़ रू0 के अवनिर्धारण स्वीकार किए जो कि पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा में इंगित किए गए थे।

68.24 करोड़ रू0 से अन्तर्ग्रस्त कुछ उदाहरणार्थ मामले आगामी परिच्छदों में दिए गए हैं।

2.2 त्रुटिपूर्ण स्टेशनरी फार्मों की स्वीकृति

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत केन्द्रीय बिक्री कर की दर में रियायत लेने के लिए क्रय करने वाले व्यापारी द्वारा 'सी' घोषणा पत्र जिसे 'मूल प्रति' चिन्हित किया गया हो तथा जो सभी प्रकार से पूर्ण हो, (जैसे कि क्रय करने वाले की पंजीकरण संख्या, जारी करने की तारीख, क्रय आदेश की संख्या तथा दिनांक आदि) प्रस्तुत किया जाना चाहिए। न्यायिक तौर पर यह फैसला दिया[1] गया है कि घोषणा पत्र की प्रस्तुति अनिवार्य है तथा गुम हुए घोषणा पत्र की जगह उसकी दूसरी प्रति का प्रमाण प्रस्तुत करना अनुमत नहीं हो सकता। यह भी निर्णय दिया गया[2] कि कर की दर में रियायत का दावा करने हेतु घोषणा पत्र का कपटपूर्वक प्रचालन करने एवं सांठ-गांठ करके उसका दुरूपयोग रोकने के लिए 'सी' घोषणा पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत किसी पंजीकृत व्यापारी द्वारा माल निर्यात करने हेतु पूर्ण रूप से भरे गये तथा निर्यातो द्वारा हस्ताक्षरित 'एच' फार्म के आधार पर विक्रेता व्यापारी की टर्नओवर से निर्यात संबधी बिक्री की कटौती अनुमत है। इसी प्रकार शाखा स्थानांतरण अथवा प्रेषण बिक्री में छूट का दावा करने वाले व्यापारी को माल स्थानांतरण अथवा राज्य के बाहर माल प्रेषण के संदर्भ में माल का विवरण, रेल-प्राप्ति, माल-प्राप्ति, रेल/परिवहन कम्पनी का नाम आदि घोषणा पत्र 'एफ' में अभिलेखित किया जाना चाहिए। फार्म 'एफ' में एक कलैंडर माह में व्यापारी द्वारा राज्य के बाहर अपने व्यापार के किसी अन्य स्थान अथवा अपने एजैंट या मुखिया को, जो भी लागू हो, माल का स्थानांतरण आवृत किया जाता है।.

मार्च 2008 तथा मई 2008 के दौरान पांच जिलों के अभिलेखों की नमूना जांच से उदघाटित हुआ कि 69 औद्योगिक इकाइयों के मामले में निर्धारण अधिकारियों ने दोषपूर्ण/अपूर्ण घोषणा पत्र स्वीकार करके उनकी टर्नओवर में रियायत/छूट अनुमत की थी। इसके परिणाम स्वरूप 30.20 करोड़ के कर का अल्पोद्ग्रहण हुआ जो कि निम्नवत है:

---

1 बिक्री कर आयुक्त बनाम प्रभूदयाल प्रेम नारायण (1988)71 एसटीसी-1(एस सी)।

2 देहली औटोमोबाइल प्राईवेट लिमिटड बनाम बिक्रीकर आयुक्त (1997) 104 एसटीसी 75(एस सी)।

(करोड़ रूपए)

क्र० सं०	सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्त का नाम	औद्योगिक इकाइयों की संख्या	निर्धारण वर्ष/ मास	अनियमितता की किस्म	सकल टर्नओवर	उद्ग्राह्य कर	उदगृहीत कर	अल्पोदग्रहण
1	कांगड़ा, मण्डी, सोलन तथा ऊना	36	1999-2000 से 2004-05 तक अप्रैल 2002 से दिसम्बर 2007 तक	दोषपूर्ण घोषणा पत्र 'सी' 'एच' तथा 'एफ'	255.87	25.96	शून्य	25.96
2	सिरमौर तथा सोलन	14	2001-02 से 2004-05 तक मार्च 2004 से सितम्बर 2007	'सी' फार्म की द्वितीयक फोटो कापी	23.28	2.54	0.23	2.31
3	सिरमौर तथा सोलन	6	1998-99 से 2003-04 तक अक्तूबर 2005 तथा फरवरी 2008	अवैध 'एफ' फार्म	5.90	0.62	शून्य	0.62
4	कांगड़ा, मण्डी तथा ऊना	5	2002-03 से 2006-07 तक अप्रैल 2003 से मार्च 2007 तक	'एफ' फार्म प्राप्त किए बिना	3.55	0.23	शून्य	0.23
5	कांगड़ा, सिरमौर तथा सोलन	8	2002-03 से 2006-07 तक सितम्बर 2006 से फरवरी 2008 तक	माल ऐसे स्थानों को स्थानांतरित किया गया जो पंजीकरण प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट नहीं थे।	9.05	1.08	शून्य	1.08
	योग	69			297.65	30.43	0.23	30.20

मामला विभाग तथा सरकार को जून 2008 में सूचित किया गया था; उनका उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं नहीं हुआ है (सितम्बर 2008)।

2.3 अनुचित छूट

हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1968 की सूची 'ख' की मद संख्या 66 के अनुसार विद्यमान[3] इलाक्ट्रानिक इकाइयों को पुर्जे जोड़ कर संयोजित किए गए इलैक्ट्रानिक माल की बिक्री पर निश्चित शर्तों के अधीन कर के उदग्रहण में छूट दी जाती है। निर्धारित शर्तों में से एक शर्त यह है कि पुर्जे जोड़ने पर संयोजन की लागत 25 प्रतिशत या इससे अधिक हो। नई[4] इलैक्ट्रानिक औद्योगिक इकाई तथा इलैक्ट्रानिक संयोजक इकाईयों के संदर्भ में यदि संयोजन की वृद्धि लागत 14 प्रतिशत से अधिक हो तो छूट अनुमत है। प्रयुक्त शब्दों "विद्युतीय ऊर्जा के उत्पादन एवं वितरण में प्रयोग किया गया सामान" के विषय में यह न्यायिक तौर पर निर्णित[5] है कि उपर्युक्त में 'इन' यूजड इन (में प्रयोग किया गया) शब्द (शब्दों) की प्रयुक्ति उन मालों के रूप में परिभाषित है जो विद्युत के उत्पादन एवं वितरण में प्रत्यक्षतः प्रयोग किए जाते हैं। आबकारी तथा कराधान विभाग द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि मूल्य वृद्धि निश्चित करने में किस प्रकार के खर्चों की गणना की जानी चाहिए तथा इसे निर्धारण अधिकारियों के विवेकाधार पर छोड़ दिया।

3 जिन इकाइयों ने 31 जुलाई 1992 तथा 30 सितम्बर 1996 के दौरान उत्पादन आरम्भ किया।
4 जिन इकाइयों ने 1 अक्तूबर 1996 तथा 31 मार्च 1999 के दौरान उत्पादन आरम्भ किया।
5 स्पैडिंग हिंगा सिंह कम्पनी बनाम पंजाब सरकार।

सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सोलन के लेखों की नमूना जांच से मार्च 2008 तथा अप्रैल 2008 में पता चला कि निर्धारण अधिकारी ने मई 2001 तथा मार्च 2005 के मध्य पूर्जे संयोजन करने वाली एक इलैक्ट्रॉनिक इकाई[6] जिसने मई 1995 में उत्पादन आरम्भ किया था, वर्ष 1998-99 से 2001-02 तक की अवधि के लिए उसकी 62.75 करोड़ रू0 की बिक्री पर कर की अदायगी से छूट दी थी। इकाई द्वारा इन वर्षों में पूर्जे संयोजन करने की मूल्यवृद्धि 14.23 तथा 14.82 प्रतिशत के मध्य उदघाटित की गई थी जो 25 प्रतिशत से कम थी। निर्धारण अधिकारी ने उस इकाई को विद्यमान इलैक्ट्रानिक संयोजक इकाई के बदले नई संयोजक इलैक्ट्रानिक इकाई के रूप में मान लिया। इसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित 8.17 करोड़ रू0 के कर का अवनिर्धारण हुआ।

एक अन्य इलैक्ट्रानिक संयोजक इकाई[7] जो जनवरी 1998 से उत्पादन में आई के मामले में यह पता चला कि उसने 84.61 करोड़ रू0 के मूल्य की बिक्री पर छूट का दावा किया जो कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जुलाई 2005 में अनुमत कर दिया गया। न्यायिक स्पष्टीकरण के आधार पर इस मामले में मूल्य वृद्धि 2.53[8] प्रतिशत संगणित की गई जो कि निर्धारित 14 प्रतिशत मूल्य वृद्धि से कम थी। विभाग द्वारा समोचित स्पष्टीकरण न लिए जाने के अभाव में निर्धारण अधिकारी द्वारा ठीक मूल्य वृद्धि निश्चित नहीं की जा सकी। इसके परिणामस्वरूप 13.14 करोड़ रू0 के कर का अवनिर्धारण हुआ।

मामला जून 2008 में विभाग तथा सरकार को सूचित किया गया था; उनका उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2008)।

2.4 अनियमित रियायत

हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत औद्योगिक इकाईयों को छूट/रियायत उपलब्ध है यदि इकाईयों द्वारा संबद्ध निर्धारण अधिकारी के पास आबकारी तथा कराधान विभाग द्वारा निर्धारित फार्म-I[9] में वास्तविकता सम्बन्धी प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाता है।

मार्च 2008 तथा मई 2008 के मध्य पांच[10] जिलों के अभिलेखों की नमूना जांच से उदघाटित हुआ कि निर्धारण अधिकारियों द्वारा नवम्बर 2002 तथा नवम्बर 2007 के दौरान 70 मामलों में वर्ष 1999-2000 से 2005-06 तक की अवधि के लिए 231.26 करोड़ रू0 की टर्नओवर को अन्तिम रूप देते समय उद्योग विभाग से वास्तविकता सम्बन्धी प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना छूट/रियायत अनुमत कर दी। इसके फलस्वरूप 9.36 करोड़ रू0 के कर की अनियमित रियायत अनुमत हुई।

मामला जून 2008 में विभाग तथा सरकार को सूचित किया गया था; उनका उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2008)।

2.5 अनियमित 'सैट ऑफ' (कर समायोजन) के कारण अवनिर्धारण

हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर, अधिनियम की धारा-42 ग के अन्तर्गत व्यापारी अपने अन्तिम उत्पाद की बिक्री में परिसज्जित उत्पाद के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर उसके द्वारा क्रय के समय दिए गए कर के बराबर कर का सैट ऑफ लेने का हकदार है। सैट आफ अनुमत करने हेतु हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम जैसा कोई प्रावधान केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत नहीं है।

---

6 मैसर्ज प्रोव्यू इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटड परवाणू।

7 मैसर्ज ओ के इन्डस्ट्रीज परवाणू।

8 (क) उपयोग किया गया कच्चा माल 63.95 करोड़ रू0
(ख) विनिर्माण में फैक्टरी सम्बन्धी व्यय हुये 1.62 करोड़ रू0
मूल्य वृद्धि प्रतिशतता ख/क X 100 = 2.53 प्रतिशत

9 वास्तविक हिमाचली तैयार किये जाने के विवरण से अन्तर्विष्ट फार्म-I (प्रमाण पत्र)।

10 कांगड़ा, मण्डी, सिरमौर, सोलन तथा ऊना।

मार्च 2008 तथा अप्रैल 2008 के दौरान सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त सोलन के अभिलेखों की नमूना जांच करते समय यह पता चला कि अप्रैल 2006 तथा फरवरी 2008 के मध्य वर्ष 2001-02 से 2003-04 तक की अवधि के लिए दो औद्योगिक इकाइयों के निर्धारणों को अन्तिम रूप देते समय केन्द्रीय कर अधिनियम के अन्तर्गत 1.76 करोड़ रू0 के कर का अनुचित सैट ऑफ सम्बन्धी समायोजन अनुमत किया। इसके परिणामस्वरूप 1.76 करोड़ रू0 का अवनिर्धारण हुआ।

मामला जून 2008 में विभाग तथा सरकार को सूचित किया गया था; उनका उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2008)।

2.6 कच्चे माल पर अनियमित रियायत

फरवरी 1992 की अधिसूचना के अनुसार विद्यमान/नई औद्योगिक इकाई द्वारा बिक्री के लिए विनिर्माण अथवा माल के तैयार करने और बण्डल बनाने में कच्चे माल की बिक्री पर एक रूपये में एक पैसा की दर से निश्चित शर्तों के अधीन कर उदगृहीत तथा अदा किया जाएगा। कर की रियायत दर प्राप्त करने के लिए एक शर्त यह है कि क्रय करने वाला व्यापारी विक्रय करने वाले व्यापारी को एस टी **xxvi-बी**[11] फार्म में एक प्रमाणपत्र जारी करेगा जिसकी अनुपस्थिति में पूरी दर पर कर उदगृहीत होगा।

दो जिलों (कांगड़ा तथा ऊना) की पांच औद्योगिक इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जांच जिनके वर्ष 2001-02 से 2004-05 तक के कर निर्धारण सितम्बर 2005 और जून 2007 के मध्य पूर्ण हुए, से पता चला कि निर्धारण अधिकारियों द्वारा वांछित प्रमाणपत्र के बिना 17.22 करोड़ रू0 की बिक्री पर रियायती एक प्रतिशत की दर से कर अनुमत किया गया। इसके परिणामस्वरूप 1.20[12] करोड़ रू0 के कर का अवनिर्धारण हुआ।

मामला जून 2008 में विभाग तथा सरकार को सूचित किया गया था; उनका उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2008)।

2.7 बिक्री कर जमा न करवाना

हिमाचल प्रदेश बिक्री कर नियम, 1970 में निर्माण कार्यों में संलग्न संविदाकारों के बिलों से दो प्रतिशत की दर से भुगतान के समय बिक्री कर की कटौती करने का प्रावधान है तथा कटौती करने वाला व्यक्ति सम्पूर्ण माह में काटी गई राशियां आगामी माह की 15 तारीख अथवा इसके पहले सरकारी कोष में जमा करवाने हेतु उत्तरदायी है। एकत्रित किए गए कर को जमा न करवाने की दशा में निर्धारित अधिकारी सम्बद्ध व्यक्ति को सुनवाई का उचित मौका देने के बाद शास्ति की राशि अदा करने का लिखित रूप में आदेश जारी करेगा जो काटे गए कर की दोगुना राशि से अधिक न हो।

दो[13] लोक निर्माण मण्डलों के अभिलेखों की नमूना जांच से मई 2007 तथा सितम्बर 2007 के मध्य पता चला कि 2000-01 तथा 2007-08 के मध्य (31 अगस्त 2007 तक) की कालावधि में संविदाकारों के बिलों से अदायगी के समय काटी गई बिक्री कर से सम्बद्ध 94.78 लाख रू0 की राशि बिक्री कर पावती शीर्ष के अन्तर्गत खजाने में जमा नहीं करवाई गई थी।

मई तथा सितम्बर 2007 के दौरान मामलों को इंगित किए जाने के पश्चात इन लोक निर्माण मण्डलों ने फरवरी 2008 तथा मार्च 2008 में बताया कि 34.26 लाख रू0 जमा करवा दिए गए थे। इसके अतिरिक्त काजा मण्डल ने यह भी बताया कि बकाया 40.26 लाख रू0 की शेष राशि को निधियां प्राप्त होने पर जमा करवा दिया जाएगा

---

11 रियायत प्राप्त करने हेतु कच्चे माल के क्रय के विवरण से अन्तर्विष्ट फार्म।

12 कांगड़ा: 15 लाख रू0 तथा ऊना: 1.05 करोड़ रू0 ।

13 जुब्बल तथा स्पिति स्थित काजा।

जबकि जुब्बल मण्डल ने बताया कि शेष 20.26 लाख रू0 जमा करवा दिए जाएंगे। वसूली तथा आगामी प्रगति सम्बन्धी प्रतिवेदन अभी तक (सितम्बर 2008) प्राप्त नहीं हुआ है।

मामला जून 2007 तथा अक्तूबर 2007 में विभाग तथा सरकार को सूचित किया गया था; उनका उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2008)।

2.8 अनुचित कटौती के कारण अवनिर्धारण

राज्य के भीतर की गई बिक्री हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत आती है। हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर नियमावली के नियम 31(xii) के अन्तर्गत पंजीकृत व्यापारी अपनी कर योग्य बिक्री निकालने के लिए परिसज्जित माल के विनिर्माण में प्रयुक्त माल जिस पर अधिनियमानुसार पहले ही कर का भुगतान किया जा चुका है, के क्रय मूल्य को घटा सकता है। अन्तर्राज्यीय बिक्री केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियमाधीन व्यवस्थित होती है तथा हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम/नियमों की तरह उस अधिनियम में कटौती का लाभ अनुमत करना लागू नहीं होता। इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यापारी निर्धारित तिथि तक देय कर का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह देय कर पर एक माह तक एक प्रतिशत की दर से तथा उसके पश्चात जब तक चूक जारी रहे, डेढ़ प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज के भुगतान के लिए उत्तरदायी हो जाता है।

मार्च 2008 और मई 2008 के मध्य अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि सिरमौर तथा ऊना जिलों की छः औद्योगिक इकाइयों के 1998-99 से 2004-05 तक की अवधि के निर्धारणों को अन्तिम रूप देते समय (जुलाई 2002 और मार्च 2007 के मध्य) निर्धारण अधिकारियों ने 43.36 करोड़ रू0 की अन्तर्राज्जीय बिक्री से 4.58 करोड़ रू0 के क्रय मूल्य से युक्त कर प्रदत्त माल पर अनुचित छूट अनुमत कर दी। इसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित 88 लाख रू0[14] के कर का अवनिर्धारण हुआ।

मामला जून 2008 में विभाग तथा सरकार को सूचित किया गया था; उनका उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2008)।

2.9 कर का अल्पोद्ग्रहण

जुलाई 1999 की अधिसूचनानुसार नए ग्रामीण उद्यमों तथा नए लघु उद्यमों को चलाने वाले व्यापारियों द्वारा विनिर्मित माल के संदर्भ में बिक्री कर हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत अधिसूचित बिक्री कर के 25 प्रतिशत की दर से इस शर्त के आधार पर उद्गृहीत होना था कि औद्योगीकरण में पिछड़े क्षेत्र में स्थित इकाइयों की वार्षिक बिक्री 60 लाख रू0 तथा औद्योगीकरण के लिए विकासशील क्षेत्रों में स्थित इकाइयों की वार्षिक बिक्री 45 लाख रू0 से अधिक न हो गई हो।

पांच[15] सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों के अभिलेखों की नमूना जांच से मार्च 2008 तथा मई 2008 के दौरान उद्घाटित हुआ कि अप्रैल 2003 तथा मार्च 2007 के मध्य कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा 13 औद्योगिक इकाइयों के निर्धारणों को अन्तिम रूप देते समय कर की रियायती दर लागू कर दी, यद्यपि उनकी वार्षिक बिक्री निर्धारित सीमा से बढ़ गई थी। 14 मामलों में निर्धारण प्राधिकारियों ने कर की गलत रियायती दर लागू की। इसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित 81.60 लाख रू0 के बिक्री कर का अल्पोद्ग्रहण हुआ, जैसा कि नीचे दिया गया है:

---

14 सिरमौर: 85 लाख रू0 तथा ऊना: 3 लाख रू0।

15 कांगड़ा, मण्डी, शिमला, सोलन तथा ऊना।

(लाख रू0)

क्र0सं0	जिले का नाम	कालावधि/निर्धारण की तिथि	औद्योगिक इकाइयों की संख्या	अनियमितता की किस्म	कर प्रभाव
1	कांगड़ा, शिमला, सोलन तथा ऊना	1999-2000 से 2004-05 तक नवम्बर 2004 तथा दिसम्बर 2006 के मध्य	13	हल्दी पाउडर, ईंटे इत्यादि के विनिर्माण में लगे व्यापारियों की वार्षिक बिक्री निर्धारित 45/60 लाख रू0 की विहित सीमा से बढ़ गई। निर्धारण अधिकारियों ने निर्धारणों को अन्तिम रूप देते समय 19.41 करोड़ रू0 की बिक्री पर कर की अनुचित 25 प्रतिशत रियायती दर लगाकर उद्ग्रहण कर लिया।	72.58
2.	कांगड़ा, मण्डी, शिमला, सोलन तथा ऊना	1999-2000 से 2004-05 तक अप्रैल 2003 तथा मार्च 2007 के मध्य	14	5.96 करोड़ रू0 के टर्नओवर के बदले 6.44 करोड़ रू0 के टर्नओवर पर 25 प्रतिशत की अनुचित रियायती दर लागू कर दी।	9.02
		योग	27		81.60

मामला जून 2008 में विभाग तथा सरकार को सूचित किया गया था; उनका उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2008)।

2.10 व्यापारियों को पंजीकृत न किए जाने के कारण कर का उद्ग्रहण न करना

हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1968 की धारा 2के अन्तर्गत "किसी व्यापारी" का अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो (नियमित रूप से अथवा अन्यथा) अपने व्यापार से सम्बन्धित माल के क्रय, विक्रय या आपूर्ति अथवा वितरण के लिए नकदी, आस्थगित भुगतान या कमीशन या मानदेय के रूप में उसका प्रतिफल लेता है। इसके अतिरिक्त व्यापारी का उत्तरदायित्व है कि वह पंजीकृत हो एवं कर का भुगतान करे, यदि 23 अप्रैल 1999 से प्रभावी नियमानुसार उसकी वार्षिक सकल कर योग्य टर्नओवर 4 लाख रू0 से बढ़ जाए। यदि कोई व्यापारी निर्धारित तिथि तक देय कर का भुगतान करने में असमर्थ रहता है तो वह देय कर पर एक माह तक एक प्रतिशत की दर से तथा उसके पश्चात जब तक चूक जारी रहे, 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा। खैर की लकड़ी जो एक विशिष्ट मद है, 2001-02 तक 12 प्रतिशत की सामान्य दर से कर योग्य थी।

सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्त, ऊना के एक व्यापारी की केस फाइल से लेखापरीक्षा द्वारा एकत्रित की गई सूचना के तीन[16] सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों के अभिलेखों के साथ प्रतिसत्यापन से उद्घाटित हुआ (अप्रैल तथा सितम्बर 2007 के मध्य) कि इन जिलों के 12 आपूर्तिकर्ताओं द्वारा 2000-01 तथा 2001-02 के दौरान 2.54 करोड़ रू0 के मूल्य की खैर की लकड़ी ऊना जिले की एक फर्म[17] को बेची गई थी। इन सभी व्यापारियों की वार्षिक बिक्री 4 लाख रू0 से बढ़ गई थी। परन्तु उनमें से किसी ने भी पंजीकरण हेतु आवेदन नहीं किया था। यद्यपि विभाग के पास खैर की लकड़ी के विक्रय के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध थी, विभाग भी अपंजीकरण से सम्बन्धित इन मामलों का पता लगाने में असफल रहा। इस कालावधि में व्यापारियों द्वारा कोई कर जमा नहीं करवाया गया था। इसके परिणामस्वरूप मई 2001 तथा सितम्बर 2007 की कालावधि के लिए 32.68 लाख रू0 के ब्याज के अतिरिक्त 30.52 लाख रू0 के कर का अनुद्ग्रहण हुआ।

---

16 बिलासपुर: पांच मामले: 33.35 लाख रू0; हमीरपुर: चार मामले: 15.89 लाख रू0 तथा सोलन: तीन मामले: 13.96 लाख रू0।

17 मैसर्ज महेश उद्योग,, ओयल, जिला ऊना।

इन मामलों को अप्रैल तथा सितम्बर 2007 के मध्य इंगित किए जाने पर पर अपर आबकारी तथा कराधान आयुक्त ने फरवरी 2008 में बिलासपुर के मामले में बताया कि सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्त को शीघ्रातिशीघ्र मामलों का निपटान करने के निर्देश दिये गए हैं (फरवरी 2008)। सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों से आगामी प्रगति तथा उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (सितम्बर 2008)।

मई तथा अक्तूबर 2007 के मध्य मामला विभाग तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2008)।

2.11 कर की गलत दर लागू करना

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत जुलाई 1978 में जारी की गई अधिसूचना अनुसार 'सी'[18] फार्म प्रस्तुत किये जाने की शर्त पर पहले पांच वर्षों हेतु एक प्रतिशत की दर से तथा पांच वर्षों के द्वितीय चरण हेतु दो प्रतिशत की दर से बिक्री कर का उद्ग्रहण किया जायेगा। उपर्युक्त अधिसूचना 1992 में निरस्त कर दी गई, जिसके अनुसार जिन लघु उद्योग इकाइयों ने निरस्त अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय बिक्री कर की अदायगी करना आरम्भ कर दिया है, वे दो प्रतिशत की दर से असमाप्त अवधि के शेष भाग के लिए केन्द्रीय बिक्री कर की अदायगी निरन्तर रखेंगे।

दो सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों के अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि चार औद्योगिक इकाइयों के निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय कर निर्धारण अधिकारियों ने 16.01 करोड़ रू0 की बिक्री पर कर की गलत दर लागू कर दी। इसके परिणामस्वरूप 39.46 लाख रू0 के कर का अल्पोद्ग्रहण हुआ जैसे कि नीचे दिया गया है:

(लाख रू0)

क्रमांक	जिले का नाम	कालावधि/निर्धारण की तिथि	औद्योगिक इकाइयों की संख्या	अनियमितता की किस्म	राशि
1.	सिरमौर	1997-98 तथा 1998-99 तक सितम्बर 2006	1	वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 हेतु 5.61 करोड़ रू0 की बिक्री पर अन्तर्राज्यीय बिक्री के लिए दो प्रतिशत के बजाय एक प्रतिशत की गलत दर लागू की गई।	14.70
2.	सिरमौर तथा सोलन	1994-95 से 1999-2000 तक जनवरी 2004 और दिसम्बर 2007	3	निर्धारण प्राधिकारियों ने दूसरे पांच वर्षों की अवधि हेतु 10.40 करोड़ रू0 की बिक्री पर दो प्रतिशत के बजाय एक प्रतिशत की गलत दर उद्ग्रहीत की।	24.76
	योग		4		39.46

मामला जून 2008 में विभाग तथा सरकार को सूचित किया गया था; उनका उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2008)।

2.12 रियायत वापिस न लेना

हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम, की सूची बी के अनुसार इलैक्ट्रानिक माल का विनिर्माण करने वाली इकाइयां जो औद्योगिक खण्ड की श्रेणी 'ग' में पड़ती हों, वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ करने की तिथि से पांच वर्षों के लिए बिक्री कर की अदायगी से छूट की हकदार हैं। दिसम्बर 1994 तथा जनवरी 1997 की

[18] क्रय करने वाले व्यापारी द्वारा बिक्री व्यापारी को अंतर्राज्यीय बिक्री के समय जारी किए जाने वाला यह एक घोषणापत्र है।

अधिसूचना के अनुसार औद्योगिक खण्ड 'ख' श्रेणी में पड़ने वाली लघु/छोटी श्रेणी की औद्योगिक इकाइयां सात/नौ वर्षों हेतु तथा औद्योगिक खण्ड 'ग' श्रेणी में पड़ने वाली इकाइयां छः वर्षों हेतु एक प्रतिशत कर की रियायती दर से कर के भुगतान की हकदार हैं। इसके अतिरिक्त जुलाई 1999 की अधिसूचना के अनुसार औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों तथा औद्योगीकरण में विकासशील क्षेत्रों के लिए क्रमशः आठ तथा पांच वर्षों की अवधि हेतु विनिर्दिष्ट दर की 25 प्रतिशत रियायती दर उपलब्ध होगी। तथापि विभाग द्वारा यह निश्चित करने के लिए कोई अनुश्रवण तन्त्र/जांच सूची निर्धारित नहीं की गई थी कि इन प्रेरणादायक स्कीमों का लाभार्जन स्वीकार्य कालावधि से अधिक अनुमत नहीं हो जाए।

चार[19] सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों के अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि नौ औद्योगिक इकाइयों के वर्ष 1999-2000 से 2004-05 तक के निर्धारणों को अगस्त 2002 तथा जून 2007 के मध्य अन्तिम रूप देते समय निर्धारण अधिकारियों द्वारा 3.36 करोड़ रू0 की बिक्री पर रियायती कालावधि के पश्चात की बिक्री हेतु गलत रूप से रियायती कर की दर लागू की। इसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित 32.18 लाख रू0 के बिक्री कर की अनियमित रियायत अनुमत हुई।

मामला जून 2008 में विभाग तथा सरकार को सूचित किया गया था; उनका उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2008)।

2.13 बिक्री छिपाने के कारण कर का अपवंचन

हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम की धारा 12(7) के अन्तर्गत यदि किसी व्यापारी ने बिक्री अथवा क्रय को छिपाने की धारणा से अपने लेखाओं का मिथ्या अथवा गलत अनुरक्षण कर रखा है तो वह शास्ति के रूप में (निर्धारित किए गए उसके कर के अतिरिक्त) जो कि 25 प्रतिशत से कम न हो परन्तु उसकी कर देयता के डेढ़ गुणा से अधिक न हो, अदायगी करने के लिए उत्तराधिकारी होगा। यदि व्यापारी निर्धारित तिथि तक कर की अदायगी करने में विफल रहता तो वह निर्धारित दरों पर ब्याज के भुगतान के लिए उत्तरदायी हो जाता है।

नाहन स्थित सिरमौर के सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्त के अभिलेखों की लेखापरीक्षा से दिसम्बर 2006 में पता चला कि एक फर्म[20] ने 2000-01 तथा 2001-02 के दौरान कांगड़ा तथा सोलन जिलों के पांच व्यापारियों से 92.70 लाख रू0 के मूल्य की खैर-लकड़ी क्रय की। लेखापरीक्षा द्वारा दोनों सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों के अभिलेखों से उक्त सूचना के प्रतिसत्यापन से उद्घाटित हुआ कि कांगड़ा जिला के व्यापारियों ने 68.78 लाख रू0 की बिक्री अपनी विवरणियों में निरूपित नहीं की थी जबकि सोलन जिले के व्यापारियों ने केवल 16.69 लाख रू0 (23.92 लाख रू0 की बिक्री में से) की बिक्री प्रदर्शित की थी तथा तदनुसार ही निर्धारण किया गया था। परिणामतः 76.01 लाख रू0 की कर योग्य बिक्री निर्धारण के लिए रह गई। निर्धारण अधिकारी इन व्यापारियों के वर्ष 2000-01 तथा 2001-02 के निर्धारणों को अन्तिम रूप देते समय (सितम्बर 2003 तथा अप्रैल 2007 के मध्य) छिपाई गई बिक्री का पता लगाने में असफल रहे। इसके फलस्वरूप 8.83 लाख रू0 के ब्याज तथा 2.28 लाख रू0 की न्यूनतम शास्ति सहित 20.23[21] लाख रू0 के कर का अपवंचन हुआ।

मामला जुलाई तथा अक्तुबर 2007 में विभाग तथा सरकार को सूचित किया गया था; उनका उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2008)।

---

19 कांगड़ा, कुल्लू, सोलन तथा ऊना।

20 मैसर्ज़ सागर कत्था उद्योग, काला अम्ब।

21 कांगड़ा: तीन; 18.26 लाख रू0 तथा सोलन: दो; 1.97 लाख रू0।

2.14 कर का अवनिर्धारण

हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम की धारा 2 (एम) के अन्तर्गत "टर्नओवर" (सकल बिक्री)में किसी व्यापारी द्वारा दी गई अवधि के दौरान वास्तव में बेची तथा खरीदी गई समस्त राशि शामिल है। किसी पंजीकृत व्यापारी की कर योग्य बिक्री निकालने की हेतु उसकी सकल टर्नओवर में से पंजीकृत व्यापारियों को की गई कर रहित/कर दत्त बिक्री घटा दी जाती है, बशर्ते इसकी घोषणा निर्धारित प्रपत्रो में प्रस्तुत की जाती हो। आबकारी तथा कराधान विभाग की 23 जुलाई 1999 की अधिसूचना के अनुसार औद्योगिक रूप से पिछले क्षेत्रों में स्थित कोई नई औद्योगिक लघु इकाई वाणिज्यिक उत्पादन करने की तिथि से लेकर आठ वर्षों हेतु कर की विनिर्दिष्ट दर के 25 प्रतिशत दर के लिए रियायत की हकदार थी। यह रियायत तभी प्राप्य थी यदि इकाई की वार्षिक बिक्री 60 लाख रू0 से न बढ़ जाती हो। कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा व्यापारियों के लेखों की जांच करते समय व्यापारियों के बिक्रयों की उसके क्रयों से मेले करने तथा व्यापारियों द्वारा अपनी विवरणियों में दिखाए गए आंकड़ों एवं लेखाओं में निरूपित आंकड़ों के अन्तर का ध्यान रखते हुए उनकी जांच करने का प्रावधान अप्रैल 1978 में जारी किए गए विभागीय अनुदेशों में भी था। यदि कोई व्यापारी निर्धारित तिथि तक कर का भुगतान करने में विफल रहता है, वह निर्धारित दरों पर ब्याज के भुगतान के लिए उत्तरदायी हो जाता है।

2.14.1 सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्त, शिमला के अभिलेखों की जून 2007 में की गई लेखापरीक्षा से प्रकट हुआ कि एक व्यापारी जो टायर की रिट्रिडिंग करता था, कर निधारण अधिकारी ने उसके वर्ष 2001-02 से 2004-05 तक के निर्धारणों को सितम्बर और दिसम्बर 2006 के मध्य अन्तिम रूप दिया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि इन वर्षों हेतु व्यापारी के विनिर्माण विपणन तथा लाभ हानि लेखाओं में प्रतिबिंबित 2.89 करोड़ रू0 (सकल लाभ सहित) की कर योग्य बिक्री बढ़ी हुई थी। तथापि निर्धारण अधिकारी ने इन वर्षों के निर्धारणों को अन्तिम रूप देते समय स्टॉक के अथशेष एवं कच्चे माल की खरीद से स्टॉक के अन्तशेष तथा सकल लाभ के संघटक को कम करके व्यापारी की कर योग्य बिक्री की संगणना गलत रूप से 2.19 करोड़ रू0 पर निर्धारित कर दी। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया की 2002-03 में व्यापारी की वार्षिक बिक्री 60 लाख रू0 से बढ़ गई थी तथा वह कर के नियायती देर हेतु हकदार नहीं था। अत: निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यापारी की सही बिक्री निकालने में असफल रहने तथा रियायती कर की गलत दर अनुमत रहने के कारण 2.82 लाख रू0 के ब्याज सहित 7.88 लाख रू0 के कर का अवनिर्धारण हुआ।

जून 2007 में इसे इंगित करने के पश्चात सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्त, शिमला ने जून 2008 में बताया कि अक्तूबर 2007 में व्यापारी का पुनर्निर्धारण किया गया तथा कर के बजाय वर्ष 2002-03 के लिए कर की रियायती दर लागू करके 5.91 लाख रू0 (1.96 लाख रू0 के ब्याज सहित) की अतिरिक्त मांग का सृजन किया गया है। तथापि व्यापारी ने नवम्बर 2007 में अपील प्राधिकरण में आवेदन दायर किया। सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्त ने इसके अतिरिक्त यह भी बताया कि अपील प्राधिकरण ने व्यापारी को 7 अप्रैल 2008 तक राशि का 75 प्रतिशत भाग जमा करवाने के निदेश दिए थे, जिसके प्रति व्यापारी ने केवल 50,000 रू0 जमा करवाए। आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2008)।

मामला जुलाई 2007 में विभाग तथा सरकार को सूचित किया गया था; उनका उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2008)।

2.14.2 अक्तूबर 2007 में सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्त, सिरमौर के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि निर्माण कार्यों के निष्पादन में लगे एक संविदाकार के वर्ष 2001-02, 2002-03 तथा 2004-05 हेतु 62.31 लाख रू0 के कर योग्य विक्रय संबधी निर्धारण अगस्त 2006 में किए गए। विपणन लेखाओं तथा निर्धारण अभिलेखों की संवीक्षा से पाया गया कि निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित 62.31 लाख रू0 की कर योग्य बिक्री व्यापारी द्वारा निर्माण कार्यों के निष्पादन में स्थानांतरित 84.84 लाख रू0 के माल (सकल लाभ सहित) से कम थी। अत: 22.53 लाख रू0 की कर योग्य बिक्री कर के उदग्रहण से रह गई। फलत: 1.05 लाख रू0 के ब्याज सहित 2.85 लाख रू0 के कर प्रभाव से अन्तर्ग्रस्त कम बिक्री का निर्धारण हुआ।

मामला नवम्बर 2007 में विभाग तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 2008)।

2.15 सम्बद्ध अभिलेख न मिलाने के कारण अनुचित निर्धारण

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत किसी व्यापारी की "टर्नओवर" में उसके द्वारा निर्धारित अवधि में अंतर्राज्यीय विपणन या वाणिज्य में की गई माल की बिक्री के संदर्भ में उसके द्वारा प्राप्त की गई तथा किए जाने योग्य विक्रय की कीमतों के पूर्ण योग सम्मिलित होते हैं। इसके अतिरिक्त अप्रैल 1978 के विभागीय अनुदेशों के अनुसार निर्धारण अधिकारियों द्वारा व्यापारी के लेखाओं की जांच करते समय कर योग्य बिक्री निश्चित करने के लिए उसके क्रयों/विक्रयों का वैरियर चिटों[22] से प्रतिसत्यापन करना होता है।

वैरियर चिटों (फार्म एस टी **xxvi**-ए) का सिरमौर जिले की दो औद्योगिक इकाइयों की विवरणियों के रूपान्तरों से प्रतिसत्यापन करने पर 46.98 लाख रू0 की अन्तर्राज्यीय बिक्री के कम घोषित करने का पता चला। बिक्री सम्बन्धी अन्तर्राज्जीय मिलान में निर्धारण प्राधिकारियों के विफल रहने के फलस्वरूप अगस्त 2006 तथा मार्च 2007 के मध्य के ब्याज सहित 10.71 लाख रू0 के केन्द्रीय बिक्री कर का अपवंचन हुआ।

मामला जून 2008 में विभाग तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है(सितम्बर 2008) है।

---

22 यह व्यापारी द्वारा माल के आयात/निर्यात के समय प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा का फार्म (एस.टी XXVI-ए) है।

तीसरा अध्याय: राज्य आबकारी

3.1 लेखापरीक्षा परिणाम

राज्य आबकारी से सम्बन्धित अभिलेखों की वर्ष 2007-08 के दौरान नमूना-जांच से 44 मामलों में 2.53 करोड़ रू0 की लाइसैंस फीस, ब्याज/शास्ति की अवसूली/अल्प वसूली एवं अन्य अनियमितताएं पाई गई, जो मुख्यत: निम्नांकित श्रेणियों के अंतर्गत आती है:

(करोड़ रूपए)

क्र0 सं0	विवरण	मामलों की संख्या	राशि
1.	आबकारी शुल्क/ब्याज की अवसूली/अल्प वसूली	18	1.41
2.	लाइसैंस फीस/शास्ति की अवसूली/अल्प वसूली	14	0.44
3.	अन्य अनियमितताएं	12	0.68
योग		44	2.53

वर्ष 2007-08 के दौरान विभाग ने आठ मामलों में 41 लाख रू0 के अवनिर्धारण स्वीकार किए जो पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा में इंगित किए गए थे।

1.27 करोड़ रू0 के कुछ उदाहरणार्थ मामलों का उल्लेख आगामी परिच्छेदों में किया गया है।

3.2 नीलामी बोली राशि एवं लाइसैंस फीस के विलम्ब से किये गये भुगतान पर ब्याज की अवसूली

पंजाब आबकारी अधिनियम 1914 जो हिमाचल प्रदेश को लागू है, की धारा 59 के अंतर्गत वित्तायुक्त को शुल्क अथवा फीस के भुगतान के बारे में नियम बनाने की शक्तियां प्रदान की गई है। वर्ष 2006-07 के लिए आबकारी घोषणाओं के अनुसार उच्चतम नीलामी बोली दाता को नीलामी के 10 दिनों के अन्दर अथवा 31 मार्च जो भी पहले हो, को नीलामी बोली राशि की सात प्रतिशत राशि सरकारी खजाने में जमा करनी होगी। इसके अतिरिक्त इसमें लाइसैंस धारक द्वारा देसी निर्मित शराब अथवा भारत में निर्मित विदेशी शराब के बेचने के लिए 10 समान किस्तों में लाइसैंस फीस के भुगतान करने का प्रावधान है। लाइसैंस धारक से प्रत्येक मास के अंतिम दिवस तक किस्तों का भुगतान किया जाना अपेक्षित है। देय तिथि तक किस्त अथवा उसके कुछ भाग का भुगतान करने में विफलता पर उसका उस राशि पर जो भुगतान हेतु शेष हो, चूक [1]की तिथि से एक महीने तक के विलम्ब हेतु 10 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज के भुगतान का उत्तरदायित्व बन जाता है। यदि लाइसैंस फीस के भुगतान में चूक एक महीने से अधिक होती है तो ऐसे लाइसैंस धारी को एक महीने की समाप्ति की अवधि की तिथि के बाद भुगतान न की गई राशि पर 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान करना होगा।

चार[3] सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों की नीलामी बोली राशि की फाइलों[1], एम-2[2] रजिस्टरों एवं खजाना चालानों की नमूना-जांच से मई तथा सितम्बर 2007 के मध्य यह पाया गया कि चार लाइसैंसधारियों ने 2006-07 के दौरान 3.88 करोड़ रू0 की नीलामी बोली राशि तथा 51.37 करोड़ रू0 की लाइसैंस फीस की मासिक किस्तों का भुगतान देरी से किया। नीलामी बोली राशि तथा लाइसैंस फीस के भुगतान में 4 एवं 144 दिनों के मध्य का विलम्ब था जिसके लिए लाइसैंसधारियों से 99.96 लाख रू0 का ब्याज वसूलनीय था। विभाग इसका उद्ग्रहण तथा वसूली करने में विफल रहा।

मई तथा सितम्बर 2007 के मध्य मामलों को इंगित किये जाने के पश्चात सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हमीरपुर ने जुलाई 2008 में सूचित किया कि जून 2008 में 10 लाख रू0 की राशि वसूल कर ली गई थी और शेष राशि को वसूल करने के लिए प्रयास किये जा रहे थे। लाइसैंसधारियों ने स्थानीय न्यायालय में भी मुकदमा दायर कर दिया था। सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, बिलासपुर ने फरवरी 2008 में सूचित किया कि ब्याज के 20.11 लाख रू0 वसूल कर लिए गये थे तथा लाइसैंसधारियों को शेष राशि जमा करवाने के निदेश दे दिये गये थे। दो सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों से वसली का विवरण तथा उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (सितम्बर 2008)।

मामला मई तथा अक्तूबर 2007 के मध्य सरकार को सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2008)।

3.3 लाइसैंस फीस की अल्प वसूली

वर्ष 2006-07 के लिए आबकारी नीलामी उद्घोषणाओं में देसी निर्मित शराब अथवा भारतीय निर्मित विदेशी शराब की बिक्री हेतु लाइसैंसधारियों द्वारा लाइसैंस फीस का भुगतान करने का प्रावधान है। लाइसैंस धारक से निर्धारित अवधि तक लाइसैंस फीस की किस्तों का भुगतान किया जाना अपेक्षित है। यदि लाइसैंस धारक किस्त अथवा ब्याज सहित किस्तों को अगले माह के अंतिम दिवस अथवा अंतिम किस्त को 15 फरवरी तक जमा करवाने में विफल रहता है तो जिले का प्रभारी सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्त/आबकारी एवं कराधान

1 बोलीदाता द्वारा वास्तव में दी गई बोली तथा प्राप्त की गई बोली राशि के बारे विवरण सम्बन्धी फाइलें।
2 लाइसैंसधारियों से फीस की प्राप्ति दर्ज करने के लिए रजिस्टर ।
3 बिलासपुर: 22.90 लाख रू0, चम्बा: 2.99 लाख रू0, हमीरपुर: 24.77 लाख रू0 और मण्डी: 49.30 लाख रू0।

अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत या निदेशित कोई अन्य अधिकारी आमतौर पर आगामी माह की पहली तारीख अथवा 16 फरवरी को जैसा भी मामला हो, विक्रय बन्द करवा देगा।

3.3.1 दो[4] सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अभिलेखों की नमूना जांच से मई तथा सितम्बर 2007 के मध्य पाया गया कि दो लाइसैंसधारियों ने माह जनवरी 2007 हेतु 1.69 करोड़ रू0 की भुगतान योग्य लाइसैंस फीस के प्रति केवल 1.54 करोड़ रू0 ही जमा करवाए। विभाग ने वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के पश्चात् भी विक्रय को बन्द करने तथा 15.13 लाख रू0 की शेष राशि की वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। इसके परिणामस्वरूप लाइसैंस फीस की अल्प वसूली हुई।

मामलों को मई तथा सितम्बर 2007 के मध्य इंगित किये जाने के पश्चात् विभाग ने अगस्त 2007 तथा फरवरी 2008 के मध्य सूचित किया कि 13.98[5] लाख रू0 की वसूली कर ली गई है। शेष 1.15 लाख रू0 की राशि की वसूली का आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2008)।

मामला मई तथा अक्तूबर 2007 के मध्य सरकार को सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2008)।

3.3.2 पंजाब आसवनी नियमावली, 1932 जो हिमाचल प्रदेश में लागू है, के नियम 5 के अंतर्गत फार्म डी-2[6] में लाइसैंस हेतु लाइसैंस फीस भारतीय निर्मित विदेशी शराब के उत्पादन पर अपने ब्रांडों के लिए 90 पैसे प्रति 750 मि0ली0 के यूनिट, 1.40 रू0 अन्य ब्रांडों तथा देशी शराब के लिए 70 पैसे प्रति 750 मि0ली0 के यूनिट की दर से भुगतान योग्य इस शर्त के साथ है कि लाइसैंस की स्वीकृति/नवीनीकरण के समय न्यूनतम 75,000 रू0 वार्षिक वसूल किये गये हों।

सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सिरमौर के अभिलेख की जनवरी 2007 तथा मार्च 2008 के मध्य की गई नमूना जांच से पाया गया कि इन वर्षों के दौरान डी-2 लाइसैंस वाला एक लाइसैंसधारी[7] भारत में निर्मित विदेशी शराब तथा देसी शराब के उत्पादन पर 17.17 लाख रू0 (2005-06 के लिए 10.56 लाख रू0 तथा 2006-07 के लिए 6.61 लाख रू0) की लाइसैंस फीस का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। इसके प्रति लाइसैंसधारी ने केवल 7.69 लाख रू0 का ही भुगतान किया जिसके फलस्वरूप 9.48[8] लाख रू0 की कम वसूली हुई।

जनवरी 2007 तथा मार्च 2008 के मध्य मामला इंगित किये जाने के पश्चात विभाग ने मार्च 2008 में सूचित किया कि वर्ष 2005-06 हेतु 4.75 लाख रू0 में से 3.98 लाख रू0 की वसूली कर ली गई थी। वसूली के लिए आगामी प्रतिवेदन तथा वर्ष 2006-07 हेतु उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (सितम्बर 2008)।

मामला जनवरी 2007 तथा अप्रैल 2008 के मध्य सरकार को सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2008)।

3.4 अधिक अपचय (क्षय) पर शुल्क का अनुद्ग्रहण

पंजाब आसवनी नियमावली में आसवनी के परिपक्वन कक्ष में अनुमत स्पिरिट के क्षय की मात्रा निर्धारित करने के लिए प्रावधान है। पंजाब आवसनी नियमावली के अंतर्गत जारी की गई अधिसूचना दिनांक 20 सितम्बर 1965 के द्वारा आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने सोलन शराब की भट्टी में कसौली आसवनी/स्पिरिट बोतलीकरण

4 बिलासपुर:एक: 6.31 लाख रू0 तथा हमीरपुर: एक: 8.82 लाख रू0।
5 बिलासपुर: 5.16 लाख रू0 तथा हमीरपुर: 8.82 लाख रू0।
6 देसी शराब तथा भारत में निर्मित विदेशी शराब के लिए आसवनी लाइसैंस।
7 मैसर्ज तिलोकसंज मद्यशाला तथा आसवनी, काला अंब।
8 2005-06: 4.75 लाख रू0 तथा 2006-07: 4.73 लाख रू0।

संभाग में भण्डारण की अवधि के दौरान स्पिरिट परिपकन मालगोदाम भांडागार में क्षय के लिए मापदण्ड निर्धारित किये थे। आबकारी शुल्क सभी अन्य स्पिरिटों पर 1 अप्रैल 2006 से 23 रू0 प्रति प्रूफ लीटर[9] की दर पर उद्ग्राह्य थी।

दिसम्बर 2007 में कसौली आसवनी[10] के अभिलेखों की नमूना जांच से लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि अनुमत 11,801.60 प्रूफलीटर परिपकन क्षय के प्रति वास्तव में 20,851.50 प्रूफ लीटर क्षय स्वीकार किया गया। 2006-07 के दौरान 9,049.90 प्रूफ लीटर के अधिक क्षय पर लाइसैंसधारक द्वारा 2.08 लाख रू0 का आबकारी शुल्क भुगतान योग्य था। न तो विभाग ने शुल्क की मांग की और न ही लाइसैंस धारक द्वारा इसका भुगतान किया गया जिसके फलस्वरूप 2.08 लाख रू0 की वसूली नहीं हुई।

मामला जनवरी 2008 में विभाग तथा सरकार को सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है; (सितम्बर 2008)।

---

9 यह स्पिरिट की क्षमता के मानदण्ड निर्धारित करने की इकाई है।

10 मैसर्ज मोहन मिकिन लिमिटिड।

चौथा अध्याय:

वाहन, माल व यात्री कर

4.1 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष 2007-08 के दौरान मोटर वाहनों, माल एवं यात्री कर के अभिलेखों की नमूना-जांच से 271 मामलों में 10.75 करोड़ रू0 की राशि का अपवंचन, कर की वसूली न करना/अल्प वसूली करना एवं अन्य अनियमितताएं पाई गई जो निम्नवत श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं:

(करोड़ रूपए)

क्र0 सं0	विवरण	मामलों की संख्या	राशि
1.	अपवंचन		
	• सांकेतिक कर	105	2.58
	• यात्री व माल कर	12	0.24
2.	अवसूली / अल्प वसूली		
	• यात्री व माल कर	16	0.51
	• सांकेतिक कर	12	0.09
3.	अन्य अनियमितताएं		
	• वाहन कर	122	7.17
	• यात्री व माल कर	4	0.16
योग		271	10.75

वर्ष 2007-08 के दौरान विभाग ने 60 मामलों में 10.40 करोड़ रू0 के अवनिर्धारण स्वीकार किये जो पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा में इंगित किये गये थे।

5.65 करोड़ रू0 से युक्त कुछ उदाहरणार्थ मामलों का उल्लेख आगामी परिच्छेदों में किया गया है।

4.2 सांकेतिक कर की अवसूली

हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1972 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अंतर्गत सांकेतिक कर अग्रिम रूप से देय होता है तथा निर्धारित विधि से त्रैमासिक अथवा वार्षिक रूप से संग्रहित किया जाता है। वाहन जो सड़क पर चलाने के अयोग्य घोषित किये जा चुके हो तथा जिन्होंने सम्बद्ध पंजीकरण एवं लाइसैंस प्राधिकारी के पास पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करवा दिये हो, उन्हें उस अवधि के लिए कर के भुगतान करने से छूट होगी। अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक पंजीकरण एवं लाइसैंस प्राधिकारी द्वारा "सांकेतिक कर रजिस्टर" नाम के एक रजिस्टर का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने निदेशक परिवहन, सभी जिला दण्डाधिकारियों तथा पंजीकरण एवं लाइसैंस प्राधिकारियों को ट्रेक्टर-ट्रेलर के मालिकों से इस सम्बन्ध में निर्धारित वचन पत्र/विलेख लेने पर कि ट्रेक्टर-ट्रेलर को वाणिज्यिक कार्याकलापों के लिए उपयोग में नहीं लाया जा रहा है, सांकेतिक कर के भुगतान से छूट के संबंध में सिफारिश सहित मामले स्वीकृति हेतु सरकार को भेजने के लिए निदेश (20 मार्च 2002) दिये। यदि कोई वाहन मालिक निर्धारित अवधि के दौरान देय कर का भुगतान करने में विफल रहता है तो कराधान प्राधिकारी उसे सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त, वाहन मालिक को देय कर के 25 प्रतिशत वार्षिक दर पर शास्ति का भुगतान करने का निदेश देगा जिसकी गणना/संगणता हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2006 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।

31[1] पंजीकरण एवं लाइसैंस प्राधिकारियों तथा पांच[2] क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों एवं राज्य परिवहन प्राधिकारी, शिमला के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान अप्रैल 2007 तथा मार्च 2008 के मध्य यह देखा गया कि 2005-06 से 2006-07 तक के वर्षों के लिए 3,626[3] वाहनों हेतु 1.73 करोड़ रू0 की राशि का सांकेतिक कर न तो वाहन मालिकों द्वारा जमा कराया गया और न ही कराधान प्राधिकारियों ने इसकी वसूली करने के लिए कोई कार्रवाई की । अभिलेख में ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं था जो यह प्रदर्शित करता कि इन वाहनों में से कोई भी सड़क पर चलाने के अयोग्य घोषित किया गया हो तथा उनके पंजीकरण प्रमाणपत्रों को सम्बद्ध पंजीकरण एवं लाइसैंस प्राधिकारियों के पास जमा करवाया गया हो अथवा किसी अन्य पंजीकरण लाइसैंस प्राधिकारी को सांकेतिक कर का भुगतान किया गया हो। अभिलेख में टेक्टर-ट्रेलर के सम्बन्ध में सांकेतिक कर के भुगतान हेतु सरकार से छूट का कोई भी मामला नहीं था। इस प्रकार, सम्बद्ध कराधान प्राधिकारियों द्वारा नियमों/अनुदेशों के अनुसार कार्रवाई करने में विफलता के परिणामस्वरूप 1.73 करोड़ रू0 के सांकेतिक कर की वसूली नहीं हुई। इसके अतिरिक्त, कर का भुगतान न करने के लिए निर्धारित दर पर शास्ति[4] भी उद्ग्राह्य थी।

अप्रैल 2007 तथा मार्च 2008 के मध्य मामलों को इंगित किये जाने के पश्चात, पंजीकरण एवं लाइसैंस प्राधिकारियों, केलांग, नाहन तथा सोलन ने फरवरी-मार्च 2008 में सूचित किया कि चूककर्ताओं को नोटिस जारी कर दिये गये थे। शेष कराधान प्राधिकारियों से आगामी प्रतिवेदन एवं उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2008)।

मामला मई 2007 तथा अप्रैल 2008 के मध्य विभाग तथा सरकार को सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2008)।

---

1 अम्ब, अर्की, बैजनाथ, बिलासपुर, चम्बा, देहरा, धर्मशाला, गोहर, हमीरपुर, कांगड़ा, केलांग, कुल्लू, मण्डी, मनाली, नादौन, नाहन, नालागढ़, नुरपुर, पालमपुर, पांवटा साहिब, परवाणू, पूह, रामपुर, रोहड़ू, सरकाघाट, शिमला (शहरी), शिमला(ग्रामीण), सोलन, सुन्दरनगर, ठियोग और ऊना ।

2 बिलासपुर, धर्मशाला, मण्डी, शिमला (उड़नदस्ता दल) और सोलन।

3 बसें / मिनी बसें / स्टेज कैरिज: 609 मामले: 1.07 करोड़ रू0; निर्माण उपस्कर वाहन : 34 मामले: 3 लाख रू0; माल कैरिज /अन्य वाहन: 2,373 मामले: 49 लाख रू0; ट्रेक्टर: 167 मामले: 3 लाख रू0 तथा मैक्सीकैब/ मोटर कैब: 443 मामले: 11 लाख रू0।

4 वसूली के विवरणों के अभाव में गणना नहीं की गई।

4.3 गलत दरें लागू करने के कारण सांकेतिक कर की अल्प वसूली

परिवहन विभाग की दिसम्बर 2003 की अधिसूचना के अनुसार, निर्माण उपकरण वाहनों तथा ड्रेन सवार वाहनों (अधिकतम निर्धारित भार पर आधारित) के मामले में सांकेतिक कर 1 जनवरी 2004 से 6,000 रू0 (हलके वाहन), 9,000 रू0 (मध्यम वाहन) तथा 12,000 रू0 (भारी वाहन) वार्षिक दर पर उद्ग्राहय था।

पंजीकरण एवं लाइसैंस प्राधिकारी, भावानगर तथा क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी, कुल्लू के अभिलेखों की नमूना जांच से मई 2007 तथा जुलाई 2007 के मध्य यह ध्यान में आया कि जनवरी 2004 से मार्च 2007 तक की अवधि हेतु 63 निर्माण वाहनों के लिए सांकेतिक कर की 8.86 लाख रू0 की राशि का भुगतान किया जाना था। तथापि, वाहन मालिकों ने कम दर पर कर जमा करवाया तथा केवल 1.89 लाख रू0 का ही भुगतान किया। विभाग ने भी इन वाहनों को भारी माल वाहन ही मान लिया तथा गलती का पता लगाने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप 6.97 लाख रू0 के सांकेतिक कर की अल्प वसूली हुई।

मई 2007 तथा जुलाई 2007 के मध्य मामलों को इंगित किये जाने के पश्चात, विभाग ने नवम्बर 2007 तथा फरवरी 2008 के मध्य कहा कि क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, कुल्लू के मामले में शेष राशि को वसूल करने के लिए प्रयास किये जा रहे थे। पंजीकरण एवं लाइसैंस प्राधिकारी भावानगर के मामले में राशि जमा करवाने के लिए वाहन मालिकों को नोटिस जारी कर दिये गये थे। वसूली की आगामी प्रगति एवं प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 2008)।

मामला जून तथा जुलाई 2007 के मध्य सरकार को सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2008)।

4.4 विशेष पथ कर का भुगतान न करना/अल्प भुगतान करना

हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1999 के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में उपयोग किये गये अथवा उपयोग हेतु रखे गये सभी परिवहन वाहनों पर विशेष पथकर उद्ग्राहय होगा, प्रभारित किया जाएगा तथा राज्य सरकार को भुगतान किया जाएगा। परिवहन विभाग की दिनांक 22 मार्च 2002 की अधिसूचना के अनुसार, विशेष पथ कर प्रतिमाह 15वीं तारीख को अग्रिम रूप में भुगतान योग्य है। दरें पथ जिन पर वाहन चल रहे हो, जैसा कि राष्ट्रीय उच्चमार्ग, राज्य उच्चमार्ग, ग्रामीण सड़कें तथा 30 किलोमीटर के दायरे के अन्दर चलने वाली स्थानीय बसों/मिनी बसों के वर्गीकरण पर आधारित हैं। परिवहन विभाग ने 1 अप्रैल 2005 से विशेष पथ कर की दरें उपरोक्त मार्गों के लिए कमश: 6.04 रू0, 5.03 रू0 तथा 4.03 रू0 निर्धारित (जनवरी 2006) की थी। निर्धारित अवधि के अन्दर विशेष पथ कर का भुगतान करने में विफलता के लिए देय कर के 25 प्रतिशत वार्षिक की दर से शास्ति भी उद्ग्राहय होगी जैसा कि परिवहन विभाग की अधिसूचना दिनांक 26 जुलाई 2006 में निर्धारित किया गया है।

4.4.1 छ:[5] क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के अभिलेखों की नमूना जांच से जुलाई 2007 तथा मार्च 2008 के मध्य यह पाया गया कि 144 मामलों में 2005-06 से 2006-07 की अवधि के लिए 1.01 करोड़ रू0 की राशि के विशेष पथ कर का भुगतान वाहन मालिकों द्वारा नहीं किया गया था। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों ने देय विशेष पथ कर की वसूली के लिए न तो कोई कार्रवाई आरम्भ की और न ही वाहन मालिकों को नोटिस जारी किये। विशेष पथ कर की वसूली न करने के अतिरिक्त, निर्धारित अवधि तक कर का भुगतान न करने के लिए शास्ति भी उद्ग्राहय थी।

---

[5] बिलासपुर: 36 मामले: 16.88 लाख रू0; चम्बा: 19 मामले: 5.64 लाख रू0; धर्मशाला: 24 मामले: 24.27 लाख रू0; कुल्लू: 6 मामले: 3.74 लाख रू0; शिमला: 45 मामले: 37.73 लाख रू0 और सोलन: 14 मामले: 12.42 लाख रू0।

मामलों को जुलाई 2007 तथा मार्च 2008 के मध्य इंगित किये जाने के पश्चात, अतिरिक्त आयुक्त परिवहन, शिमला ने नवम्बर 2007 में सूचित किया कि क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, कुल्लू के मामले में चार वाहनों से 72,000 रू0 की राशि की वसूली कर ली गई थी तथा शेष राशि की वसूली के लिए प्रयास किये जा रहे थे। शेष क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों से वसूली का प्रतिवेदन तथा उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (सितम्बर 2008)।

मामला सरकार को जुलाई 2007 तथा अप्रैल 2008 के मध्य सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2008)।

4.4.2 पांच[6] क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के अभिलेखों की नमूना जांच से अक्तूबर 2007 तथा जनवरी 2008 के मध्य पाया गया कि अगस्त 2005 से मार्च 2007 तक की अवधि के लिए 110 मामलों में 44.80 लाख रू0 का विशेष पथकर मार्गों के गलत वर्गीकरण/गलत दरों को लागू करने के कारण अल्प निर्धारित किया गया। सम्बद्ध क्षेत्रीय अधिकारी गलती का पता लगाने में विफल रहे। वाहनों के मालिकों ने भी अल्प निर्धारित किये गये 44.80 लाख रू0 के विशेष पथ कर को जमा नहीं करवाया।

मामला विभाग तथा सरकार को नवम्बर 2007 तथा फरवरी 2008 के मध्य सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। (सितम्बर 2008)।

4.4.3 दो[7] क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के अभिलेखों की नमूना जांच से अक्तूबर 2007 में पाया गया कि हिमाचल पथ परिवहन निगम के हमीरपुर तथा शिमला यूनिटों को तीन पथ परमिट[8] प्रदान किये गये। लेखापरीक्षा छानबीन से पाया गया कि हमीरपुर यूनिट द्वारा विशेष पथ कर का भुगतान करते समय दो पथ परिमिटों के सम्बन्ध में विशेष पथ कर की 2.04 लाख रू0 की देय राशि को वर्ष 2006-07 के लिए विशेष पथ कर की गणना में सम्मिलित नहीं किया गया। शिमला यूनिट ने पथ परमिट के लिए जून 2006 तक 14,193 रू0 प्रतिमाह की दर से विशेष पथ कर का भुगतान किया तथा जुलाई 2006 से मार्च 2007 तक की अवधि के लिए 1.28 लाख रू0 की राशि का भुगतान नहीं किया। अभिलेख में यह प्रदर्शित करने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं था कि हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा पथ परमिटों का अभ्यर्पण कर दिया गया है अथवा सम्बद्ध क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने इन पथ परिमिटों के प्रति बसों के न चलाये जाने के बारे में पूछताछ की हो। इसके परिणामस्वरूप 3.32[9] लाख रू0 का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

अक्तूबर 2007 में मामले इंगित किये जाने के पश्चात अतिरिक्त आयुक्त, परिवहन, शिमला ने अप्रैल 2008 में सूचित किया कि क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, हमीरपुर के मामले में राशि को जमा करवाने के लिए सम्बद्ध प्राधिकारी को नोटिस जारी कर दिये गये थे। वसूली का प्रतिवेदन तथा क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, शिमला से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 2008) है।

मामला नवम्बर 2007 तथा फरवरी 2008 के मध्य सरकार को सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। (सितम्बर 2008) है।

---

6 बिलासपुर: 29 मामले: 4.17 लाख रू0; चम्बा: 12 मामले: 5.03 लाख रू0; धर्मशाला: 17 मामले: 7.47 लाख रू0; हमीरपुर: 18 मामले: 5.03 लाख रू0; शिमला: 34 मामले: 23.10 लाख रू0।

7 हमीरपुर और शिमला।

8 नं0 14 दिनांक: 29 मार्च 2006: हमीरपुर से ऊना; नं0 169 दिनांक अक्तूबर 2005: हमीरपुर से लुधियाना और नं0 आर-एसटीजी/97: चायल से चण्डीगढ़।

9 हमीरपुर: दो मामले: 2.04 लाख रू0 और शिमला: एक मामला: 1.28 लाख रू0।

4.5 विशेष पथ कर का विलम्ब से भुगतान करने के लिए शास्ति का अनुद्ग्रहण

समय-समय पर संशोधित हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम की धारा 3-क के अंतर्गत, राज्य में उपयोग किये गये अथवा उपयोग हेतु रखे गये सभी परिवहन वाहनों[10] पर मासिक रूप से विशेष पथ कर राज्य सरकार को उद्ग्रहित, प्रभारित तथा भुगतान किया जाएगा। विशेष पथ कर प्रति मास 15वीं तारीख को अग्रिम रूप से भुगतान योग्य है। परिवहन विभाग की अधिसूचना दिनांक 26 जुलाई 2006 जो 31 जुलाई 2002 से लागू मानी गई है, के अनुसार यदि किसी वाहन का मालिक निर्धारित अवधि के अन्दर देय कर का भुगतान करने में विफल रहता है तो कराधान प्राधिकारी उसे सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, मालिक को देय कर के 25 प्रतिशत वार्षिक दर पर शास्ति का भुगतान करने का निदेश देगा। यदि विलम्ब एक वर्ष से कम है तो इस प्रकार आरोपित की गई शास्ति की गणना/संगणना दिन प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी तथा यह उस वाहन के मालिक से देय कर की राशि से अधिक नहीं होगी।

आठ[11] क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के अभिलेखों नमूना जांच से जुलाई 2007 तथा मार्च 2008 के मध्य यह पाया गया कि हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर अगस्त 2005 से मार्च 2007 तक की अवधि के लिए 14.56 करोड़ रू0 के राशि के विशेष पथ कर का भुगतान नहीं किया गया। विशेष पथ कर के भुगतान में 4 तथा 276 दिनों के मध्य का विलम्ब था जिसके लिए 1.11 करोड़ रू0 की शास्ति उद्ग्राह्य थी जिसे सम्बद्ध क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा अद्गृहित नहीं किया गया।

मामला जुलाई 2007 तथा अप्रैल 2008 के मध्य विभाग तथा सरकार को सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2008)।

4.6 सरकारी धन का अनुचित अवरोधन

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 1971 में प्रावधान है कि दिवस के दौरान एकत्रित की गई विभागीय प्राप्तियों को उसी दिन अथवा विलम्ब की अवस्था में अगले कार्य दिवस की प्रात: सरकारी कोषागार में जमा करवाया जाना चाहिए। सरकार के पक्ष में धन प्राप्त करने वाला प्रत्येक अधिकारी निर्धारित फार्म में एक रोकड़बही का अनुरक्षण करेगा। सभी वित्तीय लेन-देन जैसे ही वे घटित होते है, रोकड़बही में दर्ज किये जाने चाहिए तथा जांच के एवज में कार्यालयाध्यक्ष अथवा इस संदर्भ में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित किये जाने चाहिए। रोकड़बही को प्रतिदिन बन्द किया जाना चाहिए तथा उसी दिन पूर्णरूप से जांच की जानी चाहिए।

4.6.1 दो[12] पंजीकरण एवं लाइसैंसिंग प्राधिकारियों, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (विधि एवं आदेश) शिमला तथा क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, चम्बा के अभिलेखों की नमूना जांच से मई 2007 तथा मार्च 2008 के मध्य पाया गया कि फरवरी 2005 तथा मार्च 2007 के मध्य आने वाली अवधि के दौरान परमिट फीस, सांकेतिक कर, पार्सिंग फीस, चालक लाइसैंस फीस आदि से सम्बन्धित संग्रहित किये गये 40.75 लाख रू0[13] को निर्धारित अवधि के अन्दर कोषागार में जमा नहीं करवाया गया। सरकारी धन को जमा करवाने में 2 तथा 202 दिनों के मध्य का विलम्ब था। दो कार्यालयों[14] में रोकड़बही की प्रविष्टियों का सत्यापन न तो कार्यालयाध्यक्षों और न ही

---

10 लोक-आवागमन, माल परिवहन, शैक्षणिक बस अथवा निजी सेवा वाहन के रूप में यह लोक सेवार्थ एक उपयोग है।

11 बिलासपुर: 7.34 लाख रू0; चम्बा: 12.35 लाख रू0; धर्मशाला: 33.20 लाख रू0; हमीरपुर: 5.34 लाख रू0; कुल्लू: 6.93 लाख रू0; नाहन: 8.17 लाख रू0; शिमला: 29.73 लाख रू0 और सोलन: 8.29 लाख रू0।

12 पंजीयन एवं लाइसैंसिंग प्राधिकारी, भावानगर और पंजीयन एवं लाइसैंसिंग प्राधिकारी, शिमला (शहरी)।

13 पंजीयन एवं लाइसैंसिंग प्राधिकारी, भावानगर: 3.91 लाख रू0; पंजीयन एवं लाइसैंसिंग प्राधिकारी शिमला(शहरी): 12.66 लाख रू0; अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (विधि एवं आदेश) शिमला: 69,000 रू0 और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी चम्बा: 23.49 लाख रू0।

14 पंजीयन एवं लाइसैंसिंग प्राधिकारी, भावानगर और अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (विधि एवं आदेश), शिमला।

इस संदर्भ में प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा किया गया था। ऐसी प्रक्रियाऐं सार्वजनिक धन के दुर्विनियोजन के जोखिम से परिपूर्ण हैं।

मई 2007 तथा मार्च 2008 के मध्य मामलों को इंगित किये जाने के पश्चात, अतिरिक्त आयुक्त परिवहन, शिमला ने फरवरी 2008 में सूचित किया कि पंजीकरण एवं लाइसैंस प्राधिकारी, भावानगर के मामले में सम्बद्ध कर्मचारी को सरकारी धन अगले दिन तक कोषागार में जमा कराने के निदेश दिये जा चुके थे तथा रोकड़बही को नियमित रूप से अनुरक्षित किया जाएगा। शेष कार्यालयों से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2008)।

4.6.2 पंजीकरण एवं लाइसैंस प्राधिकारी, शिमला (शहरी) में जनवरी 2008 में यह देखा गया कि जून 2006 तथा दिसम्बर 2006 के मध्य चालक लाइसैंस फीस, पासिंग फीस तथा सांकेतिक कर आदि के कारण संग्रहित किये गये 1.11 लाख रू0 में से केवल 69,000 रू0 की राशि को ही निर्धारित अवधि के अन्दर कोषागार में जमा कराया गया जबकि शेष 42,000 रू0 की राशि को जमा ही नहीं करवाया गया।

जनवरी 2008 में मामलों को इंगित किये जाने के पश्चात, पंजीकरण एवं लाइसैंस प्राधिकारी ने जुलाई 2008 में सूचित किया कि 42,000 रू0 कोषागार में जमा (मई 2008) करवा दिये गये थे।

मामला जून 2007 तथा अप्रैल 2008 के मध्य विभाग तथा सरकार को सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2008)।

4.7 परमिट फीस का वसूल न करना/अल्प वसूल करना

गृह विभाग के दिसम्बर 2003 में जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार, शिमला शहर की बन्धित तथा प्रतिबन्धित सड़कों पर वाहनों को चलाने के लिए परमिट फीस क्रमश: 3,000 रू0 तथा 2,000 रू0 वार्षिक दर से एक से अधिक मार्गों के लिए तथा 1,500 रू0 वार्षिक दर से एक मार्ग के मामले में प्रभारित की जानी थी। विभाग के अनुशिष्ट दिनांक 27 मार्च 2004 के अनुसार, बंधित तथा प्रतिबंधित सड़कों के लिए अस्थाई परमिट जारी करने हेतु अस्थाई परमिट फीस सात दिनों की अधिकतम सीमा तक क्रमश: 200 रू0 तथा 100 रू0 प्रतिदिन की दर से प्रभार्य थी। अनुशिष्ट से पूर्व, बंधित सड़क के लिए अस्थाई परमिट फीस 100 रू0 प्रतिदिन थी जबकि प्रतिबंधित सड़क के लिए यह एक मास तक न्यूनतम 50 रू0 थी। गृह विभाग के दिनांक 23 मार्च 2004 के स्पष्टीकरण के अनुसार, निर्माण सामग्री की ढुलाई / उतारने, निजी होटलों को पानी के टैंकर की अनुमति, गृह आदि स्थानांतरण/अंतरण की अवस्था में सामान की ढुलाई के लिए जारी किये गये परमिटों की परमिट फीस, अस्थाई परमिटों के समकक्ष प्रभार्य थी। तथापि, विशेष प्रयोजनों जैसे कि फिल्म आदि की शूटिंग के लिए परमिट फीस पांच वाहनों तक 3,000 रू0 तथा उससे अधिक अधिकतम आठ वाहनों तक 500 रू0 प्रति वाहन प्रतिदिन की दर से प्रभारित की जानी थी।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (विधि एवं आदेश), शिमला के अभिलेखों[15] की नमूना-जांच से मार्च 2007 तथा मार्च 2008 के मध्य पाया गया कि 103 मामलों में सितम्बर 2003 तथा मई 2007 के मध्य आने वाली अवधि के दौरान बंधित तथा प्रतिबंधित सड़कों पर वाहन चलाने के लिए वार्षिक परमिट जारी किये गये। परमिट विभिन्न प्रयोजनों[16] के लिए जारी किये गये थे। विभाग ने सात दिनों तक अस्थाई परमिट जारी करने के बजाय जैसा कि अपेक्षित था, वार्षिक परमिट जारी किये। इसके परिणामस्वरूप 24.12 लाख रू0 की प्रभारित की जानी वाली परमिट फीस के प्रति विभाग ने केवल 66,000 रू0 की वसूली की। इस के परिणामस्वरूप प्रतिदिन आधार पर गणना करके 23.46 लाख रू0 के राजस्व की कम वसूली हुई।

---

15 फाइलों तथा रोकड़बही में उपलब्ध अनुमति आदेश

16 कच्चा माल, खाद्य सामग्री, घरेलु सामान की ढुलाई, जल टैंकरों, माल, प्रदर्शनी सम्बंधी मदें, फिल्मों की शूटिंग के उपकरण आदि की ढुलाई।

मार्च 2007 तथा मार्च 2008 के मध्य मामलों को इंगित किये जाने के पश्चात, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (विधि एवं आदेश) ने मार्च 2007 तथा मार्च 2008 के मध्य कहा कि कम वसूली गई राशि की वसूली के लिए कार्रवाई की जाएगी। वसूली सम्बन्धी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2008)।

मामला अप्रैल 2007 तथा अप्रैल 2008 में विभाग तथा सरकार को सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2008)।

4.8 विशेष पंजीकरण फीस का अनुदग्रहण

हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन (संशोधन) नियमावली 2001 के अंतर्गत, पंजीकरण चिन्ह आवंटन के लिए विशेष पंजीकरण फीस का उद्ग्रहण 10 अगस्त 2001 से निर्धारित दरों पर किया जाना था। इन दरों का जून 2002 में संशोधन किया गया था। सितम्बर 2003 में, प्रधान सचिव (परिवहन) हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्पष्टीकरण दिया कि यदि 0101 से 0200 तक की पंजीकरण संख्या का आवंटन निजी वाहनों को किया जाना था तो निर्धारित दरों पर विशेष पंजीकरण फीस प्रभारित की जानी थी। परिवहन विभाग ने इसके अतिरिक्त स्पष्ट किया (23 दिसम्बर 2003) कि भविष्य में सरकारी वाहनों को 0001 से 0100 तक की पंजीकरण संख्याओं का आवंटन नहीं किया जाएगा परन्तु इन्हें निजी व्यक्तियों के लिए खुला रखा जाएगा। उन मामलों, जिनमें इन संख्याओं को सरकारी वाहनों को आवंटित किया जा चुका था, सम्बद्ध विभाग / अधिकारी को इन संख्याओं का अभ्यर्पण करने के लिए नोटिस किये जाने थे।

4.8.1 सात[17] पंजीकरण एवं लाइसैंस प्राधिकारियों तथा क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, नाहन के अभिलेखों की अप्रैल 2007 तथा दिसम्बर 2007 के मध्य की गई नमूना जांच से पाया गया कि 427 मामलों में 0001 से 0200 तक के मध्य पंजीकरण संख्याओं के आवंटन पर सितम्बर 2003 से मार्च 2007 तक की अवधि के लिए निजी वाहनों के मालिकों से 11.07 लाख रू0 की विशेष पंजीकरण फीस की वसूली नहीं की गई थी।

अप्रैल 2007 तथा दिसम्बर 2007 में मामलों को इंगित किये जाने के पश्चात अतिरिक्त आयुक्त परिवहन, शिमला ने फरवरी 2008 में सूचित किया कि पंजीकरण एवं लाइसैंस प्राधिकारी, भावागनर के सम्बन्ध में 18 वाहनों से 45,000 रू0 की वसूली कर ली गई थी तथा शेष राशि की वसूली के लिए प्रयास किये जा रहे थे। शेष पंजीकरण एवं लाइसैंस प्राधिकारियों/क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी से वसूली का प्रतिवेदन तथा उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 2008)।

4.8.2 दो[18] पंजीकरण एवं लाइसैंस प्राधिकरियों के संदर्भ में जनवरी 2008 में यह देखा गया कि दिसम्बर 2003 के अनुदेशों की अवहेलना करते हुए सितम्बर 2005 तथा मार्च 2007 के मध्य 28 मामलों में 0001 से 0100 तक के क्रमांक से विशेष पंजीकरण संख्याएं या तो सरकारी वाहनों अथवा सहकारी समितियों आदि के स्वामित्व वाले वाहनों को उन्हें सरकारी वाहन मानते हुए आवंटित की गई। विभाग पंजीकरण संख्याओं के अभ्यर्पण के लिए सम्बद्ध विभाग/अधिकारियों को नोटिस जारी करने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप सरकार को विशेष पंजीकरण फीस के कारण 4.85 लाख रू0 के राजस्व की हानि उठानी पड़ी।

मामले मई 2007 तथा फरवरी 2008 के मध्य सरकार को सूचित किये गये थे; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (सितम्बर 2008)।

---

17 आनी, अर्की, भावानगर, कल्पा, पांवटा साहिब, परवाणु और पुह

18 शिमला (ग्रामीण) और शिमला (शहरी)

4.9 यात्री कर एवं मालकर की अवसूली

हिमाचल प्रदेश यात्री एवं माल कराधान अधिनियम, 1955 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अंतर्गत, वाहन मालिकों से या तो मासिक रूप से अथवा त्रैमासिक रूप से निर्धारित दरों पर कर का भुगतान किया जाना अपेक्षित है। तथापि, यदि वाहन मालिक देय कर का भुगतान करने में विफल रहता है तो कराधान प्राधिकारी उसे देय कर को शास्ति सहित कर जमा कराने का निदेश देगा जो इस प्रकार निर्धारित किये गये कर की राशि के पांच गुणा से अधिक न हो बशर्ते न्यूनतम राशि 500 रू0 हो।

10[19] सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों में अनुरक्षित मांग एवं संग्रहण रजिस्टर की नमूना जांच के दौरान जुलाई 2007 तथा मार्च 2008 के मध्य यह देखा गया कि वाहन मालिकों द्वारा 1,430[20] वाहनों के लिए जनवरी 2006 से मार्च 2007 तक की अवधि के लिए 60 लाख रू0 की राशि अदा नहीं की गई थी। निर्धारण प्राधिकारियों ने वाहन मालिकों को मांग नोटिस जारी नहीं किये। इसके परिणामस्वरूप 7.15 लाख रू0 की न्यूनतम शास्ति के अतिरिक्त 60 लाख रू0 के कर की वसूली नहीं हुई।

जुलाई 2007 तथा मार्च 2008 के मध्य मामलों को इंगित किये जाने के पश्चात विभाग ने अक्तूबर 2007 तथा फरवरी 2008 के मध्य सूचित किया कि 29,000 रू0 (यात्री कर: 28,000 रू0; माल कर: 1,000 रू0) सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, कुल्लू द्वारा वसूल कर लिये गये थे तथा उसे शेष राशि को वसूल करने के निदेश दे दिये गये थे। शिमला जिले के मामले में वाहन मालिकों को नोटिस जारी किये जा चुके थे। शेष सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों से वसूली का प्रतिवेदन तथा उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2008)।

मामला अगस्त 2007 तथा मार्च 2008 के मध्य सरकार को सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2008)।

4.10 आबकारी एवं कराधान विभाग के पास पंजीकृत न किये गये वाहन

हिमाचल प्रदेश यात्री एवं माल कराधान अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अंतर्गत स्टेज/संविदा ढुलाई वाहनों तथा माल ढुलाई वाहनों के मालिकों से सम्बद्ध आबकारी एवं कराधान अधिकारियों के पास अपने वाहन पंजीकृत कराये जाने तथा निर्धारित दरों पर यात्री एवं माल कर का भुगतान किया जाना अपेक्षित है। दिसम्बर 1984 में जारी किये गये प्रशासनिक अनुदेशों में भी प्रावधान है कि आबकारी एवं कराधान अधिनियम के अंतर्गत सभी वाहनों का पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग उचित उपाय करेगा तथा उस प्रयोजन हेतु पंजीकरण एवं लाइसैंस प्राधिकारियों के साथ निकट समन्वयन रखेगा। पंजीकरण हेतु आवेदन करने में विफलता पर शास्ति जो कि इस प्रकार निर्धारित कर की राशि से पांच गुणा से अधिक न हो परन्तु न्यूनतम राशि 500 रू0 हो, उद्ग्राहय है।

छः[21] सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के साथ नौ पंजीकरण एवं लाइसैंस प्राधिकारियों तथा चार क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के अभिलेखों के प्रतिसत्यापन से जुलाई 2007 तथा मार्च 2008 के मध्य यह पाया गया कि 2006-07 के दौरान सम्बद्ध पंजीकरण एवं लाइसैंस प्राधिकारियों तथा क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के पास पंजीकृत किये गये 658[22] वाहनों को हिमाचल प्रदेश यात्री एवं माल कराधान अधिनियम के अंतर्गत आबकारी एवं कराधान विभाग के पास पंजीकृत नहीं करवाया गया था। इसके परिणामस्वरूप 2006-07 की अवधि हेतु 15.39 लाख रू0 की राशि के कर की वसूली वाहन मालिकों से नहीं की गई। वाहनों का पंजीकरण सुनिश्चित

19 बिलासपुर, चम्बा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मण्डी, नाहन, शिमला, सोलन और ऊना।
20 यात्री वाहन: 388: 22.92 लाख रू0 और माल वाहन: 1,042: 37.08 लाख रू0।
21 बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, मण्डी, नाहन और ऊना।
22 यात्री कर: 141 वाहन: 5.84 लाख रू0 और माल कर: 517 वाहन: 9.55 लाख रू0।

करने के लिए पंजीकरण एवं लाइसैंस प्राधिकारियों/क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों तथा सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के मध्य कोई भी समन्वयन नहीं था। 3.29 लाख रू0 की न्यूनतम शास्ति भी उद्ग्राह्य थी।

इन मामलों को जुलाई 2007 तथा मार्च 2008 के मध्य इंगित किये जाने के पश्चात, अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने फरवरी 2008 में सूचित किया कि कुल्लू जिले के 12 वाहनों से 20,000 रू0 की वसूली कर ली गई थी। सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त को मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निदेश भी दिये गये थे। शेष सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों से बकाया राशि की वसूली का प्रतिवेदन तथा उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 2008)।

मामले अगस्त 2007 तथा मार्च 2008 के मध्य सरकार को सूचित किये गये थे; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2008)।

पांचवां अध्याय: वन प्राप्तियां

5.1 लेखापरीक्षा परिणाम

वन प्राप्तियों से सम्बन्धित वर्ष 2007-08 के दौरान की गई अभिलेखों की नमूना जांच से 252 मामलों में 88.34 करोड़ रू0 की राशि की रॉयल्टी की अवसूली/अल्पवसूली विस्तार फीस/ब्याज का अनुदग्रहण तथा अन्य अनियमितताएं उद्घाटित हुई, जो मुख्यत: निम्नवत श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं:

(करोड़ रूपए)

क्र0सं0	विवरण	मामलों की संख्या	राशि
1.	विस्तार फीस का अनुदग्रहण	22	1.12
2.	ब्याज का अनुदग्रहण	16	0.35
3.	रायल्टी की अवसूली / अल्प वसूली	12	0.27
4.	अन्य अनियमितताएं	202	86.60
योग		252	88.34

वर्ष 2007-08 के दौरान विभाग ने 67 मामलों में 16.89 करोड़ रू0 के अवनिर्धारणों को स्वीकार किये जो विगत वर्षों में लेखापरीक्षा में इंगित किये गये थे।

10.74 करोड़ रू0 से अंतर्ग्रस्त कुछ उदाहरणार्थ मामले आगामी परिच्छेदों में दिये गये हैं।

5.2 राजस्व की कम वसूली

परियोजना के सरेखण में आने वाले खड़े वृक्षों को चिन्हित किया जाता है तथा दोहन के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम को सौंपा जाता है। तथापि, प्रयोक्ता अभिकरण जिसके पक्ष में भारत सरकार ने वन भूमि के अन्तरण हेतु अपना अनुमोदन प्रदान किया हो, से वृक्षों की लागत की वसूली की जाती है। राज्य सरकार ने वर्ष 1992-93 के लिए 15 मई 1993 को विभिन्न प्रजातियों के हरे खड़े वृक्षों की बाजार दरें निर्धारित की थी। उसके पश्चात् विभाग में प्रचलित प्रक्रियानुसार 1992-93 की बाजार दरों पर प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि करके जब तक सरकार ने दिसम्बर 2006 में बाजार की दरों में संशोधन किया, दरों में परिवर्तन किया गया।

छः[1] वन मण्डल अधिकारियों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया (सितम्बर तथा दिसम्बर 2007 के मध्य) कि परियोजनाओं /पारेषण लाइनों, आदि के सरेखण क्षेत्र में आने वाले 15,656.928 घनमीटर खड़े आयतन के देवदार, कैल, रई, फर तथा चील प्रजातियों के 20,880 वृक्षों (बाल वृक्षों सहित) की लागत को 1999-2000 तथा 2006-07 के दौरान विभाग में प्रचलित प्रक्रिया के विपरीत प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि को ध्यान में रखे बिना प्रभारित किया गया। इसके परिणामस्वरूप वैट सहित 3.72 करोड़ रु0 के कम राजस्व की वसूली हुई।

मामलों को सितम्बर तथा दिसम्बर 2007 के मध्य इंगित किये जाने के पश्चात, वन मण्डल अधिकारी, कुल्लू तथा करसोग ने फरवरी तथा मार्च 2008 में सूचित किया कि 1.54 करोड़ रु0 के लिए प्रयोक्ता अभिकरणों के प्रति बिल जारी कर दिये गये थे। शेष वन मण्डल अधिकारियों से वसूली तथा उत्तर पर प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2008)।

मामला अक्तूबर 2007 तथा जनवरी 2008 के मध्य विभाग तथा सरकार को सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2008)।

5.3 बाड़ खम्बों की लागत प्रभारित न करना/कम प्रभारित करना

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत गैर-वानिकी प्रयोजन के लिए प्रयोक्ता अभिकरण को स्थानांतरित किये गये क्षेत्र से दो गुने क्षेत्र में वन विभाग, वनरोपण कार्य का निष्पादन करता है। 12 मई 2004 के विभागीय अनुदेशों के अनुसार प्रतिपूरक वनरोपण के लिए अपेक्षित बाड़ के खम्बों की लागत को प्रयोक्ता अभिकरण से वसूल किया जाना अपेक्षित है तथा राजस्व के रूप में सम्बद्ध शीर्ष के अंतर्गत जमा किया जाना था। इसी प्रकार, सम्बद्ध परियोजना की जलागम/स्त्रवण क्षेत्र उपचार योजना के अंतर्गत बाड़ लगाने के लिए स्त्रवण क्षेत्र में पौधरोपण का अनुरक्षण करने के लिए अपेक्षित बाड़ के खम्बों की लागत को भी प्रयोक्ता अभिकरण से वसूल किया जाना है।

छः[2] वन मण्डल अधिकारियों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान जनवरी तथा दिसम्बर 2007 के मध्य यह पाया गया कि कुल 2,925.5848[5] हैक्टेयर क्षेत्र में स्रवण क्षेत्र उपचार योजना के अंतर्गत स्रवण क्षेत्र में प्रतिपूरक वनरोपण तथा पौधरोपण के अनुरक्षण के लिए अपेक्षित 2,84,906[4] बाड़ खम्बों की लागत[3] को दिसम्बर 2002 तथा अगस्त 2007 के मध्य की अवधि के दौरान प्रयोक्ता अभिकरणों से प्रभारित नहीं किया गया अथवा कम

---

1 करसोग: 8,236 वृक्ष: 1,938.497 घनमीटर; कुल्लू: 3,459 वृक्ष: 3,767.83 घनमीटर; नाचन: 544 वृक्ष: 134.105 घनमीटर; पार्वती: 3,112 वृक्ष: 8,739.494 घनमीटर; रामपुर: 189 वृक्ष: 190.946 घनमीटर और सुकेत: 5,340 वृक्ष: 886.056 घनमीटर।

2 भरमौर, चौपाल, नाचन, राजगढ़, रामपुर और ऊना।

3 बाड़ के खम्बों की लागत विभाग द्वारा जारी किये गये बिलों के आधार पर 100 रु0 प्रति बाड़ के खम्बे की दर से निकाली गई।

4 प्रतिपूरक वनरोपण: 6,986 खम्बे; जलागम/स्त्रवण क्षेत्र उपचार योजना: 2,77,920 खम्बे।

5 प्रतिपूरक वनरोपण क्षेत्र: 115.5848 हैक्टेयर तथा जलागम/स्त्रवण क्षेत्र उपचार योजना: 2,810 हैक्टेयर क्षेत्र।

प्रभारित किया गया। इसके परिणामस्वरूप मूल्यवर्धित कर (वैट) सहित 3.20 करोड़ रू0 के राजस्व की वसूली नहीं हुई /अल्प वसूली हुई।

जनवरी तथा दिसम्बर 2007 के मध्य मामलों को इंगित किये जाने के पश्चात, वन मण्डल अधिकरी, रामपुर ने दिसम्बर 2007 में बताया कि शेष राशि के भुगतान के लिए प्रयोक्ता अभिकरण के प्रति बिल जारी कर दिया गया था। शेष वन मण्डल अधिकारियों से वसूली तथा उत्तर सम्बन्धी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2008)।

मामला फरवरी 2007 तथा जनवरी 2008 के मध्य विभाग तथा सरकार को सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2008)।

5.4 जब्त की गई इमारती लकड़ी का निपटान न करने के कारण राजस्व का अवरोधन

भारतीय वन अधिनियम की धारा 52 में जब्त किये जाने योग्य सम्पत्ति को जब्त किये जाने का प्रावधान है। अप्रैल 1951 के विभागीय अनुदेशों के अनुसार जब्त की गई इमारती लकड़ी/वन आगमों को फार्म-17[6] में इसे लेखाबद्ध करने के पश्चात या तो सपुरदार (लम्बरदार अथवा कोई अन्य विश्वसनीय व्यक्ति) अथवा सम्बद्ध क्षेत्र के स्टॉफ की सपुर्दगी में रखा जाना चाहिए। इस प्रकार लेखाबद्ध की गई इमारती लकड़ी/वन आगमों का न्यायलय द्वारा या तो प्रशमन करने अथवा निर्णित हो जाने के पश्चात निपटान किया जाना अपेक्षित है। प्रधान मुख्य अरण्यपाल ने सभी अरण्यपालों को अनुदेश दिये (अप्रैल 1999) कि जहां पर वन आगमों की सपुरदगी अनावश्यक दीर्घ अवधि के लिए हों वहां ऐसे आगमों के खराब होने/चोरी होने तथा देखभाल पर व्यय को कम करने के लिए सम्बन्धित जांच अधिकारियों को 15 दिनों के अन्दर जब्त की गई सम्पत्ति की नीलामी हेतु सक्षम न्यायालय से आदेश प्राप्त करने को कहा जाना चाहिए। शिखर स्तर पर जब्त की गई/निपटान की गई इमारती लकड़ी की मात्रा का अनुश्रवण करने के लिए कोई भी सम्बद्ध विवरणी निर्धारित नहीं की गई थी।

5.4.1 17[7] वन मण्डल अधिकारियों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान जून 2007 तथा मार्च 2008 के मध्य यह पाया गया कि 2002-03 तथा 2006-07 के मध्य जब्त की गई विभिन्न प्रजातियों की 1,136.39 घनमीटर इमारती लकड़ी का निपटान नहीं किया गया था जैसा कि निम्नवत उल्लेख किया गया है:

(लाख रूपये)

वर्ष	प्रजातियां (आयतन घनमीटरों में)						राशि
	देवदार	कैल	रई	चील	अन्य	योग	
2002-03	61.75	102.32	4.48	0.91	..	169.46	31.67
2003-04	59.31	39.11	4.14	18.70	0.29	121.55	23.11
2004-05	102.12	72.94	31.17	3.57	..	209.80	44.93
2005-06	277.08	68.31	13.98	2.59	6.63	368.59	94.36
2006-07	204.95	59.29	..	0.70	2.05	266.99	77.60
योग	**705.21**	**341.97**	**53.77**	**26.47**	**8.97**	**1,136.39**	**271.67**

6 जब्त किए गए वन आगमों का रजिस्टर।

7 चौपाल,चुराह, डलहौजी, कोटगढ़, करसोग, कुल्लू, कुनिहार, मण्डी, नचान, पार्वती, पांगी, रोहडू, राजगढ़, रामपुर, रेणुकाजी, सिराज तथा ठियोग।

अभिलेख में यह प्रदर्शित करने के लिए कुछ भी नहीं था कि सम्बद्ध वन मण्डल अधिकारियों द्वारा जब्त की गई इमारती लकड़ी की नीलामी हेतु सक्षम न्यायालय के आदेश प्राप्त करने के लिए जांच अधिकारियों को निदेश दिये गये हो। बाजार[8] दरों पर जब्त की गई इमारती लकड़ी का मूल्य 2.72 करोड़ रू0 आंका गया था। जब्त की गई इमारती लकड़ी का निपटान न करने के परिणामस्वरूप न केवल राजस्व का अवरोधन हुआ परन्तु देखभाल पर भी व्यय हो रहा था तथा इमारती लकड़ी/वन आगमों की आगामी खराबी भी हो रही थी।

मामलों को जून 2007 तथा मार्च 2008 के मध्य इंगित किये जाने के पश्चात प्रधान मुख्य अरण्यपाल ने दिसम्बर 2007 में सूचित किया कि क्षेत्रीय वन मण्डल अधिकारी कार्रवाई कर रहे थे तथा मामले का उनके कार्यालय से भी समय-समय पर अनुश्रवण किया जाता था। इसके अतिरिक्त उसने सूचित किया कि मामले पर नवम्बर 2007 में चर्चा की जा चुकी थी तथा इस सम्बन्ध में सावधिक सूचना अरण्यपालों से मंगवाया जाना विभाग के विचाराधीन था।

5.4.2 ठियोग तथा चुराह वन मण्डलों में 2003-04 तथा 2006-07 के मध्य जब्त किये गये 61.101 घनमीटर इमारती लकड़ी के देवदार तथा कैल के वृक्ष अपराधियों द्वारा अवैध रूप से काटे गये। 18.66 लाख रू0 मूल्य की जब्त की गई इमारती लकड़ी को जब्त किये गये वन आगमों के रजिस्टर में लेखाबद्ध नहीं किया गया था जैसा कि अपेक्षित था। अभिलेख में यह सत्यापित करने के लिए ऐसा कुछ भी उपलब्ध नहीं था कि विभाग द्वारा पकड़ी गई लकड़ी की नीलामी की गई हो अथवा हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम के बिक्री डिपो को नीलामी हेतु भेजी गई हो। इसके परिणामस्वरूप 18.66 लाख रू0 के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

मामले जून 2007 तथा अप्रैल 2008 के मध्य विभाग तथा सरकार को सूचित किये गये थे; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 2008)।

5.5 क्षतियों एवं क्षतिपूर्ति का अवनिर्धारण

भारतीय वन अधिनियम की धारा 68 के अनुसार वन मण्डल अधिकारियों ने मण्डलों में विभिन्न वन अपराधों के प्रशमन के लिए क्षतिपूर्ति की दरें निर्धारित की थी। वन आगमों का मूल्य बाजार दर पर प्रभारित किया जाना था। प्रथम अपराध के लिए बाजार दर जमा क्षतिपूर्ति प्रभारित की जानी थी तथा दूसरे एवं उसके बाद के अपराध हेतु दोगुणा दर[9] प्रभार्य थी। राज्य सरकार ने 15 मई 1993 को 1992-93 वर्ष के लिए विभिन्न प्रजातियों के हरे खड़े वृक्षों की बाजार दरें निर्धारित की थी। उसके पश्चात दिसम्बर 2006 में सरकार द्वारा बाजार दरों में संशोधन किये जाने तक विभाग में प्रचलित प्रक्रियानुसार प्रतिवर्ष 1992-93 की बाजार दरों पर 10 प्रतिशत की वृद्धि प्रभारित की जाती थी।

तीन[10] वन मण्डल अधिकारियों के अभिलेख की नमूना जांच से सितम्बर 2007 तथा मार्च 2008 के मध्य यह पाया गया कि 2002-03 तथा 2006-07 के दौरान परियोजनाओं तथा हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग[11] के प्राधिकारियों से क्षतिपूर्ति, वन आगम मूल्य तथा शास्ति की 1.19 करोड़ रू0 की राशि का कम दावा किया गया जैसा कि निम्नवत उल्लिखित है:

8 वन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के दिनांक 1 दिसम्बर 2006 के पत्र में विहित।

9 वन आगमों में क्षतिपूर्ति जोड़ कर बाजारी मूल्य।

10 जोगिन्द्र नगर, पार्वती तथा सिराज।

11 हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग।

(लाख रूपये)

क्र0 सं0	मण्डल/वर्ष का नाम	वृक्ष/सैपलिंग का नाम	प्रजातियां	प्रभार्य राशि	दावा की गई राशि	कम दावा की गई राशि	अभिकरण का नाम
1.	पार्वती/2006-07	217/--	देवदार, कैल, फर, बी/एल	28.11	26.58	1.53	एवरेस्ट पॉवर प्राईवेट लिमिटेड
2.	सिराज/2003-04 से 2006-07 तक	16/465	-यथा-	45.95	32.65	13.30	राष्ट्रीय जल विद्युत निगम
		--/215	-यथा-	5.31	0.98	4.33	हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग
		26/1,910	-यथा-	80.95	15.30	65.65	राष्ट्रीय जल विद्युत निगम
		27/200	-यथा-	2.63	1.19	1.44	हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग
3.	जोगिन्द्रनगर/ 2006-07	144/--	चील, बान व बी /एल	36.62	3.64	32.98	हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग
योग				**199.57**	**80.34**	**119.23**	

सितम्बर 2007 तथा मार्च 2008 के मध्य मामलों को इंगित किये जाने के पश्चात वन मण्डल अधिकारी जोगिन्द्रनगर ने मार्च 2008 में सूचित किया कि 27 दिसम्बर 2006 को वन की जांच के दौरान छः कि0मी0 लम्बी सड़क का निर्माण पाया गया था तथा स्टॉफ ने 26 दिसम्बर 2006 को एकमात्र क्षति प्रतिवेदन जारी किया। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सम्बन्धित परिक्षेत्र वन रक्षक द्वारा 26 तथा 29 दिसम्बर 2006 के मध्य 144 वृक्षों के अवैध उखाड़े जाने के लिए तीन क्षति प्रतिवेदन जारी किये गये थे जैसा कि क्षति प्रतिवेदन फाईल/ रजिस्टर से लेखापरीक्षा में पाया गया था। आगामी प्रतिवेदन तथा शेष मामलों के संदर्भ में उत्तर प्राप्त नहीं (सितम्बर 2008) हुआ है।

मामले अक्तूबर 2007 तथा अप्रैल 2008 के मध्य विभाग तथा सरकार को सूचित किये गये थे; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 2008)।

5.6 अवैध रूप से काटे गये वृक्षों के मूल्य की अल्प वसूली

राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये (दिसम्बर 1986) दिशानिदेशों तथा जुलाई 2005 के विभागीय अनुदेशों के अनुसार वन मण्डल अधिकारियों को अवैध रूप से काटे गये 2 लाख रू0 मूल्य तक के वृक्षों के मामले में अग्रता के आधार पर निपटारा करने की शक्तियां प्रदान की गई है। राज्य सरकार ने 15 मई 1993 को वर्ष 1992-93 के लिए हरे खड़े वृक्षों की विभिन्न प्रजातियों की बाजार दरें निर्धारित की थी। उसके पश्चात विभाग में प्रचलित प्रक्रियानुसार दिसम्बर 2006 में सरकार द्वारा बाजारी दरें संशोधित किए जाने तक 1992-93 की बाजार दरों पर प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि करके दरें प्रभारित की जाती रही।

15[12] वन मण्डल अधिकारियों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान जनवरी 2007 तथा मार्च 2008 के मध्य यह देखा गया कि अप्रैल 2002 तथा मार्च 2007 के मध्य अवैध रूप से काटे गये वृक्षों के 1,376 प्रशमन योग्य मामलों में, अवैध रूप से काटे गये वृक्षों का मूल्य बाजार दरों पर 110.27 लाख रू0 आंका गया। तथापि,

[12] आनी, चौपाल, चम्बा, चुराह, करसोग, कोटगढ़, नाचन, पांगी, राजगढ़ रोहड़ू, रेणुकाजी, शिमला, सोलन, सुकेत तथा ठियोग।

मण्डल ने बाजार दरों के बजाय कम दरें लागू करके वृक्षों के मूल्य के रूप में 28.55 लाख रू0 वसूल (अप्रैल 2002 तथा मार्च 2007 के मध्य) किये। इसके परिणामस्वरूप 81.72 लाख रू0 की राशि की कम वसूली हुई।

मामले फरवरी 2007 तथा अप्रैल 2008 के मध्य विभाग तथा सरकार को सूचित किये गये थे; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2008)।

5.7 क्षति बिलों को स्वीकार/जारी न करने के कारण हानि

मानक अनुबन्ध विलेख की धारा 7 जो हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम को लागू है के अनुसार वन अधिकारी पट्टे पर दिये जाने वाले वन में कार्य आरम्भ करने के लिये उसे प्राधिकृत करने के रूप में प्राप्ति की समुचित रसीद लेकर पट्टाधारी को विस्तृत चिन्ह सूची की प्रति उपलब्ध कराएगा तथा उसके पश्चात पट्टाधारी वन्य कार्य की प्रक्रिया में असावधानी द्वारा वन सम्पत्ति सम्बन्धी किसी भी क्षति के लिये उत्तरदायी होगा। उपरोक्त विलेख में इसके अतिरिक्त यह भी प्रावधान है कि यदि पट्टाधारी संयोगवश, असावधानी स्वरूप, जानबूझ कर वृक्षों को काटता है, जिन्हें काटने के लिये वह अधिकृत नहीं है तो वह पट्टादरों अथवा प्रचलित बाजार दरों में जो भी अधिक हो, उन दरों पर 100 प्रतिशत शास्ति सहित लागत का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होगा। क्षतियों/अवैध कटान, आदि का नियमित स्टॉफ अर्थात वन रक्षक/खण्ड अधिकारी/हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम के सहायक प्रबन्धक द्वारा शीघ्र अभिस्वीकृत/हस्ताक्षरित करवाया जाना अपेक्षित है।

दो वन मण्डल अधिकारियों के अभिलेखों की नमूना जांच से जून तथा दिसम्बर 2007 के मध्य पाया गया कि हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम द्वारा दोहन के दौरान 2005-06 तथा 2006-07 के मध्य 75.032 घनमीटर खड़े आयतन से समाविष्ट 86 शंकुधारी वृक्षों को अवैध रूप से काटा गया। विभाग ने अवैध कटान का समय पर ध्यान नहीं दिया तथा हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम क्षतियों को स्वीकार करवाने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप 39.08 लाख रू0 (शास्ति सहित बाजार दर पर वृक्षों की लागत) के राजस्व जिसमें मूल्यवर्धित कर सम्मिलित हैं, राजस्व की वसूली नहीं हुई जैसा कि निम्नवत् उल्लेख किया गया है:

(लाख रूपये)

क्र0सं0	वन मण्डल का नाम/ लॉट नं0/वर्ष	अनियमितताओं की प्रकृति	अवैध रूप से काटी गई लकड़ी का आयतन (घन मीटर)	क्षतियों के लिए वसूल न की गई राशि
1.	चौपाल/ 6/2005-07	31 मार्च 2007 की पटटा अवधि तक 3,795.453 घनमीटर खड़े आयतन चुक 1,900 वृक्षों से समाविष्ट समूह को दिसम्बर 2004 में हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम को सौंपा गया। वन मण्डल अधिकारी उड़न दस्ता, शिमला द्वारा मई 2006 में जांच करने तथा तत्पश्चात वन मण्डल अधिकारी, चौपाल (अगस्त 2006) द्वारा जांच करने पर पाया गया कि 61.643 घनमीटर खड़े आयतन के देवदार, कैल तथा रई के 78 वृक्षों को अवैध रूप से काटा गया। क्षति बिल फरवरी 2007 में जारी किया गया जिसे यह कह कर हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम द्वारा स्वीकार नहीं किया गया कि इन वृक्षों को 5-6 वर्ष पूर्व काटा गया था। हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम की यह धारणा कि वृक्षों को 5-6 वर्ष पूर्व काटा गया था, किसी क्षेत्रीय छानबीन तथा तकनीकी डाटा द्वारा समर्थित नहीं थी। छानबीन में पाया गया कि वन मण्डल अधिकारी ने अनुबन्ध विलेख की धारा 7 का सहारा लेने के बजाए भुगतान के लिए हिमाचल प्रदेश वन निगम से आग्रह किया। इसके फलस्वरूप क्षति बिल स्वीकृत नहीं हुआ तथा परिणामस्वरूप 32.20 लाख रू0 के राजस्व की हानि हुई।	61.643	32.20
2.	रामपुर/ 2/2005-06	पुनन सी-113 वन, जहां समूह के दोहन का कार्य प्रगति पर था, में सितम्बर 2005 में 13.389 घनमीटर से समाविष्ट आठ कैल के वृक्षों को अवैध रूप से काटा गया था। छानबीन से पाया गया कि विभाग ने अनुबन्ध विलेख की धारा-7 का सहारा लेने के बजाय अपराधिक अपराधियों के प्रति क्षति प्रतिवेदन जारी किये तथा पुलिस के पास मामला पंजीकृत कराया। इसके परिणामस्वरूप विभाग हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम से 6.88 लाख रू0 वसूल नहीं कर सका।	13.389	6.88
		योग	75.032	39.08

मामले जुलाई 2007 तथा जनवरी 2008 के मध्य सरकार को सूचित किये गये थे; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2008)।

5.8 मामले कालातीत होने के कारण राजस्व हानि

अपराध प्रक्रिया नियमावली के अनुसार, कोई भी न्यायालय परिसीमा की अवधि के समाप्त होने के पश्चात वन अपराध के मामलों पर विचार नहीं करेगा। परिसीमा की अवधि छ:मास से तीन वर्षों की होती है तथा किये गये अपराध के संदर्भ में तय की जाती है। फरवरी 1985 के विभागीय अनुदेशों के अनुसार, वन मण्डल अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना था कि चालान जारी करने के लिए कोई भी मामला कालातीत न हो तथा उन से वन अपराध मामलों के निपटान हेतु शीघ्र कार्रवाई की जानी अपेक्षित थी क्योंकि कार्रवाई करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप दोषी न केवल दोषमुक्त होंगे बल्कि अपराध मामलों का प्रशमन करना भी कठिन होगा।

5.8.1 नौ[13] वन मण्डल अधिकारियों के अभिलेखों की नमूना-जांच से जून 2007 तथा मार्च 2008 के मध्य पाया गया कि दोषियों के प्रति अवैध रूप से वृक्षों को काटने तथा अन्य अपराधों के लिए 2002-03 तथा 2004-05 के मध्य देवदार, कैल तथा बान प्रजातियों के 163 वृक्षों से समाविष्ट 22 क्षति प्रतिवेदन जारी किये गये थे। छानबीन से पाया गया कि 146.23 घनमीटर खड़े आयतन की 39.27 लाख रू0 के मूल्य की इमारती लकड़ी के प्रति विभाग 6.84 लाख के मूल्य की 27.215 घनमीटर लकड़ी को ही जब्त कर सका। तथापि, विभाग इन मामलों का निर्धारित अवधि के अन्दर प्रशमन करने में अथवा उन्हें न्यायालय में ले जाने में विफल रहा। बाद में मामलों के कालातीत हो जाने के कारण अपराधियों के प्रति कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकी। इसके परिणामस्वरूप 32.43 लाख रू0 के राजस्व की हानि हुई।

5.8.2 जून 2007 में ठियोग वन मण्डल में यह देखा गया कि 45.254 घनमीटर खड़े आयतन से युक्त 13.24 लाख रू0 मूल्य की इमारती लकड़ी के देवदार के 47 वृक्ष 2003-04 के दौरान अवैध रूप से काटे गये थे। छानबीन से पाया गया कि विभाग ने न तो अपराधियों के प्रति क्षति प्रतिवेदन जारी किये और न ही मामलों को न्यायालय में ले जाया गया। इसके परिणामस्वरूप, मामले कालातीत हो गये। विभाग की ओर से कार्रवाई न किये जाने के परिणामस्वरूप 13.24 लाख रू0 के राजस्व की हानि हुई।

जून 2007 तथा मार्च 2008 के मध्य मामले इंगित किये जाने के पश्चात ठियोग तथा कोटगढ़ के वन मण्डल अधिकारियों ने जून 2007 तथा अक्तूबर 2007 के मध्य सूचित किया कि कालातीत मामलों की छानबीन की जा रही थी। शेष वन मण्डल अधिकारियों से आगामी प्रगति तथा उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2008)।

मामले जुलाई 2007 तथा अप्रैल 2008 के मध्य विभाग तथा सरकार को सूचित किये गये थे; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2008)।

5.9 गलत आयतन कारक लागू करने के कारण रॉयल्टी की कम वसूली

रॉयल्टी वृक्षों के खड़े आयतन पर भुगतान योग्य है जिसकी गणना अनुमोदित कार्य योजना में वन विभाग द्वारा निर्धारित किये गये आयतन कारक पर की जाती है। भरमौर वन मण्डल की वर्ष 2002-03 से 2016-17 तक (2004-05 से 2018-19 तक लागू) के लिए कार्य योजना के अनुसार देवदार प्रजाति के 1ए से 1डी[14] श्रेणी के वृक्षों के लिये निर्धारित आयतन कारक को कैल प्रजाति के लिये लागू किया जाना था।

---

13 आनी, चुराह, डलहौजी, करसोग, कोटगढ़, पांगी, रोहड़ू, रामपुर तथा रेणुकाजी।

14 यह परिधि के आधार पर वृक्ष का वर्गीकरण है।

वन मण्डल अधिकारी भरमौर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान मई 2007 में यह पाया गया कि कैल वृक्षों के सम्बन्ध में 1,115.29 घनमीटर खड़े आयतन का हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम से कम दावा किया गया। छानबीन से पाया गया कि कार्ययोजना में निर्धारित[15] देवदार के खड़े आयतन के प्रति कैल वृक्षों के 1,408 वृक्षों के ए, से 1डी श्रेणी के लिये आयतन कारक को 3.89 घनमीटर प्रति वृक्ष लिया गया। इस प्रकार मण्डल ने वर्ष 2005-06 से 2006-07 के लिये 30[16] समूहों को हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम को सौंपते समय 6,592.41 घनमीटर के प्रति 5,477.12 घनमीटर खड़े आयतन का दावा प्रस्तुत किया। गलत आयतन कारक लागू करने के परिणामस्वरूप 2005-06 तथा 2006-07 के लिए मूल्य वर्धित कर (वैट) सहित क्रमश: 2,673 रू0 तथा 2,817 रू0 प्रति घनमीटर की दर से रॉयल्टी के संदर्भ में 34.18 लाख रू0 की कम वसूली हुई।

मामला मई 2007 में विभाग तथा सरकार को सूचित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2008)।

5.10 विस्तार फीस का अनुद्ग्रहण

मूल्य निर्धारण समिति के निर्णय के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम के गठन से पूर्व ठेकेदारों को लागू अनुबन्ध एवं शर्तें वनों के दोहन के लिए इसे लागू थी। सभी स्वीकृत विस्तारों के लिए भुगतान योग्य रॉयल्टी की शेष राशि पर 1.5 प्रतिशत प्रतिमास की दर से विस्तार फीस उद्ग्राह्य थी। तथापि, जहां रॉयल्टी का भुगतान किया जा चुका था वहां सम्बद्ध समूह के रॉयल्टी की राशि पर 0.2 प्रतिशत की दर से विस्तार फीस उद्ग्राह्य थी। दूसरे तथा उसके बाद के विस्तारों पर उपरोक्त दरें क्रमश: दो तथा 0.3 प्रतिशत प्रति मास थीं। मूल्य निर्धारण समिति ने 11 सितम्बर 2007 को हुई अपनी बैठक में अनुमोदित किया कि भविष्य में विस्तार फीस कुल रॉयल्टी (भुगतान की गई हो अथवा न की गई हो) के 0.2 प्रतिशत प्रतिमास की दर से प्रभारित की जानी चाहिए तथा 1 अप्रैल 2007 से आगे लम्बित सभी समूहों के लिए लागू होगी।

10[17] वन मण्डल अधिकारियों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान जून 2007 तथा मार्च 2008 के मध्य यह देखा गया कि 31 मार्च 2005 तथा 30 सितम्बर 2007 के मध्य समाप्त हुई पट्टावधि के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम को दोहन के लिए 71 समूह सौंपे गये। छानबीन से पाया गया कि यद्यपि इन समूहों के दोहन का कार्य पट्टा अवधि के अन्दर पूर्ण नहीं किया जा सका, 29.86 लाख रू0 की विस्तार फीस की न तो मांग की गई और न ही हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम द्वारा इसका भुगतान किया गया। इसके परिणामस्वरूप 29.86 लाख रू0 के राजस्व का अनुद्ग्रहण हुआ।

जून 2007 तथा मार्च 2008 के मध्य मामलों को इंगित किये जाने के पश्चात वन मण्डल अधिकारी, चौपाल तथा ठियोग ने जून तथा जुलाई 2007 में सूचित किया कि विस्तार फीस के लिए बिल दे दिये गये थे जब कि वन मण्डल अधिकारी सिराज ने सितम्बर 2007 में बताया कि बिल दिया जा रहा था। वसूली पर प्रतिवेदन तथा शेष मण्डलों से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2008)।

मामले जुलाई 2007 तथा अप्रैल 2008 के मध्य विभाग तथा सरकार को सूचित किये गये थे; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2008)।

---

15 1ए: 4.11 घनमीटर; 1बी: 5.38 घनमीटर; 1सी: 6.80 घनमीटर तथा 1डी: 8.50 घनमीटर।

16 2005-06: 20 समूह; 30 नवम्बर 2004 तथा 2006-07: 10 समूह; 15 दिसम्बर 2005।

17 चम्बा, चौपाल, चुराह, डलहौजी, कोटगढ़, नाचन, पांवटा, रोहड़ू, सिराज तथा ठियोग।

5.11 ब्याज का अनुद्ग्रहण

हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम जिसे सभी वन समूहों के दोहन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, से सभी वन समूहों के सम्बन्ध में देय तिथियों जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई हो, रॉयल्टी की किस्तों का जमा करवाया जाना अपेक्षित है। यदि देय तिथि के पश्चात 90 दिनों के अन्दर रॉयल्टी का भुगतान नहीं किया जाता है तो 1 अप्रैल 2001 तथा 1 अप्रैल 2004 से क्रमश: 11.5 तथा नौ प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज प्रभार्य है।

छ:[18] वन मण्डल अधिकारियों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान मई 2006 तथा जुलाई 2007 के मध्य यह देखा गया कि 2002-03, 2004-05 तथा 2005-06 वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम को दोहन के लिए 89 वन समूह सौंपे गये। तथापि, मार्च 2003 तथा नवम्बर 2006 के मध्य भुगतान की जाने वाली 2.67 करोड़ रू0 रॉयल्टी का भुगतान जून 2005 तथा जून 2007 के मध्य किया गया। रॉयल्टी के भुगतान में 169 से 820 दिनों के मध्य का विलम्ब था। विलम्ब से जमा करवाई गई रॉयल्टी के लिए यद्यपि 15.71 लाख रू0 का ब्याज उद्ग्राह्य था जिसका विभाग द्वारा उद्ग्रहण नहीं किया गया।

मई 2006 तथा जुलाई 2007 के मध्य मामले इंगित किये जाने के पश्चात विभाग ने जून 2007 में बताया कि हमीरपुर मण्डल के सम्बन्ध में 1.20 लाख रू0 का बिल फरवरी 2007 में दे दिया गया था। वसूली का प्रतिवेदन तथा शेष मण्डलों से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2008)।

मामले जून 2006 तथा अगस्त 2007 के मध्य विभाग तथा सरकार को सूचित किये गये थे; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 2008)।

5.12 बरोजा ब्लेजों का नि:श्रवण न करने के कारण राजस्व हानि

24 सितम्बर 2001 के अनुदेशों के अनुसार प्रधान मुख्य अरण्यपाल ने पहली बार बरोजा निकाले जाने वाले वृक्षों के सम्बन्ध में बरोजा निकाले जाने वाली ऋतु 2002 से लागू बरोजा नि:श्रवण (टैपिंग) के लिए 30 सैं0मी0 वक्ष ऊंचाई से 35 सैं0मी0 वक्ष ऊंचाई तक के न्यूनतम व्यास की वृद्धि की थी। तथापि, पुराने समूहों के लिए जो पहले से ही नि:श्रवण के अंतर्गत थे अथवा वृक्ष जिनका नि:श्रवण पहले किया जा चुका था परन्तु गणना के लिए बच गये थे तथा जिनका नि:श्रवण अब किया जा सकता था उनका नि:श्रवण योग्य व्यास 30 सैं0मी0 वक्ष ऊंचाई तक जारी रहेगा। इसके अतिरिक्त मई 2000 में जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार ब्लेजों को काटने के लिए नि:श्रवण ऋतु आरम्भ होने से ठीक पूर्व अरण्यपाल का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाना अपेक्षित था।

तीन[19] वन मण्डल अधिकारियों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान जुलाई 2007 तथा मार्च 2008 के मध्य यह देखा गया कि 35 सैं0मी0 एवं उससे अधिक व्यास से समाविष्ट 29,292 चील के वृक्षों को 2005 तथा 2007 के मध्य की नि:श्रवण ऋतु के लिए बरोजा नि:श्रवण हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम को सौंपा नहीं गया। ऊना मण्डल में, 2005 के दौरान 13,576 बरोजा ब्लेजों की गणना नहीं की गई जबकि उनकी वक्ष ऊंचाई 40 सैं0मी0 से अधिक थी। शेष दो मण्डलों में चिन्हक सूची में 15,716 बरोजा ब्लेजों को काटने से पूर्व अरण्यपाल का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था। इस प्रकार, अनुमोदन के बिना ब्लेजों की गणना न करने/काटने के परिणामस्वरूप रॉयल्टी के सम्बन्ध में सरकार 9.33 लाख रू0 के राजस्व से वंचित हुई।

मामले अगस्त 2007 तथा अप्रैल 2008 के मध्य विभाग तथा सरकार को सूचित किये गये थे; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (सितम्बर 2008)।

---

18 चम्बा, चौपाल, चुराह, हमीरपुर, नुरपूर, तथा नाहन।

19 चुराह, डलहौजी तथा ऊना।

5.13 बरोजा ब्लेजों की रॉयल्टी की अल्प वसूली

मूल्य निर्धारण समिति के दिनांक सितम्बर 2007 के निर्णय के अनुसार, सरकार द्वारा बरोजा नि:श्रवण ऋतु 2006 के लिये बरोजा रॉयल्टी 35 रु0 प्रति ब्लेज निर्धारित की गई थी।

वन मण्डल अधिकारी, पालमपुर के अभिलेखों की नमूना जांच से मार्च 2008 में पाया गया कि मण्डल ने नि:श्रवण ऋतु 2006 के लिये 60,611 बरोजा ब्लेजों के सम्बन्ध में 24 रु0 प्रति ब्लेज की दर से रॉयल्टी का दावा किया (जुलाई 2006)। छानबीन से पाया गया कि न तो मण्डल में रॉयल्टी के अन्तर की राशि की मांग की तथा न ही हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम द्वारा इसका भुगतान किया गया। इसके परिणामस्वरूप 6.67 लाख रु0 की रॉयल्टी की अल्प वसूली हुई।

मामला जून 2008 में विभाग तथा सरकार को सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2008)।

छठा अध्याय: अन्य कर एवं कर भिन्न प्राप्तियां

6.1 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष 2007-2008 के दौरान की गई बहुद्देशीय परियोजना एवं विद्युत, राजस्व, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, उद्योग विभागों के अभिलेखों की नमूना जांच से 292 मामलों में 34.55 करोड़ रू0 की राशि की विद्युत शुल्क का अनुद्ग्रहण/अल्पोद्ग्रहण, सम्पति के बाजारी मूल्य का गलत निर्धारण, पंजीकरण हेतु दस्तावेज प्रस्तुत न किये जाने, अल्प वसूली, पट्टा राशि का नवीकरण/भुगतान न करना, जल प्रभारों की अवसूली/अल्प वसूली, रॉयल्टी/ब्याज का अनुद्ग्रहण तथा अन्य अनियमिततायें पाई गई, जो निम्नवत् श्रेणियों के अंतर्गत आती है:

(करोड़ रू0)

क्रमांक	विवरण	मामलों की संख्या	राशि
1.	विद्युत शुल्क का उद्ग्रहण एवं संग्रहण (एक समीक्षा)	01	12.12
2.	जल प्रभारों की अवसूली/अल्प वसूली	27	12.16
3.	सम्पत्ति के बाजारी मूल्य का गलत निर्धारण	90	5.43
4.	रॉयल्टी/ब्याज का अनुद्ग्रहण	17	0.41
5.	पट्टा राशि का नवीकरण/भुगतान न करने के कारण हानि	03	0.30
6.	गलत दरें निर्धारित करने के कारण पट्टा राशि की अल्प वसूली	01	0.07
7.	पंजीकरण हेतु दस्तावेज प्रस्तुत न करना	05	0.06
8.	अन्य अनियमितताएं	148	4.00
	योग	292	34.55

2007-08 के दौरान विभागों ने 35 मामलों में 13.59 करोड़ रू0 के अव-निर्धारण स्वीकार किये जिन में से 46 लाख रू0 का एक मामला वर्ष के दौरान तथा बाकी पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा में इंगित किये गये थे।

7.03 करोड़ रू0 से समाविष्ट कुछ उदाहरणार्थ मामले तथा 12.12 करोड़ रू0 से समाविष्ट **विद्युत शुल्क के उद्ग्रहण एवं संग्रहण** की एक समीक्षा का उल्लेख आगामी परिच्छेदों में किया गया है।

क. बहुदेशीय परियोजनाएं तथा विद्युत विभाग

6.2 विद्युत शुल्क का उद्ग्रहण तथा संग्रहण

6.2.1 मुख्य-मुख्य बातें

- हिमाचल प्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम में समर्थकारी प्रावधानों के अभाव में विद्युत की बिक्री पर 390.40 करोड़ रू0 का विद्युत शुल्क उद्ग्रहीत नहीं किया जा सका।

(परिच्छेद 6.2.9)

- होटल जो कि एक उद्योग है, पर विद्युत शुल्क की औद्योगिक दरों के बजाए वाणिज्यिक दरें प्रभारित करने के फलस्वरूप 80.79 लाख रू0 के विद्युत शुल्क की हानि हुई।

(परिच्छेद 6.2.11)

- बद्धी, दारलाघाट तथा पांवटा साहिब की पांच अपात्र औद्योगिक इकाइयों को गलत पात्रता प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने के फलस्वरूप 28.33 करोड़ रू0 के विद्युत शुल्क की अनुचित छूट दी गई।

(परिच्छेद 6.2.15)

6.2.2 परिचय

विद्युत शुल्क के उद्ग्रहण तथा संग्रहण का नियमन हिमाचल प्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियमन 1975 के अंतर्गत होता है। हिमाचल प्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड उपभोक्ताओं से निर्धारित दरों पर उपयोग की गई ऊर्जा के शुल्क का उद्ग्रहण तथा संग्रहण करके इसे सरकारी कोष में जमा करवाने के लिए सांविधिक रूप से उत्तरदायी है। जो अपने उपयोग के लिए बिजली का उत्पादन करते हैं उनसे भी विद्युत शुल्क का सीधे सरकारी कोष में जमा करवाना अपेक्षित है, बशर्ते उत्पादन क्षमता 5 के.वी. अथवा इससे अधिक हो। हिमाचल प्रदेश विद्युत शुल्क नियमावली, 1975 के अंतर्गत विद्युत शुल्क प्रतिवर्ष अप्रैल तथा अक्तूबर में अर्धवार्षिक रूप से सरकारी कोष/अनुसूचित बैंक में जमा करवाया जाएगा। अधिनियम के अंतर्गत यदि बोर्ड अथवा लाइसैंसधारी अथवा उत्पादक कंपनी अथवा उपभोक्ता, जैसा भी मामला हो, शुल्क की अदायगी का अपवंचन करता है अथवा अपवंचन करने का प्रयत्न करता है तो बोर्ड अथवा वैसा व्यक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत अदा किये जाने वाले शुल्क की राशि के अतिरिक्त मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा निर्धारित शास्ति की अदायगी करेगा, जो शुल्क के चार गुणा से अधिक नहीं होगी। **तथापि, बोर्ड अथवा लाइसैंसधारी अथवा उपभोक्ता द्वारा शुल्क की विलंबित अदायगी पर शास्ति की उद्ग्रहण के संदर्भ में अधिनियम मौन है।** इसके अतिरिक्त अपने उपयोग अथवा उपभोग के लिए ऊर्जा उत्पादित करने वाला बोर्ड अथवा कोई व्यक्ति मई तथा नवम्बर के अन्तिम दिन तक मुख्य विद्युत निरीक्षक को निर्धारित फार्म में एक विवरण[1] प्रस्तुत करेगा तथा मुख्य विद्युत निरीक्षक वित्त वर्ष की समाप्ति के तीन मास के भीतर सरकार को निर्धारित फार्म में एक विवरणी[2] प्रस्तुत करेगा। जिस शुल्क की अदायगी बकाया रह जाती है उसकी वसूली भू-राजस्व के रूप में अथवा राज्य

1 उपभोक्ताओं की श्रेणी, निर्धारित किया गया शुल्क, पूर्ववर्ती बकाया, देय कुल विद्युत शुल्क, वसूल किया गया शुल्क, अग्रेशीत किया गया बकाया आदि जैसे ब्यौरों से समाविष्ट।

2 भुगतान योग्य शुल्क, निर्धारित शुल्क, पूर्ववर्ती बकाया को अग्रेनीत ले जाना, कुल देय विद्युत शुल्क, वसूली गई राशि, बकाया, टिप्पणियां आदि जैसे विवरण से समाविष्ट।

सरकार द्वारा बोर्ड अथवा अपने उपभोग के लिए ऊर्जा उत्पादित करने वाले व्यक्ति को देय राशियों में से कटौती के रूप में की जाएगी।

लेखापरीक्षा द्वारा विद्युत शुल्क के उद्ग्रहण तथा संग्रहण की समीक्षा करने का निर्णय लिया गया। समीक्षा में प्रणाली तथा अनुपालना से सम्बन्धित अनेक कमियां उद्घाटित हुई, जिनकी अनुवर्ती परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

6.2.3 संगठनात्मक ढांचा

अनुश्रवण, आंतरिक नियन्त्रण तथा विद्युत शुल्क के उद्ग्रहण एवं संग्रहण पर आंतरिक लेखापरीक्षा सहित समस्त प्रशासनिक नियन्त्रण प्रधान सचिव, बहुद्देशीय परियोजनाएं तथा ऊर्जा विभाग का है, जिसे मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। मुख्य विद्युत निरीक्षक हिमाचल प्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम के प्रावधानों तथा नियमावली का कार्यान्वयन करने, विवरणियां प्राप्त करने, परिसर का निरीक्षण करने तथा विद्युत संस्थापनों की जांच करने के लिए उत्तरदायी है। उसे सहायक विद्युत निरीक्षकों[3] द्वारा सहायता प्रदान की जाती है जो अपने क्षेत्राधिकार वाले क्षेत्रों में विद्युत संस्थापनों तथा मीटरों की जांच करने के लिए उत्तरदायी हैं।

6.2.4 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र तथा कार्यप्रणाली

2002-03 से 2006-07 की अवधि से सम्बन्धित विद्युत शुल्क के उद्ग्रहण तथा संग्रहण के संदर्भ में प्रणाली की क्षमता की समीक्षा मार्च 2008 तथा मई 2008 के मध्य मुख्य विद्युत निरीक्षक के कार्यालय में की गई। लेखापरीक्षा के दौरान बोर्ड के 228 विद्युत उप-मण्डलों में से 44[4] से प्राप्त किए गए आंकड़ों तथा सूचना की भी मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों के साथ सत्यापन किया गया इन 44 विद्युत उप-मण्डलों में से 14 चार जिलों में औद्योगिक क्षेत्रों में, 14 पांच जिला के वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तथा 16 उप-मण्डल औद्योगिक तथा वाणिज्यिक स्थानों के अतिरिक्त ऐसे आठ जिलों में स्थित थे, जहां अधिकतर उपभोक्ता थे। इसके परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा ने सभी उप-मण्डलों में 30 प्रतिशत उपभोक्ताओं तथा 78 प्रतिशत से अधिक अर्जित राजस्व को आवृत्त किया।

6.2.5 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निम्नवत् का निर्धारण करने के उद्देश्य से समीक्षा की गई:

- विद्युत शुल्क उद्ग्रहण तथा संग्रहण करने से सम्बन्धित प्रणाली की कार्य कुशलता तथा प्रभावशीलता का पता लगाना; तथा
- क्या विद्युत शुल्क की समुचित वसूली सुनिश्चित करने के लिए कोई पर्याप्त आंतरिक नियन्त्रण तंत्र विद्यमान था।

---

3 सहायक विद्युत निरीक्षक डलहौजी: जिला चम्बा तथा जिला कांगड़ा का धर्मशाला, हमीरपुर: हमीरपुर, कांगड़ा जिले का पालमपुर तथा ऊना जिला, मण्डी: मण्डी, कुल्लू तथा लाहौल स्पिति, शिमला-I: शिमला तथा किन्नौर जिले तथा शिमला-II: सोलन और सिरमौर जिले।

4 अम्ब, बद्दी, बरोटीवाला, बिलासपुर-I, भावानगर, भुन्तर, बालूगंज, छोटा शिमला, डलहौजी, दमताल, दाड़लाघाट, धौलाकुंआ, धर्मशाला-I, धर्मशाला-II, गगरेट, ईदगाह, जतोग, काला अम्ब, कण्डाघाट, कसौली, कटराई, खलीनी, कुल्लू-I, कुल्लू-II, मनाली-I, मनाली-II, मशोबरा, मैहतपुर, नाहन, नालागढ़-I, नालागढ़-II, नम्होल, पुरपुर, पांवटासाहिब, परवाणू, रिकांगपिओ, रिज, संजौली, संसारपुर टैरेस, सतौन, सोलन-I, सोलन-III, सुन्दरनगर तथा ताहलिवाल।

6.2.6 विभाग को आभार प्रकट करना

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक सूचना तथा अभिलेख प्रदान करने में सहयोग प्रदान करने के लिए बहुद्देशीय परियोजनाएं तथा उर्जा विभाग तथा मुख्य विद्युत निरीक्षक का आभारी है। मार्च 2008 में विभाग के साथ प्रथम संगोष्ठी आयोजित की गई जिसमें समीक्षा करने के लिए कार्यक्षेत्र तथा प्रणाली की चर्चा की गई। प्रधान सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, बहुद्देशीय परियोजनाएं तथा ऊर्जा विभाग ने सरकार तथा विभाग दोनों का प्रतिनिधित्व किया। जून 2008 में विभाग तथा सरकार को प्रारूप समीक्षा प्रतिवेदन अग्रेषित किया गया तथा जुलाई 2008 में लेखापरीक्षा समीक्षा समिति द्वारा आयोजित की गई बैठक में इस पर चर्चा की गई। प्रधान सचिव, बहुद्देशीय परियोजनाएं तथा ऊर्जा ने सरकार का प्रतिनिधित्व किया, जबकि मुख्य विद्युत निरीक्षक ने विभाग का प्रतिनिधित्व किया। सरकार का दृष्टिकोण सम्बन्धित परिच्छेदों में समाविष्ट किया गया है।

6.2.7 राजस्व की प्रवृति

हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली के अनुसार पूर्व वर्षों के वास्तविक आंकड़े तथा संशोधित प्राक्कलन साधारण तथा बजट प्राक्कलन तैयार करने के लिए सर्वोत्तम मार्गदर्शक सिद्ध होते हैं तथा उनके द्वारा इंगित आय में कोई वृद्धि अथवा गिरावट की निरंतरता, इसके विरूद्ध किन्हीं स्पष्ट कारणों के अभाव में, सभी उन मामलों में समुचित रूप से कल्पित किए जा सकते हैं जिनमें आनुपातिक प्राक्कलन लाभाकारी रूप से उपायेग किए जा सकते हैं। किन्तु राजस्व के उन नए स्रोतों के संदर्भ में विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए जिन पर पूर्व वर्षों में विचार नहीं किया गया है। जिन कारणों से बजट प्राक्कलनों के लिए आंकड़े अपनाए गए उनकी संक्षिप्त तथा स्पष्ट रूप से व्याख्या की जानी चाहिए।

2002-03 से 2006-07 वर्षों के दौरान बजट प्राक्कलन तथा विद्युत शुल्क की वास्तविक वसूली का नीचे उल्लेख किया जाता है:

(करोड़ रू०)

वर्ष	बजट प्राक्कलन	वास्तविक आंकड़े	अन्तर वृद्धि (+) कमी (-)	अन्तर (प्रतिशत)
2002-03	36.84	0.03	(-) 36.81	(-) 100
2003-04	32.00	16.42	(-) 15.58	(-) 49
2004-05	33.34	87.68	(+) 54.34	(+) 163
2005-06	34.99	88.92	(+) 53.93	(+) 154
2006-07	51.77	29.96	(-) 21.81	(-) 42

सभी वर्षों में वास्तविक आंकड़ों तथा बजट प्राक्कलनों में अन्तर है, जो यह इंगित करता है कि बजट प्राक्कलन वास्तविक आधार पर तैनात नहीं किए गए।

सरकार ने सूचित किया कि भविष्य में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के प्राधिकारियों के साथ परामर्श के उपरांत बजट प्राक्कलन तैयार किये जाएंगे ताकि आंकड़े और अधिक वास्तविक हो पाएं।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

प्रणाली से सम्बन्धित कमियां

6.2.8 अधिभार का उद्ग्रहण करने के लिए प्रावधानों का अभाव

भारतीय विद्युत अधिनियम के अंतर्गत जारी किए गए टैरिफ आदेश के अनुसार यदि एक उपभोक्ता निर्धारित तिथि तक उपयोग की गई ऊर्जा के प्रभारों की अदायगी करने में विफल रहता है तो वह बोर्ड द्वारा अपने टैरिफ में निर्धारित दरों पर अदा न की गई राशि पर 2003-04 तक दो प्रतिशत तथा इसके उपरांत एक प्रतिशत प्रति मास की दर से अधिभार की अदायगी करने का उत्तरदायी होगा। **तथापि, हिमाचल प्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम उपभोक्ता द्वारा विद्युत शुल्क की विलम्बित अदायगी पर अधिभार का उदग्रहण करने के संदर्भ में मौन है।**

बोर्ड के लेखों से संबद्ध वार्षिक विवरण की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि बोर्ड ने 2002-03 से 2006-07 वर्षों के दौरान 37.39 करोड़ रू0 का अधिभार वसूल किया, किन्तु विद्युत शुल्क की अदत्त राशि पर कोई अधिभार उद्गृहीत नहीं किया जा सका जिसका नीचे उल्लेख किया जाता है:

(करोड़ रू0)

वर्ष	बोर्ड द्वारा वसूल किया गया अधिभार	अदत्त विद्युत शुल्क
2002-03	5.85	1.77
2003-04	11.40	2.50
2004-05	7.17	3.28
2005-06	6.04	4.74
2006-07	6.93	5.36
योग	37.39	17.65

सरकार ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं ने अदायगी करने में चूक की है उनसे बकाया विद्युत शुल्क की वसूली करने के लिए बोर्ड को सलाह दी गई है (जुलाई 2008) तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम में संशोधन करके विद्युत शुल्क की विलंबित अदायगी पर अधिभार का उद्ग्रहण करने के लिए एक उपयुक्त प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। इस सम्बन्ध में सरकार शीघ्र ही एक समीक्षा समिति का गठन करने पर विचार कर रही है।

अतः सरकार ऊर्जा प्रभारों की विलम्बित अदायगी पर अधिभार के उद्ग्रहण की भांति विद्युत शुल्क की विलंबित अदायगी पर अधिभार के उदग्रहण के लिए एक शास्ति खण्ड का प्रावधान करने पर विचार कर सकती है।

6.2.9 उर्जा की बिक्री पर विद्युत शुल्क का उद्ग्रहण करने के लिए प्रावधान का अभाव

हिमाचल प्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त की गई ऊर्जा अथवा भारत सरकार द्वारा उपयुक्त की गई ऊर्जा अथवा रेलवे/बोर्ड द्वारा विशिष्ट प्रयोजनों के लिए उपयोग की गई ऊर्जा के अतिरिक्त निर्धारित दरों पर विद्युत शुल्क का उद्ग्रहण किया जाएगा तथा उपयोग की गई ऊर्जा पर इसकी राज्य सरकार को अदायगी की जाएगी। **तथापि, बोर्ड/विद्युत का उत्पादन करने वाली कंपनियों/व्यक्तियों द्वारा अन्य राज्यों/लोक उपक्रमों को बेची गई ऊर्जा पर विद्युत शुल्क का उद्ग्रहण करने के संदर्भ में अधिनियम मौन है।**

अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि बोर्ड तथा सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड[5] ने 2002-03 से 2006-07 वर्षों के दौरान अन्य राज्यों/लोक उपक्रमों को विद्युत ऊर्जा की 18,656.233 मिलीयन इकाइयों की बिक्री की। तथापि, हिमाचल प्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम में समर्थकारी प्रावधान के अभाव में उपर्युक्त इकाइयों की बिक्री पर 390.40 करोड़ रू0 के विद्युत शुल्क का उद्ग्रहण नहीं किया जा सका, जिसका नीचे उल्लेख किया गया है:

विक्रेता अधिकरण/इकाई का नाम	बिक्री की गई विद्युत उर्जा का वर्ष/इकाईयां (मिलियन इकाईयां)				
	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
बोर्ड	515.67	1,097.57	1,158.21	1,232.72	363.73
सतलुज जल विद्युत निगम	..	986.09	4,498.62	3,568.60	5,235.02
योग	515.67	2,083.66	5,656.83	4,801.32	5,598.75
प्रति इकाई विद्युत शुल्क की दरें[6] (रूपए)	0.15	0.15	0.18	0.24	0.24
परित्यक्त विद्युत शुल्क (करोड़ रू0)	7.73	31.25	101.82	115.23	134.37

सरकार ने बताया कि शायद अधिनियम में संदिग्धता/स्पष्टता के अभाव के कारण भ्रान्ति पैदा होती है तथा अधिनियम का प्रावधान स्पष्ट करने के लिए पग उठाए जाएंगे।

चूंकि सरकार विद्युत शुल्क के रूप में भारी राशि का परित्याग कर रही है, अतः यह विद्युत ऊर्जा की बिक्री पर विद्युत शुल्क का उद्ग्रहण करने से सम्बन्धित प्रावधान करने पर विचार कर सकती है।

6.2.10 अतिरिक्त उपभोग पर विद्युत शुल्क की हानि

हिमाचल प्रदेश विद्युत शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 1992 के अंतर्गत प्रयुक्त की गई ऊर्जा के लिए निर्धारित दरों पर विद्युत शुल्क का उद्ग्रहण करके इसकी राज्य सरकार को अदायगी की जाएगी। बोर्ड के अतिरिक्त विद्युत उत्पादन इकाइयों द्वारा तद्नुसार अतिरिक्त ऊर्जा का उपभोग करने पर वे विद्युत शुल्क के लिए उत्तरदायी हैं। विभाग का कथन स्वीकार करते हुए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय[7] ने निदेश दिए (अक्तूबर 1994) कि उत्पादन केन्द्रों, उप-केन्द्रों के लिए उनके (एनएचपीसी/पीएसई0बी-याचिकादाता) द्वारा प्रयुक्त की गई विद्युत तथा ऊर्जा के उत्पादन, परेषण तथा वितरण से सीधे रूप से सम्बधित कार्यों पर शुल्क प्रभारित नहीं किया जाएगा और इन निदशों को न्यायालय का नियम बनाया गया। यद्यपि विभाग के कथन का राज्य में प्रयोज्य विधियों/नियमों के साथ समर्थन नहीं किया गया, विभाग/सरकार ने न तो हिमाचल प्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम/नियमावली का संशोधन करने के लिए कोई पग उठाए और न ही विद्युत उत्पादन इकाइयों द्वारा ऊर्जा के अतिरिक्त उपयोग पर शुल्क का उद्ग्रहण करने से सम्बन्धित मामला नियमित करने के लिए कोई कानूनी कार्रवाई की।

अभिलेखों की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि छः बिजलीघरों ने 2002-03 से 2006-07 वर्षों के दौरान 5.26 करोड़ रू0 के विद्युत शुल्क की छूट प्राप्त की, जिसका ब्यौरा नीचे दिया जाता है:

---

5 विद्युत ऊर्जा का उत्पादन तथा इसकी बिक्री करने के लिये संस्थापित भारत सरकार का एक लोक उपक्रम।

6 अन्य उपभोक्ताओं पर प्रयोज्य दरों के आधार पर गणना की गई।

7 राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम तथा पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, मुख्य विद्युत निरीक्षक, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के मामले में।

क्रमांक	बिजलीघर का नाम	वर्ष/वर्ष के दौरान उत्पादन (मिलियन इकाइयां)				
		2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1.	बैरास्यूल बिजलीघर	683.000	688.000	690.000	791.000	698.000
2.	चमेरा-I बिजलीघर	2,260.000	2,462.000	2,105.000	2,343.000	2,366.000
3.	चमेरा-II बिजलीघर	--	--	1,348.000	1,490.000	1,432.000
4.	बसपा चरण- II बिजलीघर	--	1,132.838	1,190.389	1,173.617	1,281.105
5.	मल्लाना जल विद्युत परियोजना	263.281	330.643	261.571	320.592	244.362
6.	पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड शानन बिजलीघर	469.279	564.205	515.474	508.950	495.666
	योग	3,675.560	5,177.686	6,110.434	6,627.159	6,517.133
	0.5 प्रतिशत की दर पर अतिरिक्त उपभोग	18.378	25.888	30.552	33.136	32.586
	सतलुज जल विद्युत निगम का अतिरिक्त उपभोग	--	7.912	36.196	28.731	42.101
	कुल अतिरिक्त उपभोग	18.378	33.800	66.748	61.867	74.687
	प्रति इकाई विद्युत शुल्क की दर (रूपए)	0.15	0.15	0.18	0.24	0.24
	विद्युत शुल्क की हानि (लाख रू0)	27.57	50.70	120.15	148.48	179.25

सरकार ने बताया कि यह सत्य है कि सरकारी अधिवक्ता ने सरकार अथवा मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुदेशों के बिना ही न्यायालय को सूचित किया।. तथापि, अधिनियम में संशोधन हेतु पृथक रूप से कार्रवाई की जा रही है तथा अधिनियम की समीक्षा करने वाली समिति को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करते समय इस मामले पर विचार करने को कहा जाएगा।

अतः सरकार राजस्व की सुरक्षा हेतु उपयुक्त उपचारी उपाय उठाने के लिए विचार कर सकती है।

6.2.11 विद्युत शुल्क का गलत दरों पर उद्ग्रहण

हिमाचल प्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम की धारा-2 के अंतर्गत वाणिज्यिक उपभोक्ता वह उपभोक्ता है जिसके व्यापार गृह, क्लब, कार्यालय, स्कूल, अस्पताल, होस्टल, स्ट्रीट लाइटिंग तथा पूजा के स्थल आदि जैसे गैर आवासीय परिसर हों। तथापि, भारत सरकार की 1991 तथा 2003 की औद्योगिक नीति के अनुसार होटलों को थ्रस्ट सैक्टर उद्योग के रूप में घोषित किया गया है। औद्योगिक उपभोक्ता को हिमाचल प्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम एक ऐसे व्यक्ति अथवा संस्था के रूप में भी परिभाषित करता है जो ऊर्जा को ऐसे प्रयोजन अथवा प्रयोजनों के लिए उपयोग करता है, जो उद्योग के सहायक हो। इस प्रकार होटलों को एक उद्योग होने के नाते आद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए निर्धारित दरों पर विद्युत शुल्क की अदायगी करना अपेक्षित था। तथापि, हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के द्वारा जारी किए गए टैरिफ आदेशों के अनुसरण में समय-समय पर बोर्ड द्वारा जारी की गई टैरिफ अधिसूचनाओं के अंतर्गत रैस्टोरेंटों तथा आवासी गृहों को वाणिज्यिक आपूर्ति के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है।

मार्च 2008 तथा मई 2008 के मध्य 44 उप-मण्डलों में अनुरक्षित अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि 26[8] उप मण्डलों में 2002-03 से 2006-07 की अवधि के दौरान 360 होटलों के संदर्भ में विद्युत शुल्क का उद्ग्रहण किया गया और इसकी वसूली औद्योगिक उपभोक्ताओं पर लागू दरों के बजाय समय-समय पर वाणिज्यिक आपूर्ति के लिए जारी किए टैरिफ आदेशों के आधार पर वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए लागू दरों पर की गई। इसके फलस्वरूप 80.79[9] लाख रु0 के विद्युत शुल्क की अल्प वसूली हुई।

सरकार ने बताया कि हिमाचल प्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम में तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी किए गए टैरिफ आदेश में दी गई उपभोक्ताओं की श्रेणियों की परिभाषा में किसी विरोधाभास का परिहार करने के लिए अधिनियम को संशोधित करना प्रस्तावित किया गया है।

अत: सरकार भारत सरकार की औद्योगिक नीति 1991 तथा 2003 के अनुरूप उपयुक्त आदेश जारी करने पर विचार कर सकती है।

आंतरिक नियन्त्रण

6.2.12 विवरणियां प्रस्तुत करना

हिमाचल प्रदेश विद्युत शुल्क नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत बोर्ड अथवा अपने उपयोग तथा उपभोग के लिए उर्जा उत्पन्न करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा उपभोक्तओं को विक्रय की गई ऊर्जा तथा अपने उपयोग अथवा उपभोग के लिए ऊर्जा उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों द्वारा निर्धारित तथा अदा किए गए शुल्क के संदर्भ में निर्धारित किया गया तथा वसूल किया गया शुल्क क्रमश: अनुबन्ध-I तथा II में दर्शाते हुए मई तथा नवम्बर के अन्तिम दिन तक मुख्य विद्युत निरीक्षक को एक विवरण (दोहरा) प्रस्तुत किया जाएगा। इस के बदले मुख्य विद्युत निरीक्षक वित्त वर्ष की समाप्ति के तीन मास के भीतर बोर्ड/व्यक्तियों द्वारा भुगतान योग्य शुल्क, निर्धारित तथा बकाया शुल्क इंगित करते हुए अनुबंध-III में एक विवरणी भी प्रस्तुत करेगा। अधिनियम के अंतर्गत उद्ग्राह्य विद्युत शुल्क की राशि सुनिश्चित करने अथवा सत्यापन करने के लिए, जैसा भी आवश्यक हो, मुख्य विद्युत निरीक्षक किसी भी समय बोर्ड को उसके कब्जे अथवा नियन्त्रण में रखी गई, बहियों तथा अभिलेखों को निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करने के लिए भी कह सकता है। जिस शुल्क की अदायगी अदत्त रह जाती हो उसकी वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जाएगी। **तथापि, यह पाया गया कि चूककर्ताओं से बकाया विद्युत शुल्क की वसूली करने हेतु कार्रवाई आरम्भ करने के लिए अनुबंध I तथा III की निर्धारित विवरणियों में उपभोक्ता(ओं) के लेखा संख्या, चूककर्ता(ओं) का नाम आदि के संदर्भ में सूचना इंगित करने के लिए कॉलम उपलब्ध नहीं थे।**

सरकार ने बताया कि निर्धारित विवरणियों के विभिन्न प्रपत्रों का सरकार द्वारा गठित की जा रही समिति से पुनरीक्षण करवाया जाना प्रस्तावित था।

---

8 बरोटीवाला, बालूगंज, छोटा शिमला, धर्मशाला-I, धर्मशाला-II, ईदगाह, जतोग, काला अम्ब, कण्डाघाट, कसौली, कटराई, मनाली-I, मनाली-II, मशोबरा, मैहतपुर, नाहन, नालागढ़-I, नालागढ़-II, पांवटा साहिब, परमाणु, रिकांगपिओ, रिज, संजौली, सोलन-I, सोलन-III तथा सुन्दरनगर।

9 विद्युत शुल्क कम प्रभारित किया गया: 7 पैसे (22 पैसे - 15 पैसे) की दर पर 233.32 लाख इकाइयों के उपभोग पर अप्रैल 2002 से अक्तूबर 2003 की अवधि के लिए 17.21 लाख रु0; 7 पैसे (25 पैसे - 18 पैसे) की दर पर 195.72 लाख इकाइयों के उपभोग पर दिसम्बर 2003 से मई 2005 की अवधि के लिये 13.31 लाख रु0 तथा 9 पैसे (33 पैसे- 24 पैसे) की दर पर 506.37 लाख इकाइयों के उपभोग पर जून 2005 से मार्च 2007 तक की अवधि के लिये 50.27 लाख रु0।

6.2.12.1 बोर्ड/मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा विवरणियां प्रस्तुत करने में विलंब/विवरणियां प्रस्तुत न करना।

मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि बोर्ड ने 2002-03 से 2006-07 की अवधि से सम्बन्धित विवरणियां 41 से 102 दिन के मध्य के विलंब से (अप्रैल 2002 से सितम्बर 2002, अप्रैल 2005 से सितम्बर 2005 तथा अप्रैल 2006 से सितम्बर 2006 की विवरणियों के अतिरिक्त) प्रस्तुत की। तथापि, मुख्य विद्युत निरीक्षक ने बोर्ड द्वारा समय पर विवरणियों का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। इसके अतिरिक्त मुख्य विद्युत निरीक्षक ने न तो सरकार को अनुबंध-III में निर्धारित विवरणियां प्रस्तुत की और न ही उद्ग्राह्य विद्युत शुल्क की राशि सुनिश्चित करने अथवा उसका सत्यापन करने के लिए अभिलेखों के अपेक्षित निरीक्षण ही किए।

इसे इंगित करने पर मुख्य विद्युत विरीक्षक ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (मार्च 2008) कि इससे पूर्ण सरकार को ऐसी बोर्ड विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई थी और इन्हें भविष्य में प्रस्तुत किया जाएगा।

सरकार ने बताया कि समय पर विवरणियां प्रस्तुत करने के लिए पहले ही अनुदेश जारी किए जा चुके हैं।

6.2.12.2 विद्युत शुल्क का अनुद्ग्रहण/ वसूली न करना

हिमाचल प्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम की धारा 3(2) के अंतर्गत केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा उपयोग की गई ऊर्जा पर विद्युत शुल्क की अदायगी से छूट प्राप्त है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बोर्डों, निगमों तथा अन्य निकायों, चाहे वे केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों के स्वामित्व में हों, को ऐसी छूट उपलब्ध नहीं है। **विद्युत शुल्क में प्राप्त की गई अनुमत/छूट की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए अनुबन्ध-I में निर्धारित की गई विवरणी में विभाग/सरकार/संगठन आदि के सम्बन्ध में ब्यौरे समाविष्ट नहीं है।**

44 उपमण्डलों के अभिलेखों की नमूना जांच से उदघाटित हुआ कि पांच[10] उप मण्डलों में बोर्ड ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बोर्डों, निगमों तथा अन्य स्वायत्त निकायों से न तो विद्युत शुल्क का उदग्रहण किया था और न ही इसकी कोई वसूली की थी। इसके फलस्वरूप अप्रैल 2002 से मार्च 2007 की अवधि से सम्बन्धित 5.92 लाख रू0 के विद्युत शुल्क का उदग्रहण/वसूली नहीं हो पाई। विवरणी में अपेक्षित ब्यौरों के अभाव में मुख्य विद्युत निरीक्षक अपात्र संगठनों पर विद्युत शुल्क के अनुद्ग्रहण का पता नहीं लगा सकी।

सरकार ने बताया कि बोर्ड को तत्काल कार्रवाई करने तथा की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निदेश दिए जा रहे हैं।

6.2.12.3 शुल्क का अल्पोद्ग्रहण

हिमाचल प्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम के अनुसार एक घरेलू उपभोक्ता कोई व्यक्ति अथवा कोई संस्था है। जिसके कब्जे में कोई ऐसा परिसर है जिसे साधारणतया आवासीय प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त किया जाता है तथा उसे 10 किलोवाट तक ऊर्जा की आपूर्ति की जाती है। जिन घरेलू उपभोक्ताओं को 10 किलोवाट से अधिक ऊर्जा की आपूर्ति की जाती है, उन्हें अधिनियम की धारा 3 (1)(i) के अंतर्गत विद्युत शुल्क के उदग्रहण के लिये घरेलू उपभोक्ता नहीं कहा जा सकता। ऐसे उपभोक्ताओं को किसी घरेलू उपभोक्ता के अतिरिक्त किसी अन्य उपभोक्ता वाणिज्यिक तथा औद्योगिक उपभोक्ताओं जैसे अन्य उपभोक्तओं पर लागू दरों पर प्रभारित किया जाना अपेक्षित है। **तथापि, अनुबन्ध-I में निर्धारित विवरणी में किलोवाटों में ऊर्जा की आपूर्ति पर सूचना अन्तर्विष्ट नहीं है।**

[10] बालूगंज, छोटा शिमला, धौलाकुंआ, नाहन तथा सुन्दरनगर।

अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि 44 उपमण्डलों में से 22[11] उपमण्डलों में उन उपभोक्ताओं जिनका संयोजन भार 10 किलोवाट से अधिक था, से मार्च 2002 तथा मार्च 2007 के मध्य अन्य उपभोक्ताओं पर लागू 15 पैसे, 18 पैसे तथा 24 पैसे की दर पर 40.23 लाख रु0 के उचित मूल्य के प्रति 6 पैसे प्रति इकाई की दर पर विद्युत शुल्क की गलत वसूली की गई। इसके फलस्वरूप 30 लाख रु0[12] के विद्युत शुल्क की अल्प वसूली हुई। **विवरणी में अपेक्षित ब्यौरों के अभाव की वजह से मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं से अल्प वसूली का पता नहीं लगाया जा सका।**

सरकार ने बताया कि उपभोक्ताओं की श्रेणियों की परिभाषा के मध्य विरोधाभास का परिहार करने के लिये हिमाचल प्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम की धारा-2 का संशोधन प्रस्तावित किया जाता है।

6.2.12.4 लाईसैंसधारियों द्वारा अभिलेखों/विवरणियों का अनुरक्षण/प्रस्तुतीकरण न करना

हिमाचल प्रदेश विद्युत शुल्क नियमों के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति जो अपने उपयोग अथवा उपभोग के लिये उर्जा उत्पादित करता है, को नियमों के प्रकाशन की तिथि के 30 दिन के भीतर उसके द्वारा संस्थापित उत्पादन संयत्रों के संदर्भ में मुख्य विद्युत निरीक्षक को ब्यौरे देते हुये लिखित रूप में स्वयं को ऐसा घोषित करेगा। अन्यथा वह शास्ति, जो 1000 रु0 से अधिक नहीं होगी, का भुगतान करने का उत्तरदायी है।

अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि अपने उपयोग अथवा उपभोग के लिये विद्युत का उत्पादन करने वाली निम्नवत् इकाईयों/व्यक्तियों ने 2002-03 से 2006-07 वर्षों के दौरान न तो मुख्य विद्युत निरीक्षक को ऐसा घोषित होने के संदर्भ में सूचित किया और न ही अनुबन्ध-II ने निर्धारित विवरणियां ही प्रस्तुत की।

क्रमांक	उत्पादक कम्पनी/व्यक्ति का नाम	संस्थापित क्षमता (मैगावाट)	जिस तिथि से इकाई ने वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया।
1.	भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड जिसके देहरा, पौंग तथा भाखड़ा में तीन बिजलीघर हैं।	2,711	उपलब्ध नहीं
2.	सतलुज जल विद्युत निगम जिसका झाकड़ी में बिजलीघर है।	1,500	2003-04
3.	राष्ट्रीय जल विद्युत उर्जा निगम जिसके सुरंगानी, खेरी तथा कारियां में बिजलीघर हैं।	1,020	उपलब्ध नहीं
4.	मल्ताना जल विद्युत कम्पनी जिसका जैरी में बिजलीघर है।	86	उपलब्ध नहीं
5.	बसपा हाईडल परियोजना चरण-II जिसका करछम में बिजली घर है और जिसका स्वामित्व जेपी जल विद्युत के पास है।	300	2004-05

[11] बद्दी, बिलासपुर-I, बातुगंज, छोटा शिमला, धर्मशाला-II, धौलाकुआ, इदगाह, जतोग, कन्डाघाट, कसौली, खलीनी, मनाली-II, मशोबरा, नाहन, नालागढ़-I, पांवटा साहिब, परवाणू, रिज, संजोली, सोलन-I और सोलन-III

[12] अप्रैल 2002 से नवम्बर 2003: 4,06,174 युनिट @ पैसे 9 पर युनिट (पैसे 15 -पैसे 6): 37,000रु0, दिसम्बर 2003 से मई 2005: 5,06,896 युनिट @ पैसे 12 पर युनिट (पैसे 18 -पैसे 6): 61,000 रु0 और जून 2005 से मार्च 2007: 1,61,31,645 युनिट @ पैसे 18 पर युनिट (पैसे 24 -पैसे 6): 29.03 लाख रु0

6.	56 औद्योगिक इकाइयां जिनके अपने जनित्र हैं।	162	उपलब्ध नहीं
7.	9 अन्य फर्में जो विद्युत शुल्क की अदायगी कर रही थी।	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
8.	माइक्रो हाईडल परियोजनाएं (10 संख्या)	26.65	जून 2004 से जनवरी 2007 के मध्य

उन इकाइयों/व्यक्तियों द्वारा विवरणियों का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करने के लिये मुख्य विद्युत निरीक्षक ने कोई कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की।

सरकार ने बताया कि विवरणियों के प्रस्तुतीकरण के लिये पहले ही अनुदेश जारी किए जा चुके हैं। मामले का कठोरता से अनुसरण किया जायेगा।

6.2.12.5 आबद्ध बिजलीघरों से बिक्री की गई ऊर्जा पर विद्युत शुल्क की वसूली नकरना

हिमाचल प्रदेश सरकार ने औद्योगिक इकाइयों की सभी श्रेणियों को अपने उपयोग के लिये अपने आबद्ध जनित्र सैटों हाईडल संयत्रों से उत्पादित की गई विद्युत पर विद्युत शुल्क की अदायगी से छूट तत्काल (अक्तूबर 1993) प्रदान की। आबद्ध उत्पादक संयत्र से तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा मुख्यत: अपने उपयोग के लिये संस्थापित किये गये किसी विद्युत संयत्र से है। हिमाचल प्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम के अंतर्गत अपने उपयोग के लिये ऊर्जा का उत्पादन करने वाले व्यक्ति ही उपभोक्ता कहलाता है, बशर्ते उत्पादन क्षमता 5 किलो वाट अथवा इससे अधिक हो तथा विद्युत शुल्क की अदायगी उस व्यक्ति द्वारा देय हो जो उस उपभोक्ता को ऊर्जा की आपूर्ति करता है।

अधीक्षक (केन्द्रीय आबकारी) बद्दी को प्रस्तुत किए गए एक फर्म[13] के तुलनपत्र से एकत्रित की गई सूचना से प्रकट हुआ कि फर्म ने 2004-05 के दौरान अन्य औद्योगिक इकाइयों को उर्जा की 170.63 लाख इकाइयों की बिक्री की थी। चूंकि फर्म ने उर्जा की 170.63 लाख इकाइयां अपने उपयोग के लिये उपभोग नहीं की थी, अत: फर्म द्वारा 42.66 लाख रू0 का विद्युत शुल्क देय था। क्योंकि फर्म नें अनुबन्ध- II में निर्धारित विवरणी प्रस्तुत नहीं की थी, अत: मुख्य विद्युत निरीक्षक अन्य औद्योगिक इकाइयों को बिक्री की गई ऊर्जा तथा विद्युत शुल्क के उद्ग्रहण का पता नहीं लगा सकी। इसके फलस्वरूप 42.66 लाख रू0 के विद्युत शुल्क की वसूली नहीं हो सकी।

सरकार ने बताया कि विद्युत शुल्क की राशि वसूल करने के लिये मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई है।

सरकार विद्युत शुल्क के अप्रेषण/अल्प प्रेषण की जांच करने के लिए चूककर्ता की लेखा संख्या तथा नाम, किलोवाटों में उर्जा की आपूर्ति, मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा निर्धारित विवरणियों का प्रस्तुतीकरण अनिवार्य करने के लिए अनुदेश जारी करना तथा बोर्ड एवं अन्य सत्ताओं और आबद्ध विद्युत उत्पादक इकाइयों से समय पर विवरणियों की प्राप्ति करने से सम्बन्धित सूचना समाविष्ट करने हेतु अनुबंध-I, II तथा III में अतिरिक्त कॉलम निर्धारित करने पर विचार कर सकती है।

6.2.13 बकायों की स्थिति

बोर्ड द्वारा उपभोक्ता को आपूर्ति की गई ऊर्जा पर हिमाचल प्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा 1 के अंतर्गत उद्ग्राह्य शुल्क मासिक बिलों सहित संग्रहित किया जायेगा तथा प्रत्येक वर्ष अर्धवार्षिक रूप से अर्थात् अप्रैल तथा अक्तूबर में सरकारी कोष, उपकोष अथवा भारत के किसी अधिसूचित बैंक में जमा करवाया जायेगा। किसी उपभोक्ता द्वारा बोर्ड को अथवा बोर्ड या किसी व्यक्ति द्वारा अदा न की किये गये शुल्क

[13] मैसर्ज औरो स्पिनिंग मिल्स, बद्दी ।

की वसूली भू-राजस्व के बकायों के रूप में अथवा राज्य सरकार द्वारा बोर्ड को अथवा ऐसे व्यक्ति को देय राशियों से कटौती के रूप में की जायेगी। **तथापि हिमाचल प्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम विद्युत कनैक्शन जारी करने के समय विद्युत शुल्क के लिये प्रतिभूति प्राप्त करने के संदर्भ में मौन है।**

6.2.13.1 बोर्ड द्वारा विद्यूत शुल्क जमा न करना

बोर्ड द्वारा प्रस्तुत 2002-03 से 2006-07 के दौरान वसूल तथा जमा करवाये गये विद्युत शुल्क कि स्थिति निम्नवत थी:

(करोड़ रू0)

वर्ष	1 अप्रैल को विद्युत शुल्क का अथशेष	निर्धारित किया गया विद्युत शुल्क	वसूल किया गया विद्युत शुल्क	जमा करवाया गया विद्युत शुल्क	31 मार्च को बकाया विद्युत शुल्क की राशि
2002-03	16.37	26.90	26.87	0.32	42.92
2003-04	42.92	31.68	30.95	72.29	1.58
2004-05	1.58	43.21	42.43	32.02	11.99
2005-06	11.99	72.60	71.13	67.33	15.79
2006-07	15.79	95.57	94.97	29.83	80.93

इसके अतिरिक्त यह पाया गया कि बोर्ड ने निर्धारित मासों में वसूल किया गया शुल्क जमा नहीं करवाया था। इसके फलस्वरूप कम जमा करवाए गए विद्युत शुल्क की प्रतिशतता 2 तथा 100 प्रतिशत के मध्य थी, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(लाख रू0)

अवधि	अथ शेष	बोर्ड द्वारा वसूल किया गया विद्युत शुल्क	योग	जमा करवाया गया विद्युत शुल्क	अन्त शेष	कम जमा की प्रतिशतता
31 मार्च 2002 तक					1,637.06	
अप्रैल 2002 से सितम्बर 2002 तक	1,637.06	1,309.79	2,946.85	--	2,946.85	100
अक्तूबर 2002 से मार्च 2003 तक	2,946.85	1,377.67	4,324.52	32.43	4,292.[illegible]	99
अप्रैल 2003 से सितम्बर 2003 तक	4,292.09	1,464,38	5,756.47	440.00	5,316.47	92
अक्तूबर 2003 से मार्च 2004 तक	5,316.47	1,631.07	6,947.54	6,789.25	158.29	2
अप्रैल 2004 से सितम्बर 2004 तक	158.29	1,851.37	2,009.66	730.00	1,279.66	64
अक्तूबर 2004 से मार्च 2005 तक	1,279.66	2,391.61	3,671.27	2,472.66	1,198.61	33
अप्रैल 2005 से सितम्बर 2005 तक	1,198.61	3,199.45	4,398.06	1,650.00	2,748.06	62

अक्तुबर 2005 से मार्च 2006 तक	2,748.06	3,913.61	6,661.67	5,082.64	1,579.03	24
अप्रैल 2006 से सितम्बर 2006 तक	1,579,03	4,488.57	6,067.60	2,983.00	3,084.60	51
अक्तुबर 2006 से मार्च 2007 तक	3,084.60	5,008.30	8,092.90	--	8,092.90	100

उपर्युक्त तथ्य यह इंगित करता है कि बोर्ड ने देये तिथियों को विद्युत शुल्क की राशि जमा नहीं करवाई थी, इसे जमा करवाने के लिए मुख्य विद्युत निरीक्षक बोर्ड को अनुरोध करता रहा। इस प्रकार 1.58 करोड़ रू0 से 80.93 करोड़ रू0 की राशि का विद्युत शुल्क बोर्ड के पास अनधिकृत रूप से पड़ा रहा।

सरकार ने बताया कि नकदी प्रवाह की समस्या के कारण विद्युत शुल्क विलंब से जमा करवाया गया। तथापि बोर्ड ने आश्वासन दिया कि 31 मार्च 2008 के अंत तक उपभोक्ताओं से वसूल किया गया समस्त विद्युत शुल्क 30 सितम्बर 2008 तक सरकार के पास अवश्य जमा करवा दिया जाएगा।

6.2.13.2 उपभोक्ताओं से विद्युत शुल्क की वसूली न करना

2002-03 से 2006-07 वर्षों बोर्ड के वार्षिक लेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि विद्युत शुल्क से सम्बन्धित निम्नवत् राशियों की विविध देनदारों से अभी वसूली की जानी थी। तथापि, बोर्ड के वृत्त कार्यालयों में विविध देनदारों का वर्षवार विखंडन दर्शाते हुए समेकित विवरण का अनुरक्षण नहीं किया जा रहा था:

(करोड़ रू0)

क्रमांक	वर्ष	विविध देनदार
1.	2002-03	1.50
2.	2003-04	2.26
3.	2004-05	3.04
4.	2005-06	4.51
5.	2006-07	5.12

देयों की वसूली करने के लिये मुख्य विद्युत निरीक्षक ने उपभोक्ताओं के विरूद्ध कोई कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की थी। यदि अधिनियम में प्रतिभूति जमा का उद्ग्रहण करने से सम्बन्धित प्रावधान होता तो बकायों को कम किया जा सकता था।

सरकार ने बताया कि उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत शुल्क की अदायगी न करने के संदर्भ में दृष्टि रखने के लिये बोर्ड को अगली टैरिफ याचिका में प्रतिभूति राशि में उपयुक्त रूप से अनुपातिक वृद्धि करने का परामर्श दिया गया।

सरकार कनैक्शन देने के समय प्रतिभूति जमा प्राप्त करने के लिए अधिनियम/नियमावली में धारा का प्रावधान करने पर विचार कर सकती है।

6.2.14 आन्तरिक लेखापरीक्षा

आन्तरिक लेखापरीक्षा नियन्त्रण तंत्र का एक महत्वपूर्ण संघटक है और इसे साधारणतया सभी नियन्त्रणों के नियन्त्रण के रूप में परिभाषित किया जाता है, ताकि संगठन अपने को आश्वस्त कर सके कि निर्धारित पद्धतियां युक्तियुक्त रूप से सही ढंग से कार्य कर ही है।

तथापि, यह पाया गया कि विभाग में आन्तरिक नियन्त्रण स्कन्ध विद्यमान नहीं था। अत: यह नियन्त्रण विफलता से सम्बन्धित जोखिम उठा रहा था।

सरकार ने बताया कि समवर्ती आन्तरिक लेखापरीक्षा के लिये अंशकालिक आधार पर एक आन्तरिक लेखापरीक्षक की सेवायें लेने से सम्बन्धित प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा।

विद्युत शुल्क का उद्ग्रहण तथा इसकी अदायगी के औचित्य का अनुश्रवण करने के लिये सरकार आन्तरिक लेखापरीक्षा स्कन्ध की संस्थापना करने पर विचार कर सकती है।

अनुपालना से सम्बन्धित कमियां

6.2.15 विद्युत शुल्क सम्बन्धी अनुचित छूट/प्रत्यर्पण अनुमत करना

औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने तथा राज्य में उद्योग में नया निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से सरकार ने 1991, 1996 तथा 2004 की औद्योगिक नीति में विद्युत शुल्क उत्प्रेरक स्कीमें बनाई। उद्योगों के लिये उद्योग विभाग उत्प्रेरक स्कीमें बनाता है तथा इस सम्बन्ध में भावी उद्योगों के लिये पात्रता शर्तें निर्धारित करते हुये अधिसूचनायें जारी करवाता है। विद्युत शुल्क में छूट/ रियायत का लाभ उठाने के लिये इकाई को इकाई की श्रेणी, सांवधिक पूंजी परिसम्पत्तियों में निवेश, लाभ की मात्रा, हिमाचलियों का रोजगार तथा छूट/रियायत की अवधि का विवरण देते हुये निदेशक, उद्योग से पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त करना होता है। पात्रता प्रमाणपत्र के आधार पर मुख्य विद्युत निरीक्षक छूट प्रमाणपत्र जारी करवाता है। पात्रता प्रमाणपत्र तथा छूट प्रमाणपत्र के आधार पर बोर्ड के विद्युत मण्डल सम्बन्धित औद्योगिक इकाई के छूट/रियायत की अनुमति प्रदान करते हैं।

अभिलेखों की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि निदेशक, उद्योग द्वारा निर्धारित शर्तों के पूर्ण किये बिना फरवरी 1996 तथा जून 2005 के मध्य जारी किये गये पात्रता प्रमाण पत्र के आधार पर पांच इकाइयों को अप्रैल 1996 तथा जून 2005 के मध्य 28.33 करोड़ रु0 की गलत छूट/रियायत प्रदान की गई, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रू0)

क्रमांक	इकाई की अवस्थिति	पात्रता प्रमाणपत्र जारी करने का मास/वर्ष	छूट/रियायत का लाभ उठाने की अवधि	अनियमितता की प्रकृति	अंतर्ग्रस्त विद्युत शुल्क	अप्रैल 2002 से सितम्बर 2004 तक अंतर्ग्रस्त विद्युत शुल्क
1.	दाड़लाघाट	फरवरी 1996	26 सितम्बर 1995 से 30 सितम्बर 2004	इकाई ने निर्धारित अवधि (जनवरी 1995) के उपरांत अर्थात् 26 सितम्बर 1995 से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया।	24.13	8.73
2.	बद्दी	जुलाई 1996	31 अक्तूबर 1995 से 31 अक्तूबर 2002	इकाई को 1992 तथा मार्च 1995 के मध्य की निर्धारित अवधि के उपरांत अर्थात् जनवरी 1996 में प्रतिष्ठित प्रास्थिति प्रदान की गई।	1.93	0.47
		सितम्बर 2000	28 अगस्त 1998 से 5 वर्ष	फर्म ने निर्यातों की निर्धारित प्रतिशतता प्राप्त नहीं की।	0.90	..
3.	पांवटासाहिब	फरवरी 1996	20 अप्रैल 1995 से 7 वर्ष	इकाई को 1992 तथा मार्च 1995 के मध्य की निर्धारित अवधि के उपरांत अर्थात् जनवरी 1996 में प्रतिष्ठित प्रास्थिति प्रदान की गई।	1.19	0.03
4.	बरोटीवाला	जून 2005	अगस्त 2005 से मार्च 2007	वास्तविक हिमाचलियों की निर्धारित प्रतिशतता के रोजगार के संदर्भ में अपेक्षित प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना विद्युत शुल्क की छूट अनुमत की गई।	0.18	0.18
योग					28.33	9.41

इसे इंगित करने पर मुख्य विद्युत निरीक्षक ने मार्च 2008 तथा मई 2008 के मध्य बताया कि प्रदान की गई छूटें निदेशक, उद्योग द्वारा जारी किए गए पात्रता प्रमाणपत्रों पर आधारित थी तथा उसके कार्यालय द्वारा कोई अनियमितता नहीं की गई।

सरकार ने मुख्य विद्युत निरीक्षक को परामर्श दिया कि भविष्य में उद्योग विभाग की सिफारिश प्राप्त होने के बावजूद भी विद्युत शुल्क की अदायगी से सम्बन्धित छूट के मामले पूर्व अनुमोदन हेतु सरकार को भेजे जाने चाहिए।

6.2.16 विद्युत शुल्क की अल्पवसूली

राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम की धारा 11 क के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी औद्योगिक इकाइयों (जिनके लिए विद्युत शुल्क की विशिष्ट रियायत का प्रावधान नहीं था), को तत्काल प्रभाव से पांच वर्ष की अवधि के लिए 10 पैसे प्रति इकाई की दर पर छूट प्रदान की, (अक्तूबर 1997)। उक्त आदेशों के अनुसरण में बोर्ड के मुख्य अभियंता (वाणिज्यिक) ने मैसर्ज वीएमटी स्पिनिंग कम्पनी को 20 अक्तूबर 1997 से 19 अक्तूबर 2002 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए विद्युत शुल्क की अदायगी के संदर्भ में छूट प्रदान की। जुलाई 1999 से विद्युत शुल्क की दर 15 पैसे से संशोधित करके 22 पैसे प्रति इकई कर दी गई।

विद्युत उप-मण्डल बद्दी तथा बरोटीवाला द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि कंपनी ने फरवरी 1999 तक 26.63 लाख रू0 के शुल्क की अदायगी की थी, जिसका अगस्त 1999 तथा अक्तूबर 1999 के मध्य प्रत्यर्पण किया गया। तथापि, कंपनी को क्रमश: 15 पैसे तथा 22 पैसे के प्रति नवम्बर 1997 से जून 1999 तक पांच पैसे प्रति इकाई की दर पर तथा जुलाई 1999 से नवम्बर 2002 तक 12 पैसे प्रति इकाई की दर पर विद्युत शुल्क की अदायगी करना अपेक्षित था। इसके फलस्वरूप 702.13 लाख इकाइयों के उपभोग पर नवम्बर 1997 से नवम्बर 2002 तक 65.91[14] लाख रू0 की राशि के विद्युत शुल्क की अल्प वसूली हुई। इसमें से 10.95 लाख रू0 अप्रैल 2002 से नवम्बर 2002 तक की अवधि से सम्बन्धित थे।

6.2.17 संशोधित दरों पर विद्युत शुल्क की वसूली न करना

सरकार ने नवम्बर 2003 तथा मई 2005 में अधिसूचनाएं जारी करके औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए तत्काल प्रभाव सहित विद्युत शुल्क की दरें क्रमश: 22 पैसे से 25 पैसे तथा 25 पैसे से 33 पैसे प्रति इकाई संशोधित की।

यह पाया गया कि संशोधित शुल्क की दरें अधिसूचना जारी करने के मास के आगामी मास से लागू की गई। संशोधित दरें लागू करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप नवम्बर 2003 तथा मई 2005 के दौरान 44 उपमण्डलों में से 16[15] उपमण्डलों में 74.63 लाख रू0 के विद्युत शुल्क की वसूली नहीं हो पाई।

6.2.18 बोर्ड के कार्यालयों में विद्युत उर्जा के उपयोग पर विद्युत शुल्क का उद्ग्रहण न करना

हिमाचल प्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम की धारा 3(2)(iv) के अंतर्गत उत्पादन मण्डलों, उप-मण्डलों तथा उर्जा के उत्पादन, संचरण तथा वितरण से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित कार्यों पर बोर्ड द्वारा विद्युत उर्जा के उपभोग को विद्युत शुल्क की अदायगी से छूट प्राप्त है।

44 उप-मण्डलों के अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि 20[16] उप-मण्डलों में 2002-03 से 2006-07 की अवधि के दौरान उत्पादन, संचरण तथा वितरण के साथ प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्ध न रखने वाले विश्राम गृहों तथा कार्यालयों में प्रयुक्त की गई ऊर्जा की 90.41 लाख इकाइयों पर बोर्ड ने न तो विद्युत शुल्क का उद्ग्रहण किया था और न ही विद्युत शुल्क की वसूली की थी। इसके फलस्वरूप 18.35 लाख रू0[17] के शुल्क का उद्ग्रहण नहीं हो पाया।

इसे इंगित करने पर सरकार ने बताया कि इस प्रयोजन के लिए हिमाचल प्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम की धारा 3(2)(iv) का स्थापित की जा रही समिति द्वारा पुनरीक्षण किया जाएगा।

---

14 नवम्बर 1997 से फरवरी 1999: 9.26 लाख रू0; मार्च 1999 से जून 1999: 3.84 लाख रू0 और जुलाई 1999 से नवम्बर 2002: 52.81 लाख रू0।

15 बरोटीवाला, बिलासपुर, भावानगर, बालुगंज, दारलाघाट, धौलाकुआ, काला अम्ब, मनाली-II, नाहन, नालागढ़-I, नालागढ़-II, पांवटा साहिब, परवाणु, सतौन, सोलन-I और सोलन-III ।

16 बिलासपुर, भावानगर, बालुगंज, छोटा शिमला दारलाघाट, धर्मशाला-I, जतोग, काला अम्ब, कन्दाघाट, कसौली, मनाली-I, मलानी-II, नाहन, नालागढ़, नमहोल, परवाणु, रिकांगपिओं, सोलन-I, सोलन-III और सुन्दरनगर।

17 अप्रैल 2002 से नवम्बर 2003: 17, 96, 709 युनिट @ 15 पैसे पर युनिट: 2.69 लाख रू0; दिसम्बर 2003 से मई 2005: 32,99,168 युनिट @ 18 पैसे पर युनिट: 5.94 लाख रू0 और जून 2005 से मार्च 2007: 40,48,807 युनिट @ 24 पैसे पर युनिट: 9.72 लाख रू0।

6.2.19 विद्युत शुल्क का उद्ग्रहण न करना

हिमाचल प्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम की धारा 3(2) के अंतर्गत राज्य /केन्द्रीय सरकार को उनके द्वारा प्रयुक्त की गई ऊर्जा पर विद्युत शुल्क की अदायगी से छूट प्राप्त है। रेलवे को भी किसी रेलवे स्टेशन के निर्माण अनुरक्षण अथवा प्रचालन के लिए प्रयुक्त अथवा बेची गई ऊर्जा पर शुल्क की अदायगी से छूट प्राप्त है। इससे यह स्पष्ट है कि इन सरकारों के कार्यालयों में प्रयुक्त की गई ऊर्जा पर अथवा रेलवे के निर्माण अनुरक्षण अथवा प्रचलन पर रेलवे द्वारा प्रयुक्त की गई ऊर्जा पर विद्युत शुल्क की वसूली योग्य नहीं है। इन सरकारों के स्वामित्व वाले विश्राम गृह/अतिथि गृह/अवकाश गृह तथा होस्टल जिन्हें आगंतुकों द्वारा प्रयुक्त आवासीय प्रयोजन हेतु किया जाता है वे विद्युत शुल्क की अदायगी से छूट प्राप्त करने के हकदार नहीं है।

44 उप-मण्डलों के अभिलेखों की नमूना जांच से यह पाया गया कि 15[18] उपमण्डलों में बोर्ड ने अप्रैल 2002 से मार्च 2007 के दौरान राज्य/केन्द्रीय सरकार/रेलवे के स्वामित्व वाले विश्राम/अतिथि गृहों, अवकाश गृहों तथा होस्टलों में प्रयुक्त की गई उर्जा पर न तो 8.50 लाख रू0[19] के विद्युत शुल्क का उद्ग्रहण किया और न ही इसकी वसूली की। यद्यपि ठहराव की अवधि में विद्युत प्रभारों की वसूली की जा रही थी।

6.2.20 निष्कर्ष

हिमाचल प्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम में लाइसैंसधारियों द्वारा अर्धवार्षिक विवरणियां प्रस्तुत करने का प्रावधान है, जो विद्युत शुल्क की अदायगी तथा इसकी शुद्धता का अनुश्रवण करने के लिए एक महत्वपूर्ण आंतरिक नियंत्रण उपाय है। विभाग निर्धारित विवरणियों की प्राप्ति तथा विवरणियों के अनुसार देय अदायगी की शुद्धता की प्रभावशाली संवीक्षा करने में विफल रहा था। इसके फलस्वरूप राजस्व का रिसाव हुआ। निर्धारित विवरणी में लेखा संख्या, चूककर्ताओं के नाम आदि पर सूचना से सम्बन्धित कॉलमों का समावेश नहीं किया गया था, जिसके फलस्वरूप देयों का अनुसरण नहीं हुआ/ विलंब से हुआ। विभाग का आंतरिक नियंत्रण तंत्र अति दुर्बल था, जैसाकि आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध जो कि सभी आंतरिक नियंत्रणों का नियंत्रण तथा राजस्व का रिसाव रोकने के लिए प्रबंधन तंत्र है, के अभाव से स्पष्ट है।

6.2.21 सिफारिशें

राज्य सरकार निम्नवत् पर विचार कर सकती है:

- उर्जा प्रभारों की विलंबित अदायगियों पर अधिभार के उद्ग्रहण की भान्ति विद्युत शुल्क की विलंबित अदायगियों पर अधिभार के उद्ग्रहण के लिए दण्डविधान से सम्बन्धित धारा का प्रावधान करना;
- राजस्वों की सुरक्षा हेतु विद्युत उर्जा की बिक्री पर विद्युत शुल्क के उद्ग्रहण के लिए प्रावधान करना तथा अतिरिक्त उपभोग पर विद्युत शुल्क के उद्ग्रहण हेतु अनुकूल उपचारी उपाय करना;
- भारत सरकार की 1991 तथा 2003 की औद्योगिक नीति के अनुरूप उचित आदेश करना;

---

[18] भावानगर, बालुगंज, दारलाघाट, धर्मशाला-I, ईदगाह, कन्डाघाट, कसौली, नाहन, नालागढ़, नमहोल, पांवटा साहिब, परवाणु, रिकांगपिओ, सोलन-I और सुन्दरनगर।

[19] अप्रैल 2002 से नवम्बर 2003: 15 पैसे प्रति इकाई की दर पर 5,40,603 इकाइयां: 81,000 रू0; दिसम्बर 2003 से मई 2005: 18 पैसे प्रति इकाई की दर पर 10,54,206 इकाइयां: 1.90 लाख रू0 और जून 2005 से मार्च 2007: 24 पैसे प्रति इकाई की दर पर 24,11,586 इकाइयां: 5.79 लाख रू0।

- विद्युत शुल्क के अप्रेषण/अल्प प्रेषण की जांच सुनिश्चित करने हेतु चूककर्ता की लेखा संख्या तथा नाम, किलोवाटों में ऊर्जा की आपूर्ति, मुख्य विद्युत निरीक्षक के लिए निर्धारित विवरणियों का प्रस्तुतीकरण अनिवार्य करने के लिए अनुदेश जारी करना तथा बोर्ड एवं अन्य सत्ताओं और आबद्ध विद्युत उत्पादक इकाइयों से समय पर विवरणियों की प्राप्ति से सम्बन्धित सूचना समाविष्ट करने के लिए अनुबंध-I, II तथा III में अतिरिक्त कॉलम निर्धारित करना।

- कनैक्शन देते समय जमानत लेने के लिए अधिनियम/नियमावली में एक धारा का प्रावधान न करना; तथा

- अदा किए गए विद्युत शुल्क के उद्ग्रहण तथा इसकी शुद्धता का अनुश्रवण करने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध संस्थापित करना;

ख राजस्व विभाग

6.3 सम्पत्ति के बाजारी मूल्य का गलत निर्धारण

हिमाचल प्रदेश भू-अभिलेख नियमावली, 1992 (परिशिष्ट-XXI) के अंतर्गत पटवारी परते[20] तैयार करने के लिए उत्तरदायी हैं। जून 1998 तथा अक्तूबर 2004 में महानिरीक्षक पंजीकरण द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार भूमि का मूल्यांकन राजस्व अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की किस्म के आधार पर किया जाना है। इसके अतिरिक्त किसी विक्री विलेख के संदर्भ में औसत मूल्य इसके पूर्वगामी 12 मासों के दौरान किए गए नामांतरण में प्रतिफल अथवा बाजारी मूल्य, जो भी अधिक हो, पर आधारित होता है। पंजीयन प्राधिकारी को विक्री विलेखों में दर्शाए गए प्रतिफल का सम्बन्धित पटवारियों द्वारा तैयार किए गए परतों के साथ सत्यापन करना भी अपेक्षित होता है। यदि पंजीयन प्राधिकारी के पास ऐसा विश्वास करने के लिए कोई कारण है कि विलेख में सम्पत्ति का मूल्य अथवा प्रतिफल सही उल्लिखित नहीं किए गए है, तो वह ऐसे विलेख को पंजीकृत करने के उपरांत प्रतिफल मूल्य तथा देय उचित शुल्क का निर्धारण करने के लिए समाहर्ता को अग्रेषित कर सकता है।

26[21] उप-पंजीयकों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान अप्रैल 2007 तथा मार्च 2008 के मध्य यह पाया गया कि 2006 के दौरान पंजीकृत किए गए 361 प्रलेखों में दर्शाया गया सम्पत्तिओं का प्रतिफल इलाकों के सम्बन्धित पटवारियों द्वारा तैयार किए गए परतों में दर्शाए गए औसत मूल्य से बहुत कम था। 54.12 करोड़ रू0 के बाजारी मूल्य के प्रति विलेखों में दर्शाया गया मूल्य 26.62 करोड़ रू0 था। प्रलेखों को पंजीकृत करते समय पंजीयन प्राधिकारी प्रतिफल का परतों के प्रतिफल के साथ मिलान करने में विफल रहे। इसके फलस्वरूप 2.19 करोड़ रू0 के स्टांप शुल्क तथा 13.51 लाख रू0 की पंजीकरण फीस की अल्प वसूली हुई।

अप्रैल 2007 तथा मार्च 2008 के मध्य मामले इंगित करने पर सम्बन्धित उप-पंजीयकों ने बताया कि सम्बन्धित अभिलेखों की जांच की जाएगी। आगामी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2008)।

6.4 गलत परते तैयार करने के कारण अल्प वसूली

जुलाई 1997 में महानिरीक्षक पंजीकरण द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार भूमि का एक वर्ष का बाजारी मूल्य पूर्ववर्ती 12 मासों के दौरान किए गए नामांतरण के आधार पर निकाला जाता है। संटाप शुल्क के उद्ग्रहण के लिए भूमि के बाजारी मूल्य का निर्धारण भूमि के वर्गीकरण के आधार पर किया जाता है तथा इसकी गणना हिमाचल प्रदेश भू-अभिलेख नियमावली के परिशिष्ट XXI में दी गई प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। अक्तूबर 2004 में महानिदेशक पंजीकरण ने स्पष्ट किया कि औसत मूल्य प्रतिफल अथवा बाजारी मूल्य, जो भी अधिक हो, पर आधारित होना चाहिए।

16 उप-पंजीयकों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान अप्रैल 2007 तथा मार्च 2008 के मध्य यह पाया गया कि पटवारियों द्वारा तैयार किए गए परते गलत थे। परतों में उल्लिखित नामांतरण के प्रति पटवारियों ने भूमि के उच्चतर मूल्य के बजाय निम्न मूल्य लिया था। परिणामस्वरूप 2006 में निष्पादित किए गए 294 विलेख 42.43 करोड़ रू0 के बजाए 14.56 करोड़ रू0 के बिक्री मूल्य पर पंजीकृत किए गए। इसके फलस्वरूप 2.29 करोड़ रू0 के स्टांप शुल्क और पंजीकरण फीस की अल्प वसूली हुई, जो अनुबंध में वर्णित है।

---

20 वह पटवारी द्वारा तैयार किया गया भूमि का मूल्यांकन प्रतिवेदन है।

21 बिलासपुर, चिड़गांव, डलहौजी, देहरा, धर्मशाला, इन्दौरा, जोगिन्द्रनगर, जुंगा, कल्पा, कन्डाघाट, कसौली, कुल्लू, मण्डी, मनाली, नदौन, नाहन, नालागढ़, नूरपुर, पाँवटा साहिब, राजगढ़, रामपुर, शिमला (ग्रामीण), सोलन, सुन्नी, ठियोग, तथा ऊना।

अप्रैल 2007 तथा मार्च 2008 के मध्य मामले इंगित करने पर जनवरी 2008 तथा मई 2008 में तीन[22] उप-पंजीयकों ने सूचित किया कि 2.98 लाख रू0 में से 1.22 लाख रू0 की राशि की वसूली की जा चुकी थी। वसूली पर आगामी प्रतिवेदन तथा शेष उप-पंजीयकों से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2008)।

मई 2007 तथा अप्रैल 2008 के मध्य यह मामला विभाग तथा सरकार के ध्यान में लाया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2008)।

6.5 पंजीकरण के लिए प्रलेख प्रस्तुत न करना

भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 23 के अनुसार पंजीकरण हेतु वसीयतनामा के अतिरिक्त कोई भी अन्य प्रलेख स्वीकार नहीं किया जाएगा, जब तक इसे इस प्रयोजन हेतु निष्पादन की तिथि से चार मास के भीतर उपयुक्त अधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया जाता। स्टांप शुल्क तथा पंजीकरण फीस के उद्ग्रहण हेतु बिक्री विलेख प्रस्तुत करने पर पंजीयन प्राधिकारी से आवधिक सूचना प्राप्त करने के लिए विभाग में कोई पद्धति विद्यमान नहीं थी।

उप-पंजीयक, जवाली के अभिलेखों की नमूना जांच से नवम्बर 2007 में उद्घाटित हुआ कि सरकार ने जुलाई 2004 में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के चार अल्पाहार गृह बेचे तथा हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम को क्रेता के पास कांगड़ा जिला के त्रिलोकपुर के कैफे पंचम का बिक्री विलेख निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया। यह पाया गया कि बिक्री अनुबंध तथा बिक्री विलेख क्रमश: 10 सितम्बर 2004 तथा 1 अप्रैल 2005 को हस्ताक्षरित किए गए तथा क्रेता ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम को 26.60 लाख रू0 की अदायगी की थी (1 अप्रैल 2005)। अप्रैल 2005 में अल्पाहार गृह की बिक्री के सम्बन्ध में उप-पंजीयक को भी सूचित किया गया। क्षेत्रीय प्रबन्धक, धर्मशाला परिसर को हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की ओर से बिक्री विलेख प्रलेख का पंजीकरण निष्पादित करना था। बिक्री विलेख अनुबंध के अनुसार स्टांप शुल्क तथा पंजीकरण फीस से सम्बन्धित सभी प्रभारों की क्रेता द्वारा अदायगी की जाती थी। तथापि न तो क्रेता ने प्रलेख प्रस्तुत किया और न ही उप-पंजीयक ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम को प्रलेख प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया। इसके फलस्वरूप 3.44 लाख रू0 के स्टांप शुल्क तथा पंजीकण फीस की वसूली नहीं हो पाई।

दिसम्बर 2007 में मामला विभाग तथा सरकार के ध्यान में लाया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2008)।

6.6 सरकारी धन का गबन / अनुचित रूप से अपने पास रखना

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 1971 के अंतर्गत प्रत्येक सरकारी कर्मचारी उसके द्वारा किए गए लेनदेनों तथा सम्बन्धित लेखों में आय तथा व्यय को तत्काल अभिलिखित करने व लेखे प्रत्येक प्रकार से सही रखने के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है। इसमें यह प्रावधान भी है कि दिन में एकत्रित की गई सभी विभागीय प्राप्तियां उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस की प्रात:काल तक कोष में जमा करवा दी जानी चाहिए। सरकार की ओर से धन प्राप्त करने वाले अधिकारी को निर्धारित फार्म में रोकड़ बही का अनुरक्षण करना चाहिए तथा इसकी पूर्ण रूप से जांच करने के उपरांत इसे प्रतिदिन बन्द करना चाहिए। जब भी कोई मैद्रिक लेनदेन हों, तो उन्हें तत्काल रोकड़ बही में प्रविष्ट किया जाना चाहिए तथा कार्यालयाध्यक्ष अथवा इस संदर्भ में प्राधिकृत किए गए किसी अधिकारी द्वारा जांच करने के संकेत में साक्ष्यांकित किया जाना चाहिए। रोकड़ बही को साक्ष्यांकित करते समय उसे स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए कि राशियां वास्तव में कोष अथवा रोकड़ बही में जमा कर दी गई हैं।

---

22 सुन्दरनगर, धर्मपुर और झण्डुता।

6.6.1 मई 2008 में उप-पंजीयक औट के अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि 302 मामलों में जनवरी 2004 तथा जनवरी 2007 के मध्य पंजीकरण तथा विविध फीस[23] के रूप में 17.28 लाख रू0 एकत्रित किए गए। रसीद बुकों का रोकड़ वहीं /कोष के साथ प्रति सत्यापन करने पर पाया गया कि कोष में 8.30 लाख रू0 जमा करवाए गए तथा 8.98 लाख रू0 की शेष राशि की न तो रोकड़ बही में प्रविष्टि की गई और न ही इसे कोष में जमा किया गया। इसके अतिरिक्त संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि रोकड़ बही की प्रविष्टियों को न तो कार्यालयाध्यक्ष द्वारा और न ही इस संदर्भ में प्राधिकृत किए गए किसी अधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित किया गया। इसके फलस्वरूप 8.98 लाख रू0 की सरकारी राशि का गवन हुआ।

मामला इंगित किए जाने पर उप-पंजीयक ने विसंगति स्वीकार करते हुए मई 2008 में बताया कि सम्बन्धित कर्मचारी से अंतर्ग्रस्त राशि की वसूली की जाएगी तथा नियमों के अनुसार अनुसार चूककर्ता कर्मचारी के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। आगामी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है (सितम्बर 2008)।

6.6.2 नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि 74 मामलों में दिसम्बर 2002 तथा अप्रैल 2007 के मध्य पंजीकरण फीस तथा विविधि शुल्क के संदर्भ में एकत्रित किए गए 16.52 लाख रू0 निधार्रित अवधि में कोष में जमा नहीं करवाए गए। सरकारी धन जमा करवाने में 6 तथा 223 दिन के मध्य का विलंब था। तथापि विभाग निर्धारित नियंत्रणों का प्रयोग करने तथा यह सुनिश्चित करने में विफल रहा कि एकत्रित की गई दैनिक प्राप्तियां तत्काल कोष में जमा करवाई जाएं, जैसा कि निर्धारित था। इसके फलस्वरूप सरकारी धन को अनुचित रूप से रखा गया, जिससे सरकारी आय का अस्थायी दुर्विनियोजन हुआ।

मामला इंगित करने पर उप-पंजीयक ने चूक स्वीकार करते हुए बताया कि सम्बन्धित व्यक्ति को विलंब से सरकारी धन कोष में जमा करने के लिए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इसके अतिरिक्त उप-पंजीयक ने आश्वासन दिया कि भविष्य में सरकारी धन तत्काल कोष में जमा करवाया जाएगा।

जून 2008 में मामला विभाग तथा सरकार के ध्यान में लाया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2008)।

6.7 पट्टा राशि का नवीकरण /अदायगी न करने के कारण हानि

हिमाचल प्रदेश पट्टा नियमावली, 1993 के अंतर्गत व्यक्तिओं /निजी कंपनियों को विभिन्न प्रयोजनों के लिए सरकारी भूमि पट्टे पर दी जा सकती है। पट्टा अनुबंध में उल्लिखित अवधि के उपरांत पट्टा राशि का संशोधन किया जाना अपेक्षित है तथा क्रमश: व्यक्तियों, निजी कंपनियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं के मामले में इसकी गणना पट्टे पर दी गई भूमि के नवीनतम उच्चतर बाजारी मूल्य के 18/5 प्रतिशत की दर पर अथवा पांच वर्षों की औसत बाजारी मूल्य का दोगुना, जो भी कम हो, की दर पर की जाती है।

[23] पैस्टिंग फीस

दिसम्बर 2006 तथा फरवरी 2008 के मध्य तीन[24] जिला समाहर्ताओं के अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि 13 मामलों[25] में विभिन्न प्रयोजनों[26] के लिए 43-4-18 बीघा माप की सरकारी भूमि 10 से 99 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर दी गई (जनवरी 1986 तथा दिसम्बर 2005 के मध्य)। संवीक्षा से प्रकट हुआ कि कुल्लू तथा ऊना जिलों के 10 मामलों में पट्टा राशि जो पट्टा अनुबन्ध में विनिर्दिष्ट अवधि के उपरांत संशोधित की जानी थी, वह संशोधित नहीं की गई। न तो विभाग ने पट्टा राशि का संशोधन करने के लिए कोई कार्रवाई की और न ही पट्टेधारी द्वारा इसकी अदायगी की गई। मंडी जिला के तीन मामलों में यद्यपि नवम्बर 2006 में पट्टा राशि संशोधित व अनुमोदित की गई, किन्तु इसकी वसूली नहीं की गई थी। इस प्रकार विभाग द्वारा कार्रवाई न करने के फलस्वरूप 15 दिसम्बर 1990 तथा 27 जनवरी, 2008 के मध्य पड़ने वाली अवधि से सम्बन्धित 19.36 लाख रू0 जिसमें से 13.80 लाख रू0 2002-03 से 2007-08 के वर्षों से सम्बन्धित थे, के राजस्व की वसूली नहीं हो पाई।

दिसम्बर 2006 तथा फरवरी 2008 के मध्य मामले इंगित करने पर समाहर्ता, कुल्लू ने फरवरी 2008 में सूचित किया कि पांच मामलों में 51,000 रू0 की वसूली की जा चुकी थी तथा शेष मामलों में नोटिस जारी किए जा चुके थे। वसूली के विषय में तथा मण्डी व ऊना जिलों के उत्तर के संदर्भ में आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। (सितम्बर 2008)।

जनवरी 2007 तथा फरवरी 2008 के मध्य यह मामला विभाग तथा सरकार के ध्यान में लाया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2008)।

6.8 गलत दर निर्धारित करने के कारण पट्टा राशि की अल्प वसूली

हिमाचल प्रदेश पट्टा नियमावली के अंतर्गत पात्र संस्थाओं को शिक्षा संस्थाओं के स्थापना / विस्तार के लिए पट्टे पर सरकारी भूमि प्रदान की जा सकती है। उच्च /उच्चतर माध्यमिक वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल/कॉलेज को पट्टे पर अधिकतम 10 बीघा क्षेत्र संस्वीकृत किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश पट्टा नियमावली के अंतर्गत पट्टा राशि पट्टा पर दी गई भूमि के नवीनतम उच्चतर बाजारी मूल्य के पांच प्रतिशत अथवा पांच वर्षों के औसत बाजारी मूल्य के दो गुणा, जो भी कम हो की दर पर पट्टा राशि निर्धारित की जाती है। महानिदेशक पंजीकरण के जुलाई 1997 के अनुदेशों के अनुसार यदि सम्बन्धित मोहाल में किसी भूमि की बिक्री न की गई हो तो पटवारियों[27] को सम्बन्धित मोहाल[28] अथवा संलग्न मोहाल का परता तैयार करना अपेक्षित है।

जनवरी 2008 में समाहर्ता, शिमला के अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि स्कूल भवन के निर्माणार्थ मौजा बदाह[30] में 0-89-24 हैक्टेयर (अर्थात 11 बीघा 17 बिसवा) के माप की सरकारी भूमि के पट्टे के लिए डार्ज्ड ऑफ सेकरड हार्ट, ताराहाल कान्वेंट स्कूल, शिमला के साथ नवम्बर 2006 में 99 वर्षों के लिए एक पट्टा विलेख[29] निष्पादित किया गया। विभाग ने पांच प्रतिशत पट्टा राशि (4.13 लाख रू0) की गणना करते समय संलग्न मोहाल ढली-II के एक वर्ष के बाजारी मूल्य (82.59 लाख रू0) के प्रतिफल पर माना क्योंकि 9 मई 2005 से 8 मई 2006 के दौरान मौजा बदाह में किसी भूमि की बिक्री नहीं की गई थी तथा इसके साथ मौजा बदाह के पांच वर्ष (9 मई 2001 से 8 मई 2006) के बाजारी मूल्य (7.88 लाख रू0) के साथ तुलना की। विभाग ने 7.88 लाख रू0 के पांच प्रतिशत के रूप में 39,401 रू0 की गणना की तथा इसका दोगुणा

---

24 कुल्लू, मण्डी और ऊना

25 कुल्लू, 9 मामले: 8.41 लाख रू0, मण्डी: 3 मामले: 7.28 मामले और ऊना: 1 मामले: 3.67 लाख रू0

26 हिमाचल पथ परिवहन निगम के बस अड्डे की कारखाना, स्कूल भवन का निर्माण आदि।

27 पटवारी राजस्व सोपानिकी में निम्नतम श्रेणी के राजस्व कर्मचारी है जो उनके क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले सभी राजस्व संपदाओं के संदर्भ में सभी राजस्व अभिलेखों के समुचित अनुरक्षण व संरक्षण के लिए उत्तरदायी हैं।

28 गांवों का वृत्त।

29 पंजीकरण संख्या 1839/2006

30 यह एक गांव का नाम है।

(78,802 रु0) करने के उपरांत कम राशि होने के नाते 79,000 रु0 प्रतिवर्ष के रूप में पट्टा राशि निर्धारित की। विभाग द्वारा की गई कार्रवाई गलत थी, क्योंकि उसी मोहाल के संदर्भ में तुलना की जानी थी। पटवारियाओं द्वारा तैयार किए गए परतों तथा लेखापरीक्षा द्वारा एकत्रित की गई सूचना की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि मोहाल ढली-II के संदर्भ में एक वर्ष (9 मई 2005 से 8 मई 2006) का बाजारी मूल्य तथा भूमि का पांच वर्ष (9 मई 2001 से 8 मई 2006) का औसत बाजारी मूल्य क्रमश: 82.59 लाख रु0 तथा 39.54 लाख रु0 थे। हिमाचल प्रदेश पट्टा नियमावली के अनुसार मोहाल ढली-II के संदर्भ में एक वर्ष के बाजारी मूल्य का पांच प्रतिशत 4.13 लाख रु0 था, जबकि पांच वर्ष के औसत बाजारी मूल्य का दोगुना 79.08 लाख रु0 निकाला गया। इस प्रकार इस मामले में 4.13 लाख रु0 प्रतिवर्ष की दर पर पट्टा राशि प्रभार्थ थी। तथापि विभाग ने नवम्बर 2006 से अक्तूबर 2008 की अवधि की 79,000 रु0 प्रतिवर्ष की पट्टा राशि गलत निर्धारित की। इसके फलस्वरूप 7.47 लाख रु0 की पट्टा राशि की अल्प वसूली के अतिरिक्त इस संबंध में मान्य 10 बीघा के क्षेत्र से ज्यादा क्षेत्र विलेखित हो गया।

फरवरी 2008 में मामला विभाग तथा सरकार के ध्यान में लाया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2008)।

ग. सिंचाई तथा जन-स्वास्थ्य विभाग

6.9 जल प्रभारों की वसूली न करना ।

हिमाचल प्रदेश जलापूर्ति अधिनियम, 1968 की धारा 5 के अंतर्गत व्यक्तियों से जल प्रभारों की वसूली फ्लैट रेट के आधार पर अथवा मीटरों के कनैक्शनों के आधार पर की जाएगी। यदि उद्गृहीत की गई दरों की समय पर अदायगी नहीं की जाती तो इनकी वसूली भू-राजस्व के बकायों के रूप में की जाएगी।

अप्रैल 2007 तथा मार्च 2008 के मध्य 19[31] सिंचाई तथा जन-स्वास्थ्य मण्डलों के अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि 2005-06 तथा 2006-07 की अवधि के 1.77 करोड़ रु0 की राशि के जल प्रभारों की वसूली नहीं की गई। संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि हमीरपुर मण्डल में 2005-06 तथा 2006-07 वर्षों के 4.37 लाख रु0 की राशि के जल प्रभारों को अभी वसूली की जानी थी, जबकि 18 अन्य मण्डलों में 1.72 करोड़ रु0 के जल प्रभार 2006-07 की अवधि से सम्बन्धित थे। इस राशि की वसूली न तो विभाग ने की और न ही व्यक्तियों द्वारा इनकी अदायगी ही की गई।

अप्रैल 2007 तथा मार्च 2008 के मध्य ये मामले इंगित करने पर छ:[32] मंडलों ने अगस्त 2007 तथा मार्च 2008 के मध्य सूचित किया कि 9.27 लाख रु0 की वसूली की जा चुकी थी तथा शेष राशि की वसूली करने हेतु प्रयास किए जा रहे थे। वसूली के संदर्भ में आगामी रिपोर्ट तथा शेष मंण्डलों से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2008)।

मई 2007 तथा अप्रैल 2008 के मध्य यह मामला विभाग तथा सरकार के ध्यान में लाया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2008)।

---

31 अर्की, बरसर, घुमारवीं, हमीरपुर, इन्दौरा, जुब्बल, करसोग, कुल्लू-I, कुल्लू-II, नाहन, नालागढ़, नोहराधार, पांवटा साहिब, पुह, सम्मपुर, रोहड़ू, सोलन, सुन्दरनगर, और सुन्नी

32 चड़सर: 1.40 लाख रु0; घुमारवीं: 1.47 लाख रु0; हमीरपुर: 2.76 लाख रु0; इन्दौरा: 49,000 रु0; कुल्लू-I: 1 लाख रु0; और नाहन: 2.15 लाख रु0;

घ. उद्योग विभाग

6.10 रॉयल्टी की विलंबित अदायगी पर ब्याज की वसूली न करना

खनिज रियायत नियमावली, 1960 के अंतर्गत ज्यों ही पट्टा भूमि से खनिज उठाया जाता है तो रायॅल्टी देय हो जाती है। पूर्वगामी मास के संदर्भ में प्रत्येक मास की 15वीं तिथि से पूर्व पट्टाधारी द्वारा खनिज संरक्षण तथा विकास नियमावली, 1988 के नियम 45 के अंतर्गत महानियन्त्रक, खनन नियंत्रक तथा प्रादेशिक नियंत्रक को फार्म एफ-8[33] में एक मासिक विवरणी प्रस्तुत करनी अपेक्षित है। 28 मई 1992 को राज्य सरकार तथा पट्टाधारी[34] के मध्य निष्पादित किए गए खनन पट्टा अनुबंध के भाग-VI की धारा-3 के अनुसार यदि पट्टाधारी द्वारा निर्धारित समय में देय रायॅल्टी की अदायगी नहीं की जाती तो 15 प्रतिशत वार्षिक की दर पर ब्याज सहित उसकी वसूली की जा सकती है।

6.10.1 दिसम्बर 2007 में खनन अधिकारी सोलन के अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि चूने का पत्थर निकालने में लगे एक पट्टाधारी ने चूने का पत्थर उठाने पर मासिक विवरणियां प्रस्तुत की तथा चूने के पत्थर की 20.50 लाख टन की मात्रा पर 9.22 करोड़ रू0 की त्रैमासिक अदायगी की। यद्यपि पट्टा खनन अनुबंध में रायल्टी की त्रैमासिक रूप से अदायगी करने का प्रावधान नहीं था, तब भी विभाग ने 2006-07 के दौरान त्रैमासिक आधार पर रायॅल्टी की अदायगियां स्वीकार की। ब्याज की मांग किए बिना त्रैमासिक रूप से अदायगियां स्वीकार करके विभाग ने पट्टाधारी पर अनुचित कृपा की है। खनन अधिकारी /विभाग द्वारा ब्याज माफ करने के लिए अभिलेखों में कुछ नहीं था। परिणामत: प्रत्येक बार एक से दो मास के विलंब से प्राप्त हुई रॉयल्टी के लिए पट्टाधारी द्वारा 18.15 लाख रू0 का ब्याज देय हुआ, जिसकी अदायगी नहीं की गई (सितम्बर 2008)।

दिसम्बर 2007 में मामला इंगित करने पर विभाग ने मई 2008 में सूचित किया कि सम्बन्धित कंपनी को रॉयल्टी की विलंबित अदायगी पर ब्याज की अदायगी करने के लिए नोटिस जारी किया जा चुका था। वसूली पर आगामी सूचना प्राप्त नहीं हुई है (सितम्बर 2008)।

जनवरी 2008 में मामला सरकार के ध्यान में लाया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2008)।

6.10.2 हिमाचल प्रदेश लघु खनिज (रियायत) संशोधित नियमावली, 1971 के नियम 21(1)(i)(ग) के अंतर्गत पट्टाधारी द्वारा पट्टाभूमि से उठाए गए माल के लिए अग्रिम में रॉयल्टी की अदायगी करने का प्रावधान है। मानक खनन पट्टा अनुबंध की शर्तों के अनुसार यदि पट्टाधारी समय पर रायॅल्टी जमा नहीं करवाए तो चूक की अवधि के लिए 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज प्रभारित किया जाएगा।

नवम्बर तथा दिसम्बर 2007 के मध्य तीन[35] खनन अधिकारियों के अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि पत्थर के क्रशिंग संबंधी कार्य में जुटे 13 पट्टाधारियों ने 2004-05 तथा 2006-07 की अवधि के मध्य 47.64 लाख रू0 की रॉयल्टी की अदायगियां 1 से 31 मास के विलंब से की थी। यद्यपि पट्टाधारियों से रॉयल्टी की विलंबित अदायगियों पर 3.83 लाख रू0 का ब्याज देय था, किन्तु विभाग द्वारा इसे प्रभारित नहीं किया गया।

---

33 खनिजों का नाम, पट्टाधारी का पता, खान का स्थान, खानों से उत्पादित किये गये तथा भेजे गये खनिजों की मात्रा, खान शीर्ष पर स्टॉक एवं अदा की गई रॉयल्टी आदि को प्रदर्शित करता है।

34 मैसर्ज गुजरात अंबुजा सिमेंट लिमिटेड।

35 बिलासपुर: एक: 1.10 लाख रू0; कांगड़ा: पांच: 77,000 रू0 और कुल्लू: सात: 1.96 लाख रू0।

नवम्बर तथा दिसम्बर 2007 के मध्य इन मामलों को इंगित करने पर विभाग ने मई 2008 में सूचित किया कि कांगड़ा तथा कुल्लू के खनन अधिकारियों के मामले में नौ पट्टाधारियों से 1.80 लाख रू0[36] की वसूली की जा चुकी थी तथा शेष राशि की वसूली करने हेतु प्रयास किए जा रहे थे। खनन अधिकारी बिलासपुर के मामले में सम्बन्धित पार्टी को ब्याज की बकाया राशि जमा करवाने के लिए नोटिस जारी किया जा चुका था। वसूली पर आगामी सूचना प्राप्त नहीं हुई है (सितम्बर 2008)।

दिसम्बर 2007 तथा जनवरी 2008 के मध्य मामला सरकार के ध्यान में लाया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2008)।

6.11 रॉयल्टी की वसूली न करना/ कम करना

खनिज रियायत नियमावली के अंतर्गत ज्यों ही पट्टा स्थल से खनिज उठाया जाता है तो रॉयल्टी देय हो जाती है। भारत सरकार, खनन मंत्रालय द्वारा जारी की गई अप्रैल 2003 की अधिसूचना के अनुसार खनिज रियायत नियमावली के अंतर्गत रॉक साल्ट पर रायल्टी की गणना "खनिज उत्पादन के मासिक आंकड़े" में भारतीय खनन ब्यूरों द्वारा प्रकाशित औसत मूल्य के आधार पर की जाती है। इस प्रकार से निकाले गए मूल्य के 10 प्रतिशत की दर पर देय रायॅलटी की गणना हेतु इस बैंच मार्क[37] मूल्य में राज्य सरकार 20 प्रतिशत जोड़ेगी।

6.11.1 खनन अधिकारी मंडी के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पट्टाधारी[38] द्वारा प्रस्तुत की गई निष्कासन विवरणियों की नमूना जांच से नवम्बर 2007 में उद्घाटित हुआ कि एक पट्टाधारी ने 2006-07 के दौरान 1,747.8 टन रॉक सॉल्ट निष्कासित किया था, जिस पर भारतीय खनन द्वारा निर्धारित किए गए औसत मूल्य पर 20 प्रतिशत जोड़ने के उपरांत 3.31 लाख रू0 की रॉयल्टी वसूली योग्य थी। विभाग ने न तो इस राशि की मांग की और न ही पट्टाधारी द्वारा इसकी अदायगी ही की गई। विभाग द्वारा कार्रवाई न करने के फलस्वरूप 3.31 लाख रू0 की रॉयल्टी की वसूली नहीं हो पाई।

नवम्बर 2007 में मामला इंगित करने पर विभाग ने मई 2008 में सूचित किया कि पट्टाधारी को रॉयल्टी की राशि जमा करवाने के निदेश दिए गए थे। वसूली के संदर्भ में आगामी सूचना प्राप्त नहीं हुई है (सितम्बर 2008)।

दिसम्बर 2007 में यह मामला सरकार के ध्यान में लाया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2008)।

6.11.2 हिमाचल प्रदेश लघु खनिज (रियायत) संशोधित नियमावली, 1971 के नियम 21 में यह प्रावधान है कि पट्टाधारी पट्टा स्थल से उठाए गए माल के संदर्भ में रायॅल्टी की अग्रिम में अदायगी करेगा। पत्थर (क्रशिंग की प्रक्रिया के माध्यम से एग्रीगेट्स के उत्पादन के लिए कच्चा माल) के लिए रायॅल्टी 10 रू0 प्रति टन की दर से प्रभारित की जानी है।

नवम्बर 2007 में खनन अधिकारी कुल्लू के अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि जिला में पारवती जल विद्युत परियोजना के निर्माण में जुटे एक पट्टाधारी[39] ने मार्च 2005 तथा अप्रैल 2007 के मध्य उत्पादित किए गए 1.16 लाख टन के एग्रीगेट्स के लिए एक संविदाकार[40] से 10 रू0 प्रति टन जो सही दर था, उसके बजाय 6 रू0 प्रति टन की दर पर 6.93 लाख रू0 की रॉयल्टी की वसूली की थी। इसके फलस्वरूप 4.68 लाख रू0 क रॉयल्टी की अल्प वसूली हुई।

---

36 कांगड़ा: तीन मामले: 30,000 और कुल्लू : छः मामले: 1.50 लाख रू0;।

37 रॉक साल्ट का भारतीय खनन ब्यूरो द्वारा निर्धारित किया गया।

38 मैसर्ज हिन्दुस्थान साल्टस लिमिटेड, मण्डी।

39 मैसर्ज एन एच पी सी लिमिटेड, नगवाई, जिला मण्डी।

40 मैसर्ज पटेल-एस ई डब्लयू ज्वांइट वैंचर

नवम्बर 2007 में मामला इंगित करने पर विभाग ने मई 2008 में बताया कि पट्टाधारी को रायॅलटी जमा करवाने के लिए नोटिस जारी किया जा चुका था। वसूली के संदर्भ में आगामी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। (सितम्बर 2008)।

दिसम्बर 2007 में मामला सरकार के ध्यान में लाया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2008)।

(सुमन सक्सेना)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश

शिमला

प्रतिहस्ताक्षरित

(विनोद राय)
भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली

अनुबन्ध

प्रयोज्य वास्तविक मूल्य के अनुसार तथा पटवारियों द्वारा तैयार किए गए परतों में समाविष्ट उप-पंजीयकवार मौद्रिक मूल्य दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ: परिच्छेद 6.4)

(लाख रू0)

क्र0 सं0	उप-पंजीयक कार्यालय का नाम	मामलों की संख्या	प्रयोज्य वास्तविक मूल्य के अनुसार मौद्रिक मूल्य	पटवारियों द्वारा तैयार किए गए परतों के आधार पर निर्धारित किया गया मौद्रिक मूल्य	अल्प उद्ग्रहण		योग
1.	रामपुर	27	79.24	64.14	1.18	0.22	1.40
2.	सुन्दरनगर	22	87.45	68.85	1.49	0.31	1.80
3.	करसोग	12	40.01	14.06	2.08	0.36	2.44
4.	गोहर	14	20.05	16.84	0.24	0.06	0.30
5.	निरमण्ड	21	172.66	129.44	3.46	0.77	4.23
6.	नयना देवी	6	21.11	9.07	0.96	0.24	1.20
7.	नालागढ़	51	3,213.72	795.60	193.42	1.63	195.05
8.	सरकाघाट	11	23.42	11.71	0.94	0.23	1.17
9.	धर्मपुर	13	8.68	2.98	0.46	0.11	0.57
10.	नाहन	1	32.60	18.37	1.14	-	1.14
11.	जानदत्ता	12	36.68	20.52	1.29	0.32	1.61
12.	भोरंज	32	119.65	36.23	6.67	1.25	7.92
13.	पालमपुर	19	144.0	90.21	4.30	0.53	4.83
14.	ऊना	9	33.53	30.33	0.26	0.06	0.32
15.	अम्ब	30	38.98	28.76	0.81	0.21	1.02
16.	शिमला (शहरी)	14	171.43	119.01	4.19	0.22	4.41
	योग	294	4,243.21	1,456.12	222.89	6.52	229.41

राजकीय मुद्रणालय, हि0 प्र0, शिमला–2778–ए जी./2008–24–10–2008–500 प्रतियां।

©
भारत के नियंत्रक -महालेखापरीक्षक
2008

मूल्य:
भारत में: 65 रूपये
विदेश में : यू.एस. $ 5

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5

www.cag.gov.in.